खण्ड-411, अंक-7
मंगलवार, 29 चैत्र, शक संवत् 1916
(19 अप्रैल, 1994 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(बारहवीं विधान सभा, प्रथम सत्र 1994)

खण्ड 411 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)

1994

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	क–ख
प्रश्नोत्तर (जारी)	1–5
अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या–2 से संबंधित सदस्य, विधान सभा श्री बी० एम० सिंह के साथ जिला प्रशासन (पीलीभीत) द्वारा निन्दनीय व्यवहार किये जाने के संबंध में जांच हेतु सदन की एक समिति बनाये जाने की मांग ...	5–11
प्रश्नोत्तर	11–74
नियम 301 के अन्तर्गत सूचनाएं	74–75
मुख्य मंत्री की घोषणा के बावजूद वाराणसी नगरपालिका की सीमा में आने वाले ग्रमीण क्षेत्रों पर शहरी सीलिंग एक्ट लागू करने विषयक नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	75–76
इलाहाबाद के चैथम लाइन्स दरहरिया मुहल्ले (जवाहरगंज) के कई मकानों को रक्षा विभाग के अधिकारियों द्वारा बुरी तरह से ध्वस्त कर देने विषयक नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	76
देवरिया जनपद में छोटी गण्डक नदी के किनारे स्थित गांवों को नदी के कटान से सुरक्षित करने की मांग के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	76–77
आगरा के एस० एन० अस्पताल के आपात कक्ष में टेलीफोन लगवाने की मांग के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	77
वाराणसी नगर में जटिल ट्रैफिक समस्या का निदान करने विषयक नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	77–78
जनपद उन्नाव में विद्युत विभाग द्वारा बगैर बिद्युत कनेक्शन दिये किसानों से फर्जी बिल का रुपया वसूले जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	78
जनपद आगरा की अनुसूचित जाति की बस्तियों में प्रदूषित जल आपूर्ति से घातक रोगों के फैलने की आशंका के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	78
श्री राजीव अग्रवाल, सदस्य, विधान सभा पर प्राणघातक हमले के संबंध में दी गयी सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री द्वारा दिये गये आश्वासन की पूर्ति न होने विषयक औचित्य का प्रश्न	79–81
जनपद मुजफ्फरनगर के ग्राम बधाई खुर्द, पोस्टबधाई कलां के नाला इमलिया पर पुल अल्लाफपुर का निर्माण कराये जाने विषयक चौधरी जिले सिंह आदि की याचिका..... (प्रस्तुत की गयी)	81
जनपद मुजफ्फरनगर के ग्राम विरालसी में उप विद्युतगृह का निर्माण कराये जाने विषयक श्री जगमाल सिंह प्रधान आदि की याचिका..... (प्रस्तुत की गयी) ...	82

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनपद गाजियाबाद के अन्तर्गत ट्रान्स, हिण्डन क्षेत्र की कालोनियों में सभी आवश्यक नागरिक सुविधायें उपलब्ध कराने विषयक चौधरी हरपाल सिंह आदि की याचिका..... (प्रस्तुत की गयी)	82
जनपद गाजियाबाद के ग्राम बेगमाबाद, तहसील मोदीनगर स्थित सीकरी कला बेगमाबाद नाले से होने वाली जल भराई दूर करने विषयक श्री अरविन्द सिंह नेहरा की याचिका..... (प्रस्तुत की गयी)	82
जनपद सीतापुर की तहसील महमूदाबाद के अन्तर्गत विभिन्न मार्गों की सोलिंग स्तर से लेपन स्तर तक बनाये जाने विषयक श्री चांदनारायण आदि की याचिका.....(प्रस्तुत की गयी)	82
जनपद सीतापुर की तहसील महमूदाबाद में मुंसिफ कोर्ट खोले जाने विषयक श्री सुरेश चन्द्र वर्मा आदि की याचिका..... (प्रस्तुत की गयी) ...	82
जनपद सीतापुर की तहसील महमूदाबाद वासुरा व कटुवा घाट पर पीपे का पुल बनाये जाने विषयक श्री जतगुरु आदि की याचिका..... (प्रस्तुत की गयी) ...	82
जनपद सीतापुर की तहसील महमूदाबाद में अग्निशमन केन्द्र स्थापित कराये जाने विषयक श्री उमाशंकर आदि की याचिका..... (प्रस्तुत की गयी) ...	83
जनपद सीतापुर की तहसील महमूदाबाद की नगरपालिका में पेयजल हेतु पानी की टंकी का निर्माण किये जाने विषयक श्री विजय कुमार आदि की याचिका (प्रस्तुत की गयी)	83
जनपद सुल्तानपुर ग्राम कंन्धाईपुर से मीरानपुर दिलावरपुर की दस कि०मी० सड़क के निर्माण विषयक श्री मो० वशीर प्रधान आदि की याचिका..... (प्रस्तुत की गयी)	83
जनपद मुजफ्फरनगर के मोहल्ला कृष्णापुरी में 50 वर्षीय महिला का उत्पीड़न विषयक सूचना की शासन द्वारा सी० आई० डी० जांच कराने संबंधी आश्वासन को कार्यवाही में अंकित न किये जाने के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न	83–85
बागेश्वर को जिला बनाये जाने संबंधी पूर्व राजस्व मंत्री के आश्वासन की पूर्ति न होने के विरोधस्वरूप श्री राम प्रसाद टम्टा, सदस्य, विधान सभा के धरने के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न	85–86
कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम निर्धारण का प्रस्ताव (स्वीकृत) ...	86–88
रजिस्ट्रीकरण (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1994.....(पुरःस्थापित) ...	88–89
नियम 311 की नियम 56 के अन्तर्गत परिवर्तित कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनायें...	89–90
उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1994 (पारित) ...	90–95

विषय	पृष्ठ-संख्या
वित्तीय वर्ष 1994-95 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान अनुदान संख्या 39–भाषा विभाग, अनुदान संख्या 47–प्राविधिक शिक्षा, अनुदान संख्या 70–विज्ञान एवं प्रोद्योगिकी विभाग, अनुदान संख्या–73 शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा) (स्वीकृत)	95–97
वित्तीय वर्ष 1994-95 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान अनुदान संख्या 71–शिक्षा विभाग (प्राविधिक शिक्षा), अनुदान संख्या 72–शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा), अनुदान संख्या 74–शिक्षा विभाग (प्रौढ़ शिक्षा), अनुदान संख्या 75–शिक्षा विभाग (राज्य शैक्षिक अनुसन्धान एवं प्रशिक्षण परिषद् (स्वीकृत)	97–99
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं	99
कार्य-सूची के मद संख्या–19 से 24 तक में निर्धारित वक्तव्यों एवं चर्चाओं का स्थगन	99
राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ द्वारा कथित रूप से जारी किये गये सामाजिक विद्वेष परक परिपत्र से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री मुक्तिनाथ यादव द्वारा दिनांक 4 मार्च, 1994 को नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य	99
घंडियाल देवता (घन्टाकरण) पट्टी लोक्तु, टिहरी गढ़वाल के प्रागंण के समतलीकरण कार्य में अनियमितता तथा सरकारी धन का दुरुपयोग किये जाने के संबंध में श्री मातवर सिंह कण्डारी द्वारा दिनांक 9 मार्च, 1994 को नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य ...	99
जनपद मेरठ के भोला की झाल ग्राम में जिले सिंह नामक युवक की जिन्दा जलाकर हत्या किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त तथा श्री राम कुमार शुक्ल द्वारा दिनांक 19 मार्च, 1994 को दी गयी सूचना पर नियम 51 के अन्तर्गत मुख्य मंत्री का वक्तव्य	100
जनपद पीलीभीत के तहसील मुख्यालय बीसलपुर में परगना मजिस्ट्रेट के न्यायालय का अधिवक्ताओं द्वारा बहिष्कार किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री राम सरन वर्मा द्वारा दिनांक 19 मार्च, 1994 को नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य	100

विषय	पृष्ठ-संख्या
इलाहाबाद विश्वविद्यालय में शिक्षकों एवं कर्मचारियों के भविष्य निधि का धन उनके खातों में नियमित रूप से जमा किये जाने विषयक दिनांक 7 मार्च, 1994 को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या–150 नत्थी (घ) के संबंध में डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर द्वारा दी गयी सूचना पर, उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 49 के अन्तर्गत, आधे घण्टे की चर्चा	100
प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत संवाददाताओं, पत्रकारों को शासन द्वारा सुविधा प्रदान करने तथा सूचना विभाग को सक्रिय एवं प्रभावी बनाने के उपाय किये जाने विषयक दिनांक 8 मार्च, 1994 को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या–10 नत्थी (ग) के संबंध में श्री राम सरन वर्मा श्री बी० के० गुप्ता, श्री बी० एम० सिंह, श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल तथा श्री शिव प्रताप शुक्ल द्वारा दी गयी सूचनाओं पर उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 49 के अन्तर्गत, आधे घण्टे की चर्चा ...	100
नत्थियां.....	101–104

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मंगलवार, दिनांक 19 अप्रैल, 1994

निम्नांकित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य उपस्थित थे :—

अतीक अहमद, श्री	इलाहाबाद	पप्पू भइया, श्री	गोरखपुर
अमित अग्रवाल, श्री	मेरठ	तीरथ राज, श्री	सोनभद्र
अरविन्द कुमार, श्री	ललितपुर	तेजपाल सिंह, श्री	बिजनौर
अवध पाल सिंह यादव, श्री	एटा	तेजपाल सिंह, श्री	मथुरा
अशोक कुमार सिंह चौधरी बेबी, श्री	उन्नाव	तेजपाल सिंह पवार, श्री	हरिद्वार
अशोक बाजपेई, श्री	हरदोई	दीनानाथ भास्कर, श्री	वाराणसी
आनन्द यादव, श्री	देवरिया	धर्मपाल यादव उर्फ	
इरशाद, श्री	आजमगढ़	डी० पी० यादव, श्री	बुलन्दशहर
उपदेश सिंह चौहान, श्री	मैनपुरी	नन्द किशोर मिश्रा, श्री	देवरिया
ओम प्रकाश सिंह, श्री	मिर्जापुर	नरेन्द्र सिह, श्री	मेरठ
कल्याण सिंह, श्री	अलीगढ़	नरेन्द्र सिंह चौधरी, श्री	कानपुर देहात
कामेश्वर उपाध्याय, श्री	देवरिया	नरेश अग्रवाल, श्री	हरदोई
काशी सिंह ऐरी, श्री	पिथौरागढ़	निर्भय पाल शर्मा, श्री	सहारनपुर
केदार सिंह फोनिया, श्री	चमोली	परमानन्द दण्डी, स्वामी	रामपुर
केशरी नाथ त्रिपाठी, श्री	इलाहाबाद	पृथ्वी सिंह विकसित, श्री	हरिद्वार
कोकब हमीद खां, श्री	मेरठ	बादू खां, श्री	हरदोई
गजराज सिंह, श्री	गाजियाबाद	बाबू राम यादव, श्री	मैनपुरी
गजाधर सिंह, श्री	रायबरेली	बालेश्वर यादव, श्री	देवरिया
घनश्याम शुक्ल, श्री	गोण्डा	भगेलू राम, श्री	सुल्तानपुर
चन्द्र विजय सिंह उर्फ		भागवत पाल, श्री	मिर्जापुर
बेबी राजा, श्री	मुरादाबाद	मण्डलेश्वर सिंह, श्री	आगरा
जगत सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर	मनव्वर हसन, श्री	मुजफ्फरनगर
जितेन्द्र कुमार जायसवाल उर्फ		मनोहर लाल, श्री	उन्नाव

महेन्द्र अरिदमन सिंह राजा, श्री	आगरा
महेन्द्र पाल सिंह, श्री	बिजनौर
माया शंकर पाठक, श्री	वाराणसी
मारकण्डेय सिंह, श्री	बलिया
मुख्तार अनीस, श्री	सीतापुर
मुलायम सिंह यादव, श्री	फिरोजाबाद
यश पाल आर्य, श्री	नैनीताल
रघुराज प्रताप सिंह, कुंवर, उर्फ राजा भइया, श्री	प्रतापगढ़
रघुवीर सिंह , श्री	एटा
रतन लाल पवार, श्री	मुजफ्फरनगर
रमाकान्त यादव, श्री	आजमगढ़
रमेश बहादुर, श्री	प्रतापगढ़
रवीन्द्र शुक्ल, श्री	झांसी
राजबीर सिंह, श्री	अलीगढ़
राजीव कुमार, श्री	नैनीताल
राजेश अग्रवाल, श्री	बरेली
रानी देवलता, श्रीमती	सहारनपुर
राम औतार मिंश्रा, श्री	शाहजहांपुर
राम किशोर बिन्द, श्रीं	वाराणसी
राम तेज, श्री	बहराइच
राम प्रसाद टम्टा, श्री	अल्मोड़ा
राम लखन यादव, श्री	प्रतापगढ़
राम सेवक सिंह, श्री	बदायूं
राम स्वरूप शर्मा, श्री	मथुरा
रिजवान जहीर उर्फ रिज्जू भइया, श्री	गोण्डा
लक्ष्मी नारायण पाण्डेय उर्फ गुरू जी, श्री	प्रतापगढ़
लालजी, श्री	वाराणसी
विक्रमा सिंह, श्री	बलिया
विजय सिंह, श्री	सोनभद्र
विजेन्द्र सिंह, श्री	अलीगढ़
विनय कुमार पाण्डेय उर्फ विन्नू, श्री	गोण्डा
शिव बहादुर सक्सेना, श्री	रामपुर
शूरवीर सिंह सजवाण, श्री	टिहरी गढ़वाल
श्याम सुन्दर शर्मा, श्री	मथुरा
श्रीराम पाल, श्री	जालौन
श्रीराम यादव, श्री	जौनपुर
सन्त बक्श रावत, श्री	लखनऊ
हरिशंकर तिवारी, श्री	गोरखपुर
हरेन्द्र सिंह, श्री	रामपुर
हाजी मोहम्मद हयात, श्री	मुरादाबाद

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मंगलवार, दिनांक 19 अप्रैल, 1994

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप लखनऊ में 11 बजे दिन में अध्यक्ष श्री धनीराम वर्मा के अध्यक्षता में प्रारम्भ हुई ।)

प्रश्नोत्तर

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

प्रदेश सरकार द्वारा केन्द्र की भांति कर्मचारियों को ग्रेच्युटी पर महंगाई भत्ता देने की मांग

**1–श्री सुरेश संगल (अनुपस्थित)–

क्या वित्त मंत्री को ज्ञात है कि केन्द्र सरकार ने सितम्बर, 93 में अपने कर्मचारियों को ग्रेच्युटी पर 20 प्रतिशत डी० ए० दिये जाने की घोषणा की है ? क्या प्रदेश सरकार भी केन्द्र की भांति अपने कर्मचारियों को यह डी० ए० दिये जाने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो यह घोषणा कब तक की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

लोक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

जी नहीं । ग्रेच्युटी पर 20 प्रतिशत मंहगाई भत्ता दिये जाने संबंधी केन्द्र सरकार की घोषणा की सूचना नहीं है । शेष प्रश्न नहीं उठता ।

[श्री अध्यक्ष द्वारा नत्थी (क) अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या–1 लिये जाने पर]

श्री बदन सिंह–

मान्यवर, पूरे प्रदेश में विद्युत कटौती के कारण किसान परेशान हो रहा है, यह 311 में ले लें ।

श्री अध्यक्ष–

बाद में सुन लेंगे ।

श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल–

मान्यवर, प्रदेश में कोयले का अभाव व्याप्त है ।

श्री अध्यक्ष–

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या–1 से संबंधित प्रश्नकर्ता माननीय सदस्य सुरेश संगल नहीं हैं । अब मैं दूसरा प्रश्न लेता हूं ।

जनपद पीलीभीत के थाना पूरनपुर में पंजीकृत अभियोग की जांच

**2–श्री हरेन्द्र सिंह मलिक तथा श्री राकेश सचान–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उन्हें श्री बी० एम० सिंह, सदस्य, पूरनपुर का पत्र दिनांक 24 जनवरी, 94 जो उनके साथ जिला प्रशासन द्वारा किये गये निन्दनीय व्यवहार के विषय में है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि श्री बी० एम० सिंह, सदस्य पर फर्जी मुकदमें लगाये गये हैं ? यदि हां, तो सरकार उन्हें समाप्त कर दोषी

अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? क्या मुख्य मंत्री जी श्री बी० एम० सिंह द्वारा समय-समय पर उनके प्रति किये गये जिला प्रशासन के कृत्य (भ्रष्टाचार अनियमितताओं) की उच्च स्तरीय जांच कराने की कृपा करेंगे ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

जी हां ।

संदर्भित पत्र में उल्लिखित प्रकरण के संबंध में थाना पूरनपुर जनपद पीलीभीत पर मु० अ० सं०–12/94 अन्तर्गत धारा 147, 323, 504, 506 भा० द० वि० व 3 (1) (10) अनुसूचित जाति/अनु० जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम पंजीकृत हुआ था । उक्त अभियोग की विवेचना अपराध शाखा अपराध अनुसंधान विभाग को सौंप दी गई है ।

अपराध शाखा की जांच प्रचलित है ।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, सरकार कहती है कि उसकी कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं हैं । लेकिन, फर्क के अलावा कुछ मिलता नहीं । माननीय बी० एम० सिंह का प्रकरण सदन में कई बार उठ चुका है और लगभग पूरा सदन एक मत का था कि उनके विरुद्ध जो फर्जी मुकदमें कायम किये गये हैं, उनको वापस लिया जाय । इसके अतिरिक्त मंत्रिपरिषद् के जो सदस्य पीलीभीत जाते हैं वह घोषणा करके आते हैं कि इनके खिलाफ जो फर्जी मुकदमें लगाये गये हैं उनको वापस लिया जायेगा । उसके बाद भी सदन में जवाब यह मिलता है कि अपराध अनुसंधान शाखा द्वारा इसकी जांच करायी जा रही है । सरकार की कथनी और करनी में फर्क के क्या कारण हैं, घोषणा के बाद भी मुकदमें वापस न लिये जाने के क्या कारण हैं ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मान्यवर, सरकार की कथनी और करनी में कोई भेद नहीं है । कोई भी व्यक्ति है, कोई भी मामला है, जांच के बाद ही उस पर निर्णय लिया जाता है । हमारे पास जो सबसे बड़ी जांच एजेन्सी है, सी० आई० डी० से इसकी जांच हो रही है । जो जांच रिपोर्ट आयेगी, उसके आधार पर वह निर्णय किया जायेगा ।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, जो मूल प्रश्न पूछा गया उसका उत्तर नहीं आया है । क्या मुख्य मंत्री जी मा० श्री बी० एम० सिंह द्वारा समय-समय पर उनके प्रति किये गये जिला प्रशासन के कृत्य (भ्रष्टाचार अनियमितताओं) की उच्चस्तरीय जांच कराने की कृपा करेंगे ? मुकदमें जो वापस लेने की बात थी, वह वापस नहीं हुआ । जांच सी० आई० डी० को सौंप दी गयी है । जो शिकायतें इन्होंने की थीं उनकी किस एजेन्सी से जांच सरकार करायेगी ? बी० एम० सिंह जी के विरुद्ध जो अनुसूचित जाति/अनु० जन० जाति अत्याचार निवारण में मामला कायम हुआ, वह किसके द्वारा हुआ है । किसी अधिकारी/कर्मचारी के द्वारा हुआ या गांव के किसी पीड़ित व्यक्ति के द्वारा हुआ है ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

श्रीमन्, जो घटना वहां पुर हुई थी गेस्ट हाउस में, उसके संबंध में, जो अनुसूचित जाति का कोई कर्मचारी था, उसके द्वारा संभवतः यह मुकदमा कायम कराया गया, उसकी जांच सी० आई० डी० द्वारा करायी जा रही है।

श्री राकेश सचान–

मान्यवर, बी० एम० सिंह जी ने मुख्य मंत्री जी को पत्र दिये थे उसमें शिकायतें की थीं कि बैठक जो चल रही थी उसमें जाने नहीं दिया गया उनके साथ अधिकारियों ने ज्यादती की। वह शिकायतें कौन-कौन सी थीं और उन पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

श्रीमन्, पत्र की जो बात है, यहां पर वह हमारे पास नहीं है जो भी प्रकरण है, सी० आई० डी० जांच चल रही है और जब जांच चल रही है तो चर्चा कराना ज्यादा उचित भी नहीं है।

श्री हरेन्द्र सिंह (मुजफ्फरनगर)–

जिस कथित रिपोर्ट का उल्लेख किया गया, जो रिपोर्ट जो तहरीर माननीय बी० एम० सिंह ने कोतवाली में दी थी उस पर मुकदमा दर्ज हुआ कि नहीं और, यदि नहीं तो क्यों ? दूसरे, क्या सरकारी अधिकारियों को मा० सदस्यों के पुतले फूंकने उनके विरुद्ध नारेबाजी करने की अनुमति दी गयी है ? सरकारी अधिकारियों ने माननीय सदस्य के विरुद्ध नारेबाजी की, पुतले फूंके और अनुसूचित जाति के कर्मचारी को पकड़कर रिपोर्ट दर्ज करायी, 21 दिन तक जबरदस्ती घर में बन्द रखा। मेरे पास इसके सबूत भी हैं।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मान्यवर, यह पूरे प्रकरण की जांच सी० आई० डी० कर रही है। माननीय विधायक जी का शिकायती-पत्र जो प्राप्त हुआ है अधिकारियों के विरुद्ध, उसको भी इसमें शामिल कर लिया जायेगा।

श्री राम आसरे वर्मा–

माननीय हरेन्द्र जी द्वारा पूछा गया था कि एक तहरीर जो बी० एम० सिंह द्वारा दी गयी उस तहरीर पर मुकदमा कायम हुआ कि नहीं अगर नहीं कायम हुआ तो इसके लिये कौन अधिकारी दोषी है उसके विरुद्ध क्या कोई कार्यवाही करेंगे ? दूसरे, जिन अधिकारियों द्वारा श्री बी० एम० सिंह जी के विरुद्ध साजिश रचकर मुकदमा लगवाया गया, उनके पुतले को फूंकने का काम किया गया, नारेबाजी करवायी गयी, जुलूस निकलवाकर उसको लीड भी किया गया, वह अधिकारी कौन हैं, उन अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करेंगे ? यह सी० आई० डी० जांच का प्रकरण नहीं है। जो मुकदमा पंजीकृत हुआ उनकी जांच करायी जा रही है। मैं फिर कहना चाहता हूं कि अधिकारियों की साजिश के तहत पुतले फूंकने का काम हुआ, प्रदर्शन और नारेबाजी हुई और एक हरिजन को पकड़कर उससे फर्जी मुकदमा चलवाया गया। जो माननीय मलिक जी ने पूछा तहरीर पर मुकदमा कायम न किये जाने के क्या कारण हैं ? यह सी० आई० डी० जांच से बाहर दोनों बातें हैं।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

श्रीमन्, यह मामला सी० आई० डी० देख रही है । माननीय विधायक जी का पत्र जो अधिकारियों के विरुद्ध है उसको भी कह देंगे कि सी० आई० डी० छानबीन करे, दोषी पाये जाते हैं अधिकारी तो उनके खिलांफ मुकदमें दर्ज करे ।

श्री अशोक कुमार सिंह चन्देल–

जो श्री बी० एम० सिंह जी के विरुद्ध फर्जी मुकदमा दर्ज हुआ उसे सरकार वापस लेगी कि नहीं यह एक प्रश्न है ? दूसरे, क्या कोई ऐसा शासनादेश या नियम है जिसके अन्तर्गत सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों को इस बात की छूट है कि वे किसी जनप्रतिनिधि के विरुद्ध नारेबाजी, प्रर्दशनबाजी और उसके पुतले को फूंकने का काम करें, यदि ऐसा कोई शासनादेश है तो वह सदन के संज्ञान में लायें ? यदि ऐसा कोई शासनादेश नहीं है तो उस पी० सी० एस० अधिकारी के विरुद्ध सरकार क्या कार्यवाही करेगी ?

तीसरा क्या पुलिस अधीक्षक, पीलीभीत ने और एल० आई० यू० ने उक्त अधिकारी के विरुद्ध शासन को कोई सूचना भेजी है यह हमारे संज्ञान में है कि उन्होंने सूचना भेजी है । अगर माननीय मंत्री जी के संज्ञान में हो तो कृपया सदन को अवगत करायें ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

अधिकारियों के विरुद्ध जो शिकायत की गयी है उसकी जांच सी० आई० डी० करेगी । मान्यवर, मैं यह बता दूं कि एल० आई० यू० की जो रिपोर्ट होती है वह गोपनीय होती है उसे हम यहां बता नहीं सकते हैं । इसमें प्राग्दर्शन में जो दोषी पाये जायेंगे उनके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी ।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, यह सम्मानित सदस्य के सम्मान का प्रश्न है और सरकार इसमें कोई स्पष्ट उत्तर नहीं दे रही है । माननीय सदस्य की जो शिकायत प्राप्त हुई थी उस पर माननीय मंत्री जी ने कहा कि उसे सी० आई० डी० को भेज दी गयी है और वह उसकी जांच करेगी । मान्यवर, इससे तो ऐसा लगता है कि यह अधिकारियों को बचाने का प्रयास कर रहे हैं । मंत्रि-परिषद् के एक राज्य मंत्री वहां दौरे पर गये थे । उस समय माननीय सदस्य, पीलीभीत के खिलाफ जो अशोभनीय व्यवहार किया गया था उसके खिलाफ उनसे शिकायत भी की गयी थी और इन्होंने यह आश्वासन भी दिया था कि जब मैं वापस जाऊंगा तो मुकदमें को वापस ले लूंगा और उस अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही भी की जायेगी । मंत्रिपरिषद् में मंत्रियों का सामूहिक उत्तरदायित्व होता है । तो उन्होंने जो घोषणा की कि उसके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी और मुकदमा वापस लिया जायेगा उस संबंध में माननीय मंत्री जी क्या कर रहे हैं । जिन अधिकारियों ने उनके खिलाफ साजिश की और उनकी हत्या करने का प्रयास किया है उसके खिलाफ क्या कार्यवाही की जायेगी ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मान्यवर, हम बिल्कुल सहमत हैं कि कार्यवाही की जानी चाहिए। जो भी गलत आदमी होगा उसके खिलाफ हम कार्यवाही करेंगे। लेकिन कार्यवाही करने से पहले उसकी जांच होनी चाहिए और वह जांच अभी चल रही है।

श्री हरेन्द्र सिंह–

मान्यवर, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी बहुत ज्ञानी हैं। मैंने साधा-सीधा एक सवाल किया था। मान्यवर, मैंने आपके माध्यम से यह सवाल किया था कि जो माननीय राज्य मंत्री प्रभारी मंत्री हैं उन्होंने अपनी जांच के बाद जो जानकारी हासिल की और उसके बाद घोषणायें कीं। क्या सरकार संयुक्त जानकारी के तहत उनका निदान करायेगी। दूसरा क्या सरकार को जानकारी है कि कोई ऐसा शासनादेश है जिसमें विधायक का पुतला पी० सी० एस० अधिकारी फूंक सकता है हालांकि उसे फूंकना नहीं चाहिए था। मेरे पास सबूत है और उसमें साफ-साफ दिखायी दे रहा है और अब तो यह सदन की सम्पत्ति भी बन गयी है। मान्यवर, माननीय बी० एम० सिंह ने उक्त अधिकारी का भंडाफेड़ किया था जिससे नाराज होकर कहीं यह उनसे बदला लेने की नियत से कहीं यह कार्यवाही तो नहीं की गयी है, कहां उनकी हत्या कराने का प्रयास तो नहीं किया जा रहा है। क्या सरकार को इसकी जानकारी है ?

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या–2 से संबंधित सदस्य विधान सभा श्री बी० एम० सिंह के साथ जिला प्रशासन (पीसीएस) द्वारा निन्दनीय व्यवहार किये जाने के संबंध में जांच हेतु सदन की एक समिति बनाये जाने की मांग

श्री अध्यक्ष–

अब बहुत प्रश्न हो गये हैं।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, एक मेरा निवेदन सुन लें। यह सरकार अपने द्वारा कही गयी बातों की मर्यादा को रखने में कामयाब नहीं हो पा रही है। मैं चाहता हूं कि वह अपनी कमजोरी को दूर कर ले और जो घोषणा राज्य मंत्री द्वारा की गयी है उस घोषणा को क्रियान्वित करने का आश्वासन सदन के समक्ष दें। जिन अधिकारियों को बचाया जा रहा है, यह जो भाजपा का भूत इनके सर पर सवार है, आज उस अधिकारी को बचाया जा रहा है, मुझे यह कहने में तनिक भी संकोच नहीं है, अगर उसके परिप्रेक्ष्य में जायेंगे तो इनके सर से भाजपा का भूत उतर जायेगा।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मान्यवर, यह तो भाषण कर रहे हैं। इनसे कहें कि प्रश्न पूछें।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, आप अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए निदेशित करें कि जो घोषणा मंत्रि परिषद् के द्वारा की गयी है उसे क्रियान्वित करें

श्री अध्यक्ष–

माननीय वर्मा जी, आपने तथा कई माननीय सदस्यों ने बी० एम० सिंह के प्रकरण पर कई प्रश्न पूछे, अभी भी आप लोग संतुष्ट प्रतीत नहीं होते हैं। प्रश्न अत्यन्त गंभीर है और एक माननीय सदस्य से जुड़ा हुआ है, इसलिये मैं इसे प्रश्न और सन्दर्भ समिति को सौंप रहा हूं, जो शीघ्रातिशीघ्र इस संबंध में अपनी रिपोर्ट देगी, उसके अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

श्री किरनपाल सिंह–

मान्यवर, यह अत्यन्त महत्वपूर्ण मसला है और यह कई बार सदन में उठ चुका है, यह एक विधायक की प्रतिष्ठा और मान-सम्मान का मामला है, उनके ऊपर फर्जी मुकदमें कायम कर प्रताड़ित किया जा रहा है औऱ सरकार इतना भी नहीं कह रही है कि मुकदमें वापस हों जायेंगे। सरकारी अधिकारी इनके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, नारे लगा रहे हैं। मेरा कहना यह है कि हम इसको प्रश्न एवं संदर्भ समिति को सौंपे जाने से सहमत नहीं हैं, अभी तो प्रश्न एवं सन्दर्भ समिति ने अपना काम शुरू ही नहीं किया है। मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं.....

श्री अध्यक्ष–

आप सहमत नहीं हैं तो मैं निर्णय वापस ले लूंगा।

श्री किरनपाल सिंह–

मान्यवर, व्यवस्था देने के बाद भी आपको अधिकार है। मेरा निवेदन सिर्फ यह है कि छोटी से छोटी दो सदस्यों की या तीन सदस्यों की एक समिति बना दें, जिसमें सपा-बसपा के सदस्य हों, भले ही अन्य दल के न हों। आप यह समिति बना दें और यह जो रिपोर्ट दें, उसके अनुसार कार्यवाही हो।

श्री अध्यक्ष–

मैंने प्रश्न एवं संदर्भ समिति को सौंप तो दिया है।

श्री किरनपाल सिंह–

मान्यवर, इस तरह का एक मामला मैंने पहले भी उठाया था चेचक से मौतें होने के बारे में। उस समय मा० लोकपति त्रिपाठी स्वास्थ्य मंत्री थे। तब कृष्णवीर सिंह कौशल की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गयी थी, जिसने दौरा करने के बाद अपनी रिपोर्ट दी थी।

[नत्थी (ख) तारांकित प्रश्न संख्या–1 पुकारे जाने पर]

(श्री हरेन्द्र सिंह, श्री राकेश सचान, श्री बी० एम० सिंह तथा श्री समीर भाटी सदन के फ्लोर पर आकर शान्तिपूर्वक बैठ गये)

श्री अध्यक्ष–

अब इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता।

श्री अशोक कुमार सिंह चन्देल–

एक भी अनुपूरक प्रश्न भारतीय जनता पार्टी के लोगों की तरफ से नहीं पूछा गया। वह पी० सी० एस० अधिकारी भारतीय जनता पार्टी का कृपापात्र है, यह लोग खुद सरकार को बचाने की कोशिश कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष–

मैंने अपना निर्णय दे दिया है।

श्रीं जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, उस परगनाधिकारी की भारतीय जनता पार्टी से सांठ-गांठ है।

(व्यवधान के मध्य)

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, वहां के परगनाधिकारी भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं और उस परगनाधिकारी के खिलाफ यह सरकार कोई कार्यवाही नहीं कर रही है।

श्री अशोक कुमार सिंह चन्देल–

मान्यवर, भारतीय जनता पार्टी ने सम्मानित विधायक के प्रकरण में एक शब्द भी नहीं कहा है क्योंकि जिस अधिकारी ने माननीय सदस्य को अपमानित किया है, वह भारतीय जनता पार्टी का समर्थक है।

(भारतीय जनता पार्टी के कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर)

श्री अध्यक्ष–

आप लोग आपस में बात मत करिये। माननीय दीक्षित जी आप बैठ जायें।

श्री अशोक कुमार सिंह चन्देल–

[x x x]

श्री अध्यक्ष–

लिखा नहीं जायेगा।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, एक निवेदन मेरा सुन लें। यह प्रकरण जिस समय सदन में आया था उस समय इस पर आपने अपनी व्यवस्था सुरक्षित रखी थी, पूरे सदन की इच्छा थी कि कुछ माननीय सदस्यों को ले करके एक समिति का गठन कर दें जो मौके पर जा करके अपनी रिपोर्ट दे। यह प्रकरण विचाराधीन था और

नोट :– [x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

आज यहां पर आया है। यहां पर ऐसे मौके आये हैं जब प्रश्नों के प्रहर में ही समिति गठित की गयी है. और समिति ने जा करके मौके पर जांच करके दूसरे दिन रिपोर्ट दी है, सदन उठ गया है। जब तक समिति की रिपोर्ट नहीं आ गयी तब तक सदन की बैठक नहीं हुई। एक प्रकरण कानपुर का आया था जब रेल रोको आन्दोलन के दौरान जाम लगा था, उसकी गंभीरता को देखते हुये इस सदन की एक समिति भेजी गयी थी।

श्री अध्यक्ष–

हमको जो निर्णय देना था, वह हमने दे दिया।

(श्री अशोक कुमार सिंह चन्देल भी सदन की फ्लोर में आ गये।)

श्री सुरेश प्रताप सिंह–

मान्यवर, मेरा एक निवेदन सुन लें।

(भाजपा के कई सदस्यों के एक साथ खड़े होकर बोलने पर)

श्री अध्यक्ष–

आप सब बोलिये, कौन मना करता है ?

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, इनका भी बोलने का अधिकार है, इनको भी बोलने का अवसर मिलना चाहिए, हम इससे पूरी तरह से सहमत हैं। यहां पर माननीय सदन के एक सम्मानित सदस्य का प्रकरण है और उनके साथ इस नौकरशाही ने दुर्व्यवहार किया है, झूठे मुकदमें कायम करके उनको बेइज्जत करने की कोशिश की गयी है। आज अगर जनता दल के माननीय सदस्य के साथ ऐसा हुआ है, कल दूसरे दल के माननीय सदस्यों के साथ भी ऐसा हो सकता है।

श्री अध्यक्ष–

माननीय वर्मा जी मैंने निर्णय दे दिया है। प्रश्न पूछने पर इससे ज्यादा क्या हो सकता है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।...

श्रीमन्, मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो माननीय सदस्य खड़े हुये हैं उनको क्या बोलने के लिये कहा गया है या आपने दूसरे सदस्यों को बोलने की अनुमति दी है। आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं कि मैं बाहर था और सुन रहा था कि यहां पर कहा गया कि भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं बोले हैं, लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी के लोग बोलने के लिये खड़े हुये हैं तो उनके बोलने पर अकारण व्यवधान डाला जा रहा है, आपने बोलने की अनुमति दी है या पाल साहब को बोलने की अनुमति दी है, जिन माननीय सदस्यों को बोलना है आप बता दें कि क्या आपने अनुमति दी है ?

श्री अध्यक्ष–

मैंने अनुमति दी थी।

श्री सुरेश प्रताप सिंह–

मान्यवर, मेरी एक मिनट की बात सुनने के लिये तैयार नहीं है।

श्री अध्यक्ष–

श्री मित्रसेन यादव जी व्यवस्था का प्रश्न उठा रहे हैं, इसके बाद आपको मौका दे दूंगा।

श्री सुरेश प्रताप सिंह–

मान्यवर, यहां पर जो नये लोग चुनकर आये हैं उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया जाता है, आप नाम तक नहीं जानते हैं, जो बात कहते हैं, उस बात को सुना नहीं जाता है, यहां पर काफी दिनों से बजट पर चर्चा हो रही है लेकिन बोलने का मौका नहीं मिलता है। व्यवस्था का प्रश्न यह है कि इस सदन के अन्दर और बाहर सारी बातों की चर्चा होती है लेकिन सदस्यों द्वारा कहीं हुयी बातों की ओर ध्यान नहीं जाता है और न ही उनको सुनने के लिये ज्यादा मौका दिया जाता है। कृपा करके इसके लिये एक "टाइम बाउण्ड प्रोग्राम" के अन्तर्गत कर दिया जाय, जो यह अन्तर है उसका फैसला हो जाना चाहिए।

श्री अध्यक्ष–

यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

श्री मित्रसेन यादव–

मान्यवर, श्री बी० एम० सिंह जी का प्रश्न आया, सम्मानित सदस्य का सवाल है, यह बहुत ही सीधे सादे आदमी है। इस सदन में यह प्रकरण उठाया जा चुका है कि नैपाल से लड़कियों को लाकर उनकी नसबन्दी कर दी जाती है, कई अधिकारी इस तरीके के मामले में लिप्त हैं, अखबारों में छपा है, इससे पीड़ित होकर इनके खिलाफ कार्यवाही की गयी है। माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा और आपसे अनुरोध करूंगा कि सम्मानित सदस्य सीधे सादे हैं, जनहित में प्रश्न उठाते हैं इससे अधिकारियों के ऊपर आंच आती है जिससे सदस्यों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, अतः इस प्रकरण को गंभीरता से लिया जाना चाहिए, सही-सही कार्यवाही की जानी चाहिए। माननीय मंत्री जी भी इस पर विचार करें और इस पर गंभीरता से सोचना चाहिए तथा आश्वासन देना चाहिए, जिससे अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही हो एवं सम्मानित सदस्य का सम्मान कायम हो सके।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, चाहे निर्णय दे दें या सुन लें। आपने अभी निर्णय नहीं दिया बल्कि इस प्रकरण को प्रश्न एवं संदर्भ समिति को संदर्भित किया। मान्यवर, आप और यह सम्मानित सदन इस बात से सहमत होंगे कि माननीय सदस्य के विरुद्ध जो फर्जी मुकदमें कायम किये गये हैं, जैसा कि श्री मित्रसेन यादव जी ने उल्लेख किया है। मान्यवर, इन्होंने कुछ अनियमितताओं के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ कुछ अधिकारियों के विरुद्ध आवाज उठाई तो इनके ऊपर फर्जी मुकदमें लगाये गये, वापसी की घोषणा माननीय मंत्री जी जो स्वयं इसके प्रभारी हैं पहले कर चुके हैं, सवाल यह है कि फर्जी मुकदमें वापस लिये

जायेंगे, यह अलग प्रकरण है, जो जांच का बिन्दु रह जाता है, उसकी भी सी० आई० डी० जांच करा लेगे, सी० आई० डी० जांच हो जाय । फर्जी मुकदमें वापस लेने के संबंध में कोई...

श्री अध्यक्ष–

यह इस पर विचार करेंगे ।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, औचित्य आप देख लें । राज्य मंत्री ने घोषणा की है, यहां कहा जा रहा है कि जांच सी० आई० डी० द्वारा करायी जायेगी, तो राज्य मंत्री की घोषणा से ऊपर कैसे सी० आई० डी० की जांच हो जायेगी ? दूसरी बात मान्यवर, सदस्य के सम्मान का प्रकरण है, उनको बेइज्जत भी किया गया, फर्जी मुकदमें भी लगाये गये । उचित यह होगा कि जो व्यवस्था सुरक्षित थी, इस प्रकरण पर आज के प्रश्न के साथ जोड़ते हुये व्यवस्था भी हो जायेगी, सदन की भावनाओं का और माननीय सदस्यों की भावनाओं का सम्मान भी हो जायेगा । एक मांग की गयी थी कि इस सदन के सदस्यों की एक समिति बना दी जाय और समिति वहां पर जाय और इस मामले की छानबीन करे इसके बाद वह अपनी रिपोर्ट दे, तद्नुसार कार्यवाही हो, मेरा आपसे निवेदन है कि इस संबंध में सदन के सदस्यों की घोषणा करने का कष्ट करें ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

श्रीमन्, आपने निर्णय दे दिया और इस मामले को प्रश्न एवं संदर्भ समिति के सुपुर्द कर दिया । अब नेता, जनता दल व श्री वर्मा जी को इसमें सहयोग करना चाहिये । आपने यह भी कह दिया कि सब कमेटी मौके पर भी जायेगी । मैं आपसे इतना अनुरोध करूंगा कि आप सब कमेटी को जल्दी ही मौके पर भेज दीजिये । जैसे ही इसकी रिपोर्ट आयेगी, उस पर सरकार तत्काल कार्यवाही करने हेतु विचार कर लेगी ।

श्री अध्यक्ष–

मैं जल्दी ही सब कमेटी को भेज दूंगा । मई के महीने में ही सब कमेटी को भेज दूंगा ।

श्री किरन पाल सिंह–

मान्यवर, जनवरी से यह मामला सरकार के संज्ञान में है । अभी हाउस चल रहा है । और 28 अप्रैल तक यह चलेगा । इसलिए आप इसी बीच सब कमेटी को भेज दें जो 28 अप्रैल तक अपनी रिपोर्ट दे देगी ।

श्री अध्यक्ष–

कार्यवाही तो होती रहेगी । हाउस चले या न चले ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मान्यवर, जब तक सब कमेटी की रिपोर्ट नहीं आ जाती, तब तक तो माननीय विधायक के खिलाफ कार्यवाही करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता । जब रिपोर्ट आ जायेगी तो उस पर विचार कर लिया जायेगा ।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, इसमें थोड़ा संशोधन और हो जाता तो उचित रहता । हाउस की एक तीन सदस्यीय समिति बना दी जाती ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मान्यवर, अब इसमें कोई ज्यादा चर्चा करने की जरूरत नहीं रह गयी है । यदि कोई और बात होगी तो नेता, जनता दल और वर्मा जी हमसे आकर बात कर लेंगे ।

(सदन के फ्लोर पर बैठे जनता दल के माननीय सदस्य अपने-अपने स्थान पर वापस चले गये ।)

प्रश्नोत्तर (क्रमागत)

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 29 (4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न ।]

प्रदेश में नये उद्योगों हेतु पूंजी निवेश का प्रस्ताव

*1–श्री जगदम्बिका पाल–

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में नये उद्योगों के लिये पूंजी निवेश के कितने प्रस्ताव कुल कितनी धनराशि के प्राप्त हुए हैं ? उक्त प्रस्ताव कितनी कम्पनियों की ओर से प्राप्त हुए हैं ?

सहकारिता तथा मुस्लिम वक्फ मंत्री (श्री मो० आजम खां)–

दिनांक 1-8-91 से 31-1-94 तक प्रदेश में नये उद्योगों के लिए पूंजी निवेश के 1415 इच्छा-पत्र दाखिल हुए हैं । इनमें कुल रु० 32,010.00 करोड़ का पूंजी निवेश निहित है । उक्त इच्छा-पत्र 1101 कम्पनियों की ओर से प्राप्त हुए हैं ।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, मैंने अपने मूल प्रश्न में पूछा था कि प्रदेश में नये उद्योगों के लिये पूंजी निवेश के कितने प्रस्ताव कुल कितनी धनराशि के प्राप्त हुए हैं । इसके उत्तर में माननीय मंत्री जी ने बताया है कि दि० 1-8-91 से 31-1-94 तक प्रदेश में नये उद्योगों के लिए पूंजी निवेश 1415 इच्छा-पत्र दाखिल हुए हैं और इनमें कुल रु० 32,010.00 करोड़ का पूंजी निवेश निहित है । मेरा प्रश्न यह है कि इस वर्तमान सरकार के गठित होने के बाद, उत्तर प्रदेश में क्या कोई नई औद्योगिक नीति इस सरकार ने बनाई है, यदि हां, तो वह क्या है ? दूसरा, प्रश्न मेरा यह है कि पिछले पांच महीने में कितनी कम्पनियों के प्रस्ताव आये हैं और कितने करोड़ रुपये का पूंजी निवेश इस सरकार के सामने विचाराधीन है ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, जहां तक उद्योग नीति का सवाल है, श्री पाल जी बहुत पुराने सदस्य हैं । कोई भी नई औद्योगिक नीति अकेले कोई प्रदेश सरकार नहीं बना सकती है, जब तक कि केन्द्र सरकार द्वारा कोई स्कीम तैयार न की गई हो । पुरानी जो उद्योग नीति है, उस पर ही अगर काम हो जाय, तो काफी है ।

उसी नीति में आये दिन कमियां व खराबियां सामने आती रहती हैं । आगे प्रश्न लगा हुआ है, उसमें आपके कई सवालों के जवाब आ जायेंगे । जहां तक प्रस्तावों का सवाल है, इत्तफाक से मेरे पास जो सूची है, वह कम्प्यूटेराइज्ड सूची है, यह काफी बड़ी है । यह केन्द्र सरकार से आई है । इसको पढ़ने में काफी समय चाहिये । केन्द्र सरकार से ही यह लिस्ट बनती है । यह लिस्ट है, इसमें कौन लिमिटेड कम्पनी है उसका इसमें जिक्र है लेकिन किन जिलों में हैं यह नहीं है । कितना पैसा लगना है वह सब है। यह लम्बी लिस्ट है मैं माननीय सदस्य चाहें तो देखने के लिये दे सकता हूं ।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, मैं यह जानना चाहता हूं कि कितनी स्वीकृतियां पिछले 5 महीनों में जारी हुई, औद्योगीकरण के लिये कितना पूंजी निवेश हुआ, भारत सरकार को जितने आशय-पत्र प्राप्त हुये वह सब उत्तर प्रदेश में परीक्षण के लिये भेज दिये होंगे । इन पांच महीनों में उद्योग लगने के लिये क्या प्रगति हुई, फाइनेंसियल इंस्टीट्यूशन ने कितना पैसा लगाया, नये उद्योग लगाने के लिये कितना पूंजी निवेश हुआ ।

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, यह तो पूरे साल के बाद एक चार्ट तैयार होता है कि साल भर में कितना हमें देना है और क्या पोजीशन रही । जितना डिटेल यह बता रहे हैं उसके लिये तो नयी सूचना की आवश्यकता होगी ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं यह जो सूची आपके पास है लम्बी है । भारत सरकार की जो उद्योग नीति है उसका अनुपालन उत्तर प्रदेश करता है कि अब लाइसेंस की आवश्यकता नहीं रही । तो जो-जो आवेदन पत्र प्राप्त हुये वह उन्होंने आपके पास भेज दिये । बिन्दु यह नहीं है कि कितने प्रस्ताव आये या किसने भेजे । इनमें से एक बहुत छोटी लिस्ट बनी होगी, एक व्यावहारिक सवाल है उनमें से किसी कम्पनी का प्रस्ताव स्वीकार किया होगा तो क्या उन्होंने अपनी फैक्ट्री इंस्टाल कर ली है, या इंस्टालेशन की प्रक्रिया किस स्टेज पर है, उन्होंने पिकअप से लोन मांगा होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिये जमीन मांगी होगी । तो कितनी कम्पनी ऐसी हैं जिन्होंने कार्यशील रूप से फैक्ट्री इंस्टाल करने के लिये अनुमति मांगी क्योंकि उन्होंने सीरियसली अनुमति मांगी होती तो मामला पिकअप में होगा, या जमीन एक्वायर करने का मामला होगा तो कितने इस तरह के प्रार्थना-पत्र कार्यशील रूप में हैं ताकि फैक्ट्री जल्दी लगाई जाय । इसके बारे में आपने कोई नयी औद्योगिक नीति बनाई होगी और उसकी कार्य योजना सरकार के सामने होगी तो वह क्या है ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, कोई नयी उद्योग नीति नहीं है लेकिन जो आपकी मंशा है जो पहले से मंजूर हैं उनको जल्दी लगाया जाय उस सिलसिले में सरकार फिक्रमंद है और रहेगी । माननीय पाल जी ने जो पूछा है वह इसका हिस्सा नहीं । आपने जो प्रश्न पूछा था उसका जवाब इसमें है । अगर जो यह पूछा कि 5 महीने में कितने लोगों ने एप्लाई किया, कितनों को मंजूरी प्राप्त हुई यह अलग प्रश्न है इसके लिये अलग से जानकारी दे सकता हूं अगर आप चाहेंगे तो ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

जो सवाल पूछा मा० पाल साहब ने वह प्वाइंटेड था । सैकड़ों लोगों ने आवेदन-पत्र दिये होंगे लेकिन आपने कोई लिस्ट बनाई होगी 5.7 ने जितने भी हों, जिन्होंने गम्भीरता से काम करने का फैसला किया होगा, उनकी पत्रावली इधर-उधर गयी होगी तो उन कम्पनियों के नाम क्या हैं, कोई नयी नीति नहीं होगी वह मैं जानता हूं लेकिन कितनों को इंफ्रास्ट्रक्चर की सुविधा दी होगी ताकि कम्पनियां कार्यशील बन जायं, अगर इस प्रकार की कार्य योजना नहीं है तो यह चिन्ता का विषय है । तो मैं जानना चाहता हूं कि यह योजना क्या है और उन कम्पनियों के नाम क्या हैं ?

श्री अध्यक्ष–

जो जिज्ञासा है आपको जानकारी है तो दे दें ।

श्री मोहम्मद आजम खां–

जिज्ञासा माननीय सदस्य की सही है, मेरे सामने इस प्रश्न से संबंधित सारी जानकारी है । क्योंकि यह प्रश्न इससे बिल्कुल अलग है, कितने प्रस्ताव मंजूर हुये, कितने लोगों ने एप्लाई किया यह अलग से प्रश्न करें, जानकारी मैं दे सकता हूं ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

आप या तो मेरा प्रश्न ग्राह्य न करते लेकिन मंत्री जी के पास जानकारी है किन्तु वह बताना नहीं चाहते हैं, तो यह तो पीठ का अपमान है, इसलिये मान्यवर, आप उत्तर दिला दें ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, बहुत से ऐसे आईटम हैं जो डिलाइसेन्स हो गये हैं और 17-18 ऐसे उद्योग हैं जिनको लाइसेन्स की जरूरत होती है और केन्द्र सरकार की सहमति जरूरी होती है । छोटे और मध्यम उद्योग की ईकाइयां जो लग रही हैं उनमें लाइसेन्स की जरूरत ही नहीं पड़ती है ।

श्री हरेन्द्र सिंह (मुजफ्फरनगर)–

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि उद्योग बन्धुओं की मीटिंग में कितने उद्योगों का रजिस्ट्रेशन किया गया और कब बैठक हुई ? क्या यह सही है कि पिकअप में सबसे बड़े डिफाल्टर संजय डालमियां को निदेशक मण्डल में शामिल करने के कारण उद्योगपतियों का पिकअप से विश्वास उठ रहा है ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, यह सूचना मा० सदस्य से मिली है क्योंकि 5 महीने अभी पूरे नहीं हुए हैं, एकदम सूची तैयार नहीं होती है, इसलिये इसमें अभी समय लगेगा ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

अब नहीं । आप लोग बैठ जायें । इसमें काफी प्रश्न हो गये हैं । प्रश्न संख्या–2, श्री श्यामदेव राय चौधरी । (व्यवधान) (कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर) आप लोग बैठ जाएं । अब मैं आगे बढ़ गया हूं । यदि कोई बात हो तो लिखकर दे दें ।

बाल श्रमिक समस्या उन्मूलन नीति के अन्तर्गत लिये गये निर्णयों को प्रदेश में लागू करने की कार्यवाही

*2–श्री श्यामदेव राय चौधरी 'दादा'–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि बाल श्रमिक समस्या उन्मूलन नीति के अन्तर्गत नई दिल्ली में 42वें सम्मेलन में लिये गये निर्णयों को लागू करने की दिशा में प्रदेश में क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

कारागार, राजनैतिक पेंशन तथा होम गार्ड्स मंत्री (श्री अवधेश प्रसाद)–

बाल श्रमिक समस्या उन्मूलन नीति के अन्तर्गत नई दिल्ली में 42वें श्रम मंत्री सम्मेलन में लिये गये, निर्णयों को लागू करने की दिशा में प्रदेश सरकार द्वारा निम्न कार्यवाही की गयी है :–

(1) वैधानिक उपबन्धों को लागू करने के लिए विभिन्न श्रम अधिनियमों के अन्तर्गत निरीक्षण एवं अभियोजन की व्यापक कार्यवाही की गयी । इस कार्यवाही को और भी प्रभावी बनाने तथा प्रवर्तन तंत्र को मजबूत बनाने का निर्णय लिया गया है ।

बाल श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 के तहत नियमावली बनाने का निर्णय लिया गया ।

(2) बाल श्रमिक समस्या पर विचार करने एवं निराकरण हेतु राज्य स्तरीय समिति के पुनर्गठन का निर्णय लिया गया, जिसमें शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, महिला एवं बाल कल्याण विभाग तथा यूनिसेफ आदि के अलावा गैर सरकारी संस्थाओं के पांच सदस्य, इनमें एक महिला सदस्य भी हो, दो शिक्षाविद व बाल श्रमिकों के कार्य से सम्बद्ध चार श्रमिक प्रतिनिधियों के नाम रखे जाने का निर्णय लिया गया ।

(3) स्वयं सेवी संस्थाओं के माध्यम से राष्ट्रीय बाल श्रमिक परियोजना के अन्तर्गत 49 विद्यालय स्थापित हैं । इन विद्यालयों में बाल श्रमिकों को अनौपचारिक प्रशिक्षण एवं औपचारिक शिक्षा दी जाती है । प्रत्येक बाल श्रमिक को 100 रु० प्रति माह छात्रवृत्ति भी दी जाती है ।

अलावा कालीन उद्योग में बाल श्रम प्रथा के उन्मूलनार्थ एवं बाल श्रमिकों के कल्याण हेतु एक योजना भारत सरकार के माध्यम से अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन को विचारार्थ भेजी गयी है, जिसमें स्वैच्छिक संस्थाओं, श्रमिक संगठन व सेवायोजक संगठनों को सम्बद्ध किया जाना प्रस्तावित है ।

(4) बाल श्रमिकों के नियोजन को हतोत्साहित करने के उद्देश्य से न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत नियोजनों की पुनरीक्षित दरों में यह प्राविधान किया गया है कि बालकों को देय मजदूरी दर किसी वयस्क कर्मचारी को मिलने वाली मजदूरी दर से 95 प्रतिशत से कम नहीं होगी ।

श्री श्यामदेव राय चौधरी 'दादा'–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी द्वारा दिये गये उत्तर के खण्ड (1) के सम्बन्ध में यह जानना चाहूंगा कि इसमें जो उपबन्धों को लागू करने की कार्यवाही की गई है, उसके तहत अभियोजन की

कितनी कार्यवाहियां की गईं ? तथा खण्ड (3) के सम्बन्ध में यह जानना चाहूंगा, इसमें बताया गया है कि 49 विद्यालय स्थापित हैं और उनमें बाल श्रमिकों को अनौपचारिक प्रशिक्षण आदि की शिक्षा दी जाती है, तो उसमें कितने बाल श्रमिक अब तक इससे लाभान्वित हुए हैं ?

श्री अवधेश प्रसाद–

मान्यवर, प्रथम सवाल के जवाब में यह बताना चाहता हूं कि 27 हजार निरीक्षण किये गये थे और पांच हजार अभियोजन दर्ज किये गये तथा दूसरे के जवाब में 2374 बाल श्रमिक इसमें पढ़ चुके हैं।

श्री अध्यक्ष–

मैं समझता हूं कि इसमें पूरा उत्तर आ चुका है।

श्री रंगनाथ–

इसमें मा० मंत्री जी ने बताया है कि 49 विद्यालय स्थापित किये गये हैं, किन्तु एक अतारांकित प्रश्न के उत्तर में इस सत्र के प्रथम मंगलवार को मुझे बताया गया था कि 20 विद्यालय स्थापित किये गये हैं, तो मैं यह जानना चाहता हूं कि सरकार ने तारांकित सवाल के जवाब में या अतारांकित सवाल के जवाब में झूठ बोलने का निर्णय लिया है ? इसमें कहीं न कहीं विरोधाभाष है। एक और मेरा प्रश्न है, इन्होंने यह कहा है कि कालीन उद्योग में बाल श्रमिकों के कल्याण हेतु एक योजना भारत सरकार को भेजी गई है, तो वह कौन सी योजना भेजी गई है ?

श्री अवधेश प्रसाद–

यह 49 विद्यालय ही हैं, यह कहां-कहां हैं, इसकी भी पूरी जानकारी मेरे पास है, यह उत्तर बिल्कुल सही है, इसमें किसी बात को छिपाया नहीं गया है। दूसरी चीज जो योजना भेजी गई है वह 1 करोड़ 71 लाख की है। वह योजना बाल श्रमिकों के विकास के लिए है, जिससे उनका शोषण न हो, उनके शारीरिक उत्थान और विकास में कोई बाधा न हो। इन सारी बातों को देखने के लिए यह योजना भारत सरकार को भेजी गयी है।

(तारांकित प्रश्न संख्या–3 पुकारे जाने तथा मंत्री जी के खड़े न होने पर)

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, इनके जिले का मामला है। मंत्री जी थोड़ा डरते भी हैं।

श्री ऊदल–

अच्छी बात है, डरना भी चाहिए।

श्री राम आसरे वर्मा–

वर्मा, वर्मा से ही तो डर रहा है।

श्री अध्यक्ष–

आप भी तो उसी में शामिल हैं।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मान्यवर, मैं पहले वाले प्रश्न के बारे में ही सुन रहा था।

प्रदेश में घटित महिला उत्पीड़न एवं बलात्कार की घटनाओं को रोकने सम्बन्धी किए गए उपाय की जानकारी की मांग

*3–श्रीमती राजलक्ष्मी वर्मा तथा श्रीमती प्रेमलता कटियार–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पिछले दो माह में प्रदेश में घटित महिला उत्पीड़न एवं बलात्कार की घटनाओं को रोकने के लिए शासन ने क्या उपाय किये हैं ? क्या मंत्री जी प्रत्येक जिला मुख्यालय पर महिला थाना स्थापित करायेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

संदर्भित अवधि में प्रश्नगत घटनाओं में अपराधियों एवं लापरवाही बरतने हेतु कार्मिकों के विरुद्ध तात्कालिकता के आधार पर कठोरतम कार्यवाही करने के साथ-साथ ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए शासन द्वारा निम्नांकित अन्य उपाय किये गये हैं :–

(1) समस्त परिक्षेत्रीय मुख्यालय (परिक्षेत्र फैजाबाद को छोड़कर, जहां कार्यवाही क्रमित है) में 12 स्थानों पर महिला थानों की स्थापना कर दी गई है,

(2) प्रदेश के समस्त जनपदों में पूर्व में स्थापित महिला सहायता प्रकोष्ठ के सुदृढ़ीकरण पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है,

(3) परिवारों को उचित परामर्श देकर टूटने से बचाने के उद्देश्य से लखनऊ स्थित अपराध अनुसंधान विभाग के मुख्यालय में पूर्व में स्थापित महिला सहायता प्रकोष्ठ में 3 प्रशिक्षित मनोवैज्ञानिकों की नियुक्ति की गई है। प्रदेश के प्रत्येक जनपद मुख्यालय पर महिला पुलिस थानों की स्थापना का कोई प्रस्ताव सम्प्रति शासन के विचाराधीन नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्रीमती राजलक्ष्मी वर्मा–

मान्यवर, मेरे सवाल का उत्तर आया है कि फैजाबाद परिक्षेत्र में महिला थाने की स्थापना अभी नहीं की गई है। मैं जानना चाहती हूं कि इसकी स्थापना कब तक कर दी जायेगी और दूसरा प्रश्न यह है कि महिला सहायता प्रकोष्ठ जो प्रत्येक जिले में सुदृढ़ीकरण के लिये आपने प्रस्तावित किया है क्या इसे तहसील स्तर पर भी लागू किये जाने की कृपा करेंगे क्योंकि दूर दराज से महिलाएं अधिकतर जिला मुख्यालय पर आ पाने में सक्षम नहीं हैं।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

श्रीमन्, अभी महिला थाना सभी परिक्षेत्रीय मुख्यालयों पर स्थापित किया गया है सिर्फ फैजाबाद को छोड़ा गया है। हर जिला मुख्यालय पर महिला प्रकोष्ठ भी है। इसके अलावा यहां जो अपराध अनुसन्धान का मुख्यालय है वहां पर महिला प्रकोष्ठ भी खोला गया है जिसमें मनोवैज्ञानिकों को भी रखा गया है। अभी जिला स्तर पर या तहसील स्तर पर शासन के विचाराधीन है।

एक सदस्य–

श्रीमन्, यह महिलाओं से संबंधित मामला है।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, महिलाओं से संबंधित मामला है तो जवाब माननीय मंत्री जी क्यों दे रहे हैं ? किसी महिला से दुलवा लेते !

श्रीमती प्रेमलता कटियार–

माननीय, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से एक जिज्ञासा है कि 50 फीसदी आबादी से जुड़ा प्रश्न है और इसका उत्तर बहुत ही हल्के ढंग से और तोड़-मरोड़ कर देने का प्रयास हुआ है, मूल्य प्रश्न में जिज्ञासा यह है कि आज जिस तरीके से महिला उत्पीड़न, पारिवारिक बिखराव और बलात्कार की स्थिति प्रदेश में है उसको देखते हुए प्रत्येक जिला मुख्यालय पर महिला थानों की स्थापना होगी ? परिक्षेत्र स्तर पर 12 थानों की स्थापना हो गयी । एक तो यह जिज्ञासा है कि कानपुर और लखनऊ छोड़कर 10 थानों में कब से कार्य प्रारम्भ हुआ और प्रत्येक माह की जो शिकायत पंजीकृत हुई हैं, उनकी संख्या कितनी है और उनका नेचर क्या है ? दूसरा प्रश्न यह है कि जो वर्तमान शासन है, उसकी नीति से ध्वनि आती है उन्हें दण्ड उन्मूलन के नाम पर, शांति व्यवस्था के नाम पर, धर्म के आधार पर सुरक्षा बल की आवश्यकता तो होती है । लेकिन 50 फीसदी वाली महिलाओं के मान, सम्मान और सुरक्षा का सवाल है । इनको जनपद में महिलाओं के थाने की आवश्यकता नहीं लगती है ।

(व्यवधान)

आपने जो प्रश्न का उत्तर दिया है वह तोड़-मरोड़ कर दिया है । आवश्यकता का अनुभव करते हुए आप प्रत्येक थाने में एक महिला सब-इंस्पेक्टर दो महिला कांस्टेबिल की व्यवस्था करेंगे ?

श्री अध्यक्ष–

आप 50 प्रतिशत आबादी की उपेक्षा कर रहे हैं तो आप क्यों उपेक्षा कर रहे हैं ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

इस मामले में सरकार जानती है ।

(व्यवधान)

श्री जगदम्बिका पाल–

इसीलिए एक भी महिला को मंत्रिमण्डल में नहीं रखा है जबकि महिला सदस्या मौजूद हैं । यह सरकार कितनी महिलाओं के प्रति संवेदनशील है इसको मंत्री जी बतायेंगे ?

(व्यवधान)

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

हमारी सरकार बनने के बाद ही अपराध अनुसंधान शाखा के अन्तर्गत महिला प्रकोष्ठ की स्थापना की गई महिला वैज्ञानिक परिवार परामर्शी की स्थापना की गई । घरेलू विवादों को सुलझाने और परामर्श देने के लिए पहले से ज्यादा प्रभावी कार्यवाही कर रहे हैं । इस सरकार ने 12 नगरों में 12 महिला प्रकोष्ठ खुलवाये हैं । कई मामले ऐसे होते हैं कि महिलायें संकोचवश पुरुषों के सामने बात नहीं कह पाती हैं इसलिए मनोवैज्ञानिकों को सामने लाकर किसी तरह उसको निपटाने का प्रयास किया गया है और समय-समय पर आवश्यकताओं की देखते हुए सरकार काम करेगी ।

श्रीमती प्रेमलता कटियार–

मान्यवर, एक भी प्रश्न का उत्तर अभी नहीं आया है।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

हम अभी बैठे नहीं हैं यह माननीय सदस्या सरकार में रह चुकी हैं आपकी सरकार महिलाओं के मामले में संवेदनशील नहीं थी ऐसे ही आप हमारी सरकार के लिए भी सोच रही हैं।

(व्यवधान)

श्रीमती प्रेमलता कटियार–

12 थाना क्षेत्रों में 30 दिन में जो शिकायतें पंजीकृत की गईं उनका औसत क्या है किस तरह केसेज आते हैं उनकी संख्या क्या है ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

यह सूचना मूल प्रश्न के संदर्भ में मंगाना अपेक्षित नहीं था।

(व्यवधान)

श्री हरेन्द्र सिंह (मुजफ्फरनगर)–

श्रीमन् मुजफ्फरनगर में पुलिस ने एक हरिजन महिला को नंगा किया, यह मामला पहले भी इस सदन में आ चुका है मैं आपके माध्यम से जानकारी चाहूंगा कि उन दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

इस मामले में पहले भी प्रश्न उठ चुका है मुझे स्मरण पड़ रहा है इसमें सी० आई० डी० की जांच की घोषणा भी की जा चुकी है इसमें आश्वासन हो चुका है।

(श्री हरेन्द्र सिंह के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष–

अब इसमें आश्वासन तो हो चुका है।

(व्यवधान)

श्रीमती प्रेमलता कटियार–

कानपुर, लखनऊ को छोड़कर बाकी 10 थाना क्षेत्र में कब से कार्य प्रारम्भ किया गया ?

(व्यवधान)

[मंगलवार दि० 19 अप्रैल 1994 के लिए निर्धारित तारांकित प्रश्न]

फ्लोट ग्लास इंडस्ट्री की स्थापना एवं प्रगति

*1–श्री श्यामदेव राय चौधरी 'दादा'–

क्या उद्योग मंत्री कृपया बतायेंगे कि "फ्लोट ग्लास इंडस्ट्री" की स्थापना में क्या प्रगति है ? इसके लिये कौन सी वित्तीय संस्थायें कितना धन उपलब्ध करा रही हैं ? इसमें कितने लोगों को रोजगार का अवसर उपलब्ध होगा ? उसके प्रमोटर और को-प्रमोटर कौन-कौन हैं ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

परियोजना स्थापना का 48 प्रतिशत कार्य हो चुका है । वित्तीय संस्थाओं द्वारा पूर्ण ऋण वितरित न किये जाने से उत्पन्न धनाभाव के कारण लगभग 2 वर्ष से कार्य में प्रगति नहीं हुई है । वित्तीय संस्थाओं ने ऋण अवमुक्त करने के पूर्व उपयुक्त सहप्रर्वतक के चयन की शर्त रखी है । प्रदेश सरकार द्वारा हरियाणा शीट ग्लास को सहप्रर्वतक के रूप में चयनित किया गया था किन्तु वित्तीय संस्थाओं ने इसमें अपनी असहमति व्यक्त की तथा पुनः नये सहप्रर्वतक के चयन के निर्देश दिये । सहप्रर्वतक के चयन के प्रयास जारी हैं । इस परियोजना हेतु निम्न वित्तीय संस्थाओं द्वारा धन उपलब्ध कराया गया है :–

रुपया ऋण

आई० डी० बी० आई०	5800 लाख
आई० एफ० सी० आई०	2300 लाख
आई० सी० आई० सी० आई०	3650 लाख
यू० टी० आई०	600 लाख
बैंक : हटको	3304 लाख
योग ...– रु०	15654 लाख

विदेशी मुद्रा ऋण

आई० डी० बी० आई०	4027 लाख
आई० एफ० सी० आई०	2026 लाख
योग ...– रु०	8053 लाख

(26.84 मिलियन अमेरिकी डालर)

इसमें लगभग 725 लोगों को प्रत्यक्ष एवं 10,000 लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार उपलब्ध होगा ।

यह परियोजना राज्य सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम के माध्यम से प्रमोट की गयी हैं एवं इसके को-प्रमोटर खाड़ी देश के गल्फ डेवलपमेंट मरीन सर्विसेज/अब्दुल्ला अहमद नास हैं । को-प्रमोटर को यह छूट थी कि एक निजी भारतीय सहयोगी एवं विदेशी सहयोग रख सकते हैं । जिनके भारतीय सहयोगी श्रीमंत कान्टीनेन्टल कन्सट्रक्शन लि० एवं विदेशी सहयोगी पिलकिंग्टन ब्रदर्स पी० एल० सी० तथा हाजी अल अली हैं ।

श्री श्याम देव राय चौधरी–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि कई हजार करोड़ रुपए की लागत से यह कारखाना बनेगा। जैसा कि उत्तर में बताया गया है कि इसमें 725 लोगों को प्रत्यक्ष और 10,000 लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से रोजी-रोटी मिलने वाली है। यह जो प्रदेश सरकार द्वारा हरियाणा शीट ग्लास को प्रमोटर के रूप में दिया गया, लेकिन उसको जो अस्वीकृत किया गया उसके पीछे क्या कारण दर्शाए गए ? इसका जल्दी से निराकरण हो जाए, इसके लिए सरकार क्या कर रही है ? और इसके क्या विकल्प सुझाए हैं ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

मैं दूसरे सवाल का पहले जवाब दे दूं। यह बड़ा ही दुखद विषय है। जितना बड़ा धन इसमें लगा हुआ है। यह धन बिल्कुल डम पड़ा हुआ है। इसमें हालत यह है कि 1985 में यह परियोजना स्वीकृत हुई तथा 1985 से लेकर आज तक इस परियोजना के साथ यह बदनसीबी है। इसमें जितना कार्य हो गया, उतना रुका हुआ है। कर्ज का बोझ बढ़ा है। सिर्फ कर्ज का बोझ नहीं बढ़ा है, बल्कि 11.11.50 लाख रुपए इस पर रोज ब्याज का लग रहा है। इसमें जितनी कमजोर प्रगति से काम हो रहा है अगर, इसी स्पीड से काम हुआ, तो इसमें जितने का प्रोजेक्ट था, उससे ज्यादा तो ब्याज और कर्ज का पैसा हो जाएगा। इसे हम खुद बड़ी संजीदगी से ले रहे हैं तथा हमारे स्तर से जो हो सकेगा हम इसमें करेंगे।

श्री श्याम देव राय चौधरी–

मान्यवर, मेरा प्रश्न बड़ा प्वाइंटेड था। माननीय मंत्री जी ने कहा है कि हरियाणा शीट ग्लास का नाम प्रस्तावित किया गया था लेकिन उसको अस्वीकार कर दिया गया तो मैं जानना चाहता हूं कि अस्वीकार किये जाने के क्या कारण थे ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया है उसका जवाब मैंने पहले दे दिया है। प्रदेश सरकार द्वारा हरियाणा शीट ग्लास को सह प्रवर्तक के रूप में चयनित किया गया किन्तु वित्तीय संस्थाओं ने इसमें अपनी असहमति व्यक्त की।

(अगला प्रश्न पुकारे जाने पर।)

श्री श्याम देव राय चौधरी–

मान्यवर, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया है।

श्री अध्यक्ष–

अब मैंने अगला प्रश्न ले लिया है, आपके प्रश्न का उत्तर आ गया है।

पुलिस विभाग में थानाध्यक्ष के पद पर चयनित होने की अर्हता एवं समय का निर्धारण

*2–श्री तेजभान सिंह–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि दिनांक 1-4-93 तक पुलिस इन्सपेक्टर के चयन हेतु 3 वर्ष तक थानाध्यक्ष के पद पर कार्य करने वालों की तथा 10 वर्ष सेवा पूर्ण होने की ही अर्हता मानी गयी है ? यदि हां, तो क्या इस अवधि में चयन पूर्ण कर लिया गया है ? यदि नहीं, तो क्या इस आदेश को निरस्त करके समयावधि दिसम्बर, 93 तक बढ़ा कर नये प्रतिभावान व कुछ अनुसूचित जाति व पिछड़ों को इन्सपेक्टर के पद पर चयन का अवसर दिलाने के लिये कोई नई तारीख की घोषणा मंत्री जी करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

जी नहीं ।

शासनादेश संख्या–6379/आठ-ए, दिनांक 5-11-65 के अनुसार निरीक्षक, ना० पु० के पद पर पदोन्नति हेतु चयन में सम्मिलित होने के लिये उप निरीक्षक, ना० पु० के पद पर 10 वर्ष की सेवा पूर्ण होने की अर्हता निर्धारित है । शासनादेश संख्या–4241/आठ-1-9/72, दिनांक 7-10-72 द्वारा पहले से ही पात्रता का क्षेत्र बढ़ाने के उद्देश्य से प्रथम जनवरी के स्थान पर प्रथम अप्रैल निर्धारित किया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

*3–श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल–

[दि० 23-2-94 को अल्प सू० ता० प्र० सं० 5 से -2 द्वारा उत्तरित]

*4–श्री सुरेश कुमार खन्ना–

[दि० 23-2-94 को अल्प सू० ता० प्र० सं० 5 से -2 द्वारा उत्तरित]

प्रदेश में रिक्त पदों पर अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों का चयन

*5–श्री प्रीतम सिंह (देहरादून)–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिये रिक्त पदों के विरुद्ध यदि इन जातियों के योग्य अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होते तो क्या इन रिक्तियों के विरुद्ध पिछड़ी जाति के योग्य अभ्यर्थियों को नियुक्त करने पर सरकार विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

आरक्षित रिक्ति को उसी वर्ग के योग्य अभ्यर्थी द्वारा भरे जाने के उद्देश्य से दिनांक 23 मार्च, 1994 को उत्तर प्रदेश अधिनियम सं० 4 सन् 1994 प्रख्यापित कर यह प्रावधान किया गया है कि यदि भर्ती के किसी वर्ष में आरक्षित वर्ग की किसी श्रेणी के लिये आरक्षित कोई रिक्त बिना भरी रह जाय तो उस श्रेणी से सम्बन्धित व्यक्तियों में से ऐसी रिक्ति को भरने के लिये विशेष भर्ती, 3 से अनधिक, उतनी बार की जायेगी, जैसी आवश्यकता समझी जाये ।

श्री प्रतीम सिंह (देहरादून)–

मान्यवर, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि प्रदेश में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के किस-किस श्रेणी के कितने पद रिक्त हैं ? दूसरी बात मैं यह जानना चाहता हूं कि इन पदों को भरने के लिये सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की है ?

श्री अवधेश प्रसाद–

मान्यवर, माननीय सदस्य ने जो मूल सवाल किया था उसका उत्तर दे दिया गया है । आपने यह प्रश्न किया है कि प्रदेश में विभिन्न श्रेणी के कितने पद रिक्त हैं तो यह मूल सवाल से हटकर है, मूल सवाल से इसका संबंध नहीं है । आपने यह जानना चाहा है कि सरकार ने अब तक क्या किया तो श्रीमन् मूल प्रश्न के उत्तर में कहा गया है कि हमारी सरकार ने 23 मार्च, 1994 को एक नियम बनाया है कि यदि कोई आरक्षित श्रेणी की रिक्ति रह जाती है तो उस श्रेणी से संबंधित व्यक्तियों में से ऐसी रिक्ति को भरने के लिये विशेष भर्ती 3 बार की जायगी ।

प्रदेश में अनुसूचित जाति/पिछड़ी जाति व अल्प संख्यक वर्ग के जिलाधिकारी के तैनाती का विवरण

*6–श्री छोटे लाल (अनुपस्थित)–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्तमान सरकार के गठन के पूर्व प्रदेश में कितने जिलाधिकारी अनुसूचित जाति/पिछड़ी जाति व अल्पसंख्यक वर्ग के नियुक्त थे ? क्या यह भी बतायेंगे कि वर्तमान समय में कुल कितने जिलाधिकारी प्रदेश में उक्त वर्ग के तैनात हैं ? क्या कोटे के अनुसार ही जिलाधिकारी नियुक्त किये गये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

वर्तमान सरकार के गठन के पूर्व अनुसूचित जाति के 11 तथा अल्प संख्यक वर्ग के एक अधिकारी जिलाधिकारी पद पर कार्यरत थे । इस समय अनुसूचित जाति के 17 अनुसूचित जनजजाति के एक तथा अल्प संख्यक वर्ग के तीन अधिकारी जिलाधिकारी के पद पर कार्यरत हैं । अधिकारी की उपयुक्तता के आधार पर जिलाधिकारी के पद पर तैनाती की जाती है, आरक्षण के आधार पर नहीं । पिछड़ी जाति के अधिकारियों के सम्बन्ध में कोई सूचना उपलब्ध नहीं है ।

प्रदेश में बन्दियों को पेरोल दिये जाने की प्रक्रिया

*7–श्री राम आसरे वर्मा (अनुपस्थित)–

क्या कारागार मंत्री कृपया बतायेंगे कि बन्दियों को पेरोल दिये जाने की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए मात्र जेल की रिपोर्ट को आधार मानने पर शासन विचार करेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अवधेश प्रसाद–

जी नहीं ।

जनहित में ऐसा किया जाना उचित नहीं है ।

*8–श्री राम कुमार शुक्ला–

[दिनांक 22-3-94 को अता० प्र० सं०–2 द्वारा उत्तरित]

प्रदेश में उद्योगों हेतु राज्य स्तरीय ब्यूरो की स्थापना की योजना

*9–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

क्या उद्योग मंत्री कृपया बतायेंगे कि केन्द्रीय औद्योगिक एवं वित्त पुनर्गठन (बी० आई० एफ० आर०) की तरह किसी राज्य स्तरीय ब्यूरो की स्थापना की योजना शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है तथा उसे कब तक गठित कर दिया जायेगा ?

श्री मो० आजम खां–

जी नहीं ।

वृहद् एवं मध्यम उद्योगों के लिए केन्द्र सरकार द्वारा बी० आई० एफ० आर० का गठन किया गया है ।

राज्य स्तर पर ऐसे ब्यूरो की स्थापना की योजना शासन के विचाराधीन नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

माननीय अध्यक्ष जी, शासन के मंत्रियों द्वारा सदन के बाहर बड़बोलेपन के कारण अनेक घोषणायें करने का शौक हो गया है । मैंने एक घोषणा पढ़ी थी और मैंने प्रश्न किया कि केन्द्र सरकार के बी० आई० एफ० आर० की तरह राज्य स्तरीय ब्यूरो की स्थापना विचाराधीन है उसका उत्तर आया है जी नहीं । हमारे प्रदेश में बहुत से लघु उद्योग हैं जो रुग्ण हो जाते हैं । मैं जानना चाहता हूं कि उनके पुनर्वासन के लिए राज्य सरकार ने कोई योजना तैयार की है ? जो रुग्ण लघु उद्योग हैं, उनको पुनर्वासित करने के बारे में सरकार के पास कोई योजना है ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, जहां तक उद्योगों को चलाने की बात है, आज की जो प्रचलित व्यवस्था है, उसके तहत बी० आई० एफ० आर० के द्वारा ही उद्योगों को चलाने के लिए ऋण दिया जाता रहा है । यह सही है कि जिस तरह से बड़े उद्योगों को सहायता मिलती है, उसी तरह से छोटे उद्योगों को भी मिलनी चाहिए । जहां तक छोटे और बड़े उद्योग कितने हैं, इसकी जानकारी लेनी होगी । हां 500 करीब इस तरह के मध्यम और भारी उद्योग हैं और पौने तीन लाख के करीब ऐसी छोटी यूनिट्स हैं, जिनको यह सहूलियत नहीं मिल पाती है । अगर इस पर विचार हो, तो यह अच्छा सुझाव होगा ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी के उत्तर के संबंध में मैं यह कहना चाहता हूं, माननीय मंत्री जी ने सहानुभूति जैसी चिन्ता व्यक्त की कि अगर विचार हो, तो अच्छा होगा, यह विचार तो सरकार ही करेगी । यदि इस पर विचर नहीं हो रहा है, तो इसका कारण क्या है ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, वित्तीय संसाधनों की कमी ही इसका कारण है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, पुनर्वासित करने में मात्र वित्तीय बाधा ही नहीं, अपितु प्रशासन की कार्य शैली और दक्षता की भी जरूरत पड़ती है, इसलिए इस ओर माननीय मंत्री जी ने क्या कार्यवाही की है, स्थिति स्पष्ट कर दें ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, यह तो सही है कि जो छोटी इकाई होती है, उसे धन का अभाव होता है और उसे मदद की जरूरत होती है । धन देने से ही उसकी मदद हो सकती है ।

प्रदेश में बेरोजगार युवकों को आयु सीमा में छूट देने की मांग

*10–श्री मित्रसेन यादव–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विगत अनेक वर्षों से प्रदेश सेवाओं में भर्ती पर लगे प्रतिबन्ध के कारण अधिकतम आयु सीमा पार करने वाले बेरोजगारों को प्रतिबन्ध की उक्त अवधि के बराबर आयु सीमा में छूट प्रदान की जायेगी ? यदि हां, तो कितनी अवधि तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अवधेश प्रसाद–

सरकारी सेवाओं में भर्ती पर रोक मात्र 29-6-91 से 26-9-91 तक प्रभावी रही है तदुपरान्त नियमित नियुक्तियों पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है । रोक की इस अल्प अवधि में किसी अभ्यर्थी द्वारा अधिकतम आयु सीमा पार किये जाने का दृष्टान्त शासन के समक्ष नहीं आया है । अतः अधिकतम आयु सीमा में छूट दिये जाने का अवसर नहीं बनता है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री मित्रसेन यादव–

माननीय अध्यक्ष जी, मैंने प्रश्न पूछा था कि विगत अनेक वर्षों से प्रदेश सेवाओं में नियमित नियुक्तियां विभागों में बन्द हैं और इन नियुक्तियों के न होने के कारण आयु सीमा पार कर जाते हैं तो क्या उनको आयु सीमा में छूट देने की घोषणा सरकार करेगी, इन्होंने कहा कि 6 महीने के अलावा मैंने नियमित नियुक्ति को रोका नहीं है। मैं इनसे यह पूछना चाहता हूं कि विभिन्न विभागों में जो रिक्तियां हैं उनको भरा क्यों नहीं गया और मैं यह भी जानना चाहता हूं कि किस प्रकार की नियुक्तियों पर रोक लगी थी ?

श्री अवधेश प्रसाद–

मान्यवर, मित्रसेन जी ने जो सवाल किया है कि किसी प्रकार की नियुक्तियों पर रोक थी या नहीं इस सम्बन्ध में बताना चाहता हूं कि किस प्रकार की नियुक्तियों पर रोक थी और आज भी है लेकिन नियमित नियुक्तियों पर किसी प्रकार की आज रोक नहीं है और यह इसलिए किया गया है कि यह नियमित नियुक्ति हो जायेगी तो आरक्षण के आधार पर लोग आ सकें। अनुसूचित जाति, पिछड़ी जाति के लोग आरक्षण का लाभ पा सकें इस लिए यह नियुक्तियां खोली गयी हैं और इस बात का शासनदेश निर्गत कर दिया गया है प्रदेश के सभी शासनाध्यक्षों को कि नियमित नियुक्तियों में जो आरक्षण की व्यवस्था की गयी है उसको ध्यान में रखते हुए नियमित नियुक्तियों पर भर्ती की जायेगी।

श्री ऊदल–

मान्यवर, उस रोक को हटाने के लिए कोई घोषणा माननीय मंत्री जी इस सदन में करेंगे जिसकी वजह से 60 हजार से ऊपर पद रिक्त हैं सभी विभागों में। तो क्या सरकार उसको हटाने के लिए कोई घोषणा इस माननीय सदन में करेगी ?

(व्यवधान)

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने कहा कि नियमित नियुक्तियों पर कोई रोक नहीं है, तो जिन नियुक्तियों पर जिन पदों को भरने के लिए सरकार ने रोक लगा रखी है तो क्या सरकार उस रोक को हटाने की कृपा करेगी ?

श्री अवधेश प्रसाद–

श्रीमन्, जो चिन्ता माननीय ऊदल जी को हैं उसमें मैंने पहले ही निवेदन कर दिया है कि नियमित नियुक्तियों पर किसी प्रकार का कोई रोक नहीं है और नियमित नियुक्तियां की जायं। इस सम्बन्ध में प्रदेश के समस्त विभागाध्यक्षों को, अधिकारियों को निदेशित कर दिया गया है कि नियमित नियुक्तियां करें।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, पिछड़े वर्ग के लोगों को आरक्षण दिया गया तो विभिन्न विभागों में पिछड़े अभ्यर्थियों की जहां-जहां कमी है, जहां पर उनका कोटा पूरा नहीं हो पा रहा है क्या उस कोटे को भरने के लिए तदर्थ नियुक्तियों पर विचार करेंगे ?

श्री अवधेश प्रसाद–

श्रीमन्, तदर्थ नियुक्तियों में पिछले दिनों में जो नियुक्तियां हुई हैं उसमें देखा गया है कि तदर्थ नियुक्तियों और डेलीवेजेज नियुक्तियों में बहुत घपला होता था और इसमें आरक्षण का कोटा पूरा नहीं होता था इसलिए आरक्षण का कोटा पूरा करने के लिए नियमित नियुक्ति को करने की व्यवस्था की गयी है।

श्री राम आसरे वर्मा–

जहां आरक्षण का कोटा पूरा नहीं है वहां आरक्षण के कोटा को पूरा करने के लिए क्या तदर्थ नियुक्तियों पर विचार करेंगे, मैंने यह प्रश्न पूछा था ?

श्री अध्यक्ष–

आप तो नियमित नियुक्तियां करना चाहते हैं।

श्री राम आसरे वर्मा–

यह तो मात्र दिखावे के लिए है। नियुक्तियों पर आज भी रोक लगी हुई है, आप मेरे प्रश्न का उत्तर दिलवा दें। क्या आरक्षण के कोटे को पूरा करने के लिए तदर्थ नियुक्तियों पर भर्ती करेंगे ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

नियुक्तियों पर लगे प्रतिबन्ध पर माननीय सदस्यों की जिज्ञासा है, बहुत लम्बा उत्तर इसका देने की आवश्यकता नहीं है, बहुत शीघ्र ही यह प्रतिबन्ध हटा लिया जायेगा।

(घोर व्यवधान)

श्री मित्रसेन–

मान्यवर, एक प्रश्न पूछ लेने दें।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्नों का समय समाप्त हुआ।

*11–डा० सरजीत सिंह डंग–

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया।

पश्चिमी जनपदों में बढ़ते अपराधों की रोकथाम

*12–श्री सुधीर कुमार बालियान–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि पश्चिमी जिलों में बढ़ते हुए अपराधों जैसे अपहरण, हत्या, लूट को नियंत्रित करने हेतु सरकार कोई विशेष कार्य योजना बना रही है ? यदि हां, तो यह कब तक बन जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

नोट :–तारांकित प्रश्न संख्या 10 के उपरान्त प्रश्नों का समय समाप्त हो गया।

श्री मुलायम सिंह यादव–

पश्चिमी जिलों में बढ़ते हुए अपराधों की रोकथाम के लिए शासन द्वारा विशेष प्रभावी कदम उठाये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

*13–श्री हृदय नारायण–

[तेरहवें बुधवार में अता० प्र० सं० 10 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

प्रदेश में साम्प्रदायिक दंगा की दशा में जिला अधिकारी एवं पुलिस अधीक्षकों के दायित्व का निर्धारण

*14–श्री जगदम्बिका पाल–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह निर्णय लिया गया है कि यदि प्रदेश के किसी जनपद में साम्प्रदायिक दंगा होने की दशा में जिला अधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक की जिम्मेदारी होगी ? यदि हां, तो उसके संबंध में शासन ने क्या मानक निर्धारित किये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां।

मानक निर्धारित करना संभव एवं व्यवहारिक नहीं है।

साम्प्रदायिक दंगों की प्रकृति/प्रादुर्भाव/घटनाक्रम आदि में एकरूपता न होने के कारण प्रत्येक मामले में गुणावगुण के आधार पर ही दायित्व निर्धारित किये जा सकते हैं।

प्रदेश में वर्तमान सरकार के गठन के उपरान्त हुए जातियों दंगों का विवरण

*15–श्री अखिलेश सिंह तथा श्री नरेश अग्रवाल–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्तमान सरकार के गठन की तिथि से अब तक प्रदेश में कितने जातीय दंगे हुए और क्या उनको रोकने के लिये सरकार कोई योजना बना रही है ? यदि हां, तो योजना का प्रारूप क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

प्रश्नगत अवधि में प्रदेश में कोई जातीय दंगा प्रकाश में नहीं आया है।

शेष का प्रश्न नहीं उठता है।

*16–श्री भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री नरेन्द्र सिंह तथा श्री हरक सिंह रावत–

[दि० 16-3-94 को नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य हो जाने के कारण निरस्त]

प्रदेश में बीमा चिकित्सालय तथा अस्पतालों में आम जनता को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करने की मांग

*17–श्री राजेश अग्रवाल–

क्या श्रम मंत्री को ज्ञात है कि प्रदेश में बीमा चिकित्सालय में कार्यरत स्टाफ के अनुपात में रोगियों की संख्या न्यून है ? यदि हां, तो क्या बीमा चिकित्सिालय तथा अस्पतालों में बीमित व्यक्ति के लिये विशेष सुविधा उपलब्ध कराते हुए, आम जनता को भी चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जायेगी ? यदि हां, तो आम जनता को भी चिकित्सा सुविधा प्राप्त कराने तथा सामान्य सरकारी अस्पतालों पर दबाव

कम करके गरीब जनता को लाभान्वित करने की शासन की कोई योजना है ? यदि हां, तो वह कब तक लागू हो जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी नहीं ।

राज्य सरकार एवं कर्मचारी राज्य बीमा निगम, नई दिल्ली के मध्य हुए संविदा के अनुसार बीमित व्यक्ति को अनुमन्य सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है । चूंकि कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अन्तर्गत बीमित व्यक्तियों द्वारा प्रतिमाह तथा नियोजकों द्वारा निश्चित अनुपात में अंशदान कर्मचारी राज्य बीमा निगम को दिया जाता है । इन बीमित व्यक्तियों को चिकित्सा सुविधा राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध करायी जाती है जिसके एवज में निगम द्वारा समय-समय पर निश्चित सीलिंग के अन्तर्गत 7/8 व्यय की प्रतिपूर्ति राज्य सरकार द्वारा की जाती है । अतः आम जनता को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराया जाना नियमानुसार सम्भव नहीं है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद फैजाबाद के अकबरपुर स्थित-कताई मिल की तालाबन्दी से सम्बन्धित प्रकरण

*18–श्री बच्चा पाठक–

क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अकबरपुर, जिला–फैजाबाद स्थित कताई मिल बन्द है ? क्या प्रबन्धकों द्वारा की गयी तालाबन्दी को डी०एल०सी०, फैजाबाद द्वारा अनियमित होने की नोटिस दिनांक 7-6-90 को रूल–4 के अन्तर्गत दी गयी है ? यदि हां, तो क्या सम्बन्धित नोटिस को सदन के पटल पर रखते हुए यह भी बतायेंगे कि डी०एल०सी०, फैजाबाद द्वारा प्रबन्धकों को दी गयी नोटिस के आधार पर श्रम नियमों के अन्तर्गत अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

अकबरपुर जिला फैजाबाद स्थित कताई मिल दिनांक 11-6-90 से तालाबंदी के फलस्वरूप बन्द है । उप श्रमायुक्त, फैजाबाद द्वारा तालाबन्दी को अनियमित होने की कोई नोटिस दी गयी है, वरन् इस प्रतिष्ठान में कार्यरत श्रमिक संगठनों द्वारा दिये गये मांग-पत्र पर समझौता वार्ता हेतु क्षेत्रीय उप श्रमायुक्त कार्यालय, फैजाबाद द्वारा संयुक्त प्रान्तीय औद्योगिक झगड़ों का ऐक्ट, 1947 के साथ पठित उत्तर प्रदेश औद्योगिक विवाद नियम, 1957 के नियम–4 के अन्तर्गत दिनांक 7-6-90 को नोटिस दी गयी । नोटिस की प्रति संलग्न है । पक्षों के मध्य नोटिस के क्रम में अन्य नियमों के अधीन उप श्रमायुक्त, फैजाबाद द्वारा वार्ता कराई गई । इसके अतिरिक्त श्रमायुक्त तथा शासनस्तर पर भी समझौता कराने का प्रयास किया गया परन्तु कोई समझौता नहीं हो पाया । इसी बीच प्रतिष्ठान में कार्यरत श्रमिक संगठनों द्वारा मा० उच्च न्यायालय, लखनऊ में रिट याचिका दाखिल कर दी गयी । मामले के न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण सम्प्रति श्रम अधिनियमों/नियमों के अन्तर्गत कोई विधिक कार्यवाही करना सम्भव नहीं है ।

(देखिए नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 101–102 पर)

*19–श्री नंदलाल सिंह पटेल–

[दि० 12-4-94 को अता० प्र० सं० 13 द्वारा उत्तरित]

अतारांकित प्रश्न

जनपद गाजियाबाद के हापुड़ नगर में नया थाना खोलने की मांग

1–श्री बालेश्वर त्यागी–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गाजियाबाद जनपद के हापुड़ नगर में एक नया थाना खोले जाने का प्रस्ताव शासन को दिनांक 16-12-92 को पुलिस मुख्यालय से प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो कब तक उक्त थाने के लिये खोले जाने की सम्भावना है ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

2–श्री अमरजीत सिंह–

[अस्पष्टता एवं विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

जनपद फैजाबाद के थाना मालीपुर के ग्राम उस्मानपुर में डकैती से प्रभावित परिवारों को शस्त्र लाइसेन्स देने का विवरण

3–श्री अब्दुल रईस–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1989 में ग्राम उस्मानपुर, थाना मालीपुर, जनपद फैजाबाद के कुछ यादव परिवारों के यहां डकैती पड़ी थी जिसमें परिवार के एक व्यक्ति को मार डाला गया था ? यदि हां, तो किन-किन परिवारों के यहां डकैती पड़ी थी ? किस-किस परिवार के लोग घायल हुए थे या मार डाले गये थे ? ऐसे परिवार के किन-किन लोगों ने बन्दूक के लाइसेन्स के लिये प्रार्थना-पत्र दिये थे ? क्या उन लोगों को लाइसेन्स निर्गत किये गये ? यदि हां, तो कब तथा किस-किस व्यक्ति को ? क्या मंत्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि उक्त ग्राम की डकैती के बाद थाना मालीपुर के कितने तथा किन-किन लोगों को बन्दूक का लाइसेन्स दिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

दिनांक 1-9-89 को ग्राम उस्मानपुर में शिव शंकर यादव पुत्र अलगू यादव, राम अजोर पुत्र राम नरायन यादव, राम सुभद पुत्र नरायन यादव के यहां डकैती पड़ी थी जिसमें चन्द्रभान यादव पुत्र अलगू यादव तथा मन्ना देवी पत्नी अलगू यादव की मृत्यु हो गई थी तथा राम अजोर यादव, सन्त लाल यादव घायल हुए थे ।

उक्त गांव के प्रभावित परिवार के राम जी, उमा शंकर, मनीराम, उदयभान, राम सूरत, अभयराज तथा राम सकल ने शस्त्र लाइसेन्स हेतु आवेदन पत्र दिये थे ।

शस्त्र लाइसेन्स प्रार्थना पत्रों पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, फैजाबाद से आख्या मांगी गई है।

उक्त डकैती के बाद वर्ष 1990 से वर्ष 1993 तक कुल 22 लोगों को लाइसेन्स निर्गत किए। जिसकी सूची संसदीय कार्य मंत्री के कार्यालय में देखी जा सकती है।

जनपद गाजीपुर के प्रान्तीय पेंशन के लम्बित प्रार्थना पत्रों का निस्तारण

4–श्री अफजाल अंसारी–

क्या राजनैतिक पेंशन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजीपुर से स्वतंत्रता संग्राम आन्दोलन में भाग लेने वाले और जेल सजा काटने वाले कितने ऐसे व्यक्ति हैं जिनके प्रार्थना-पत्र अभी लम्बित हैं ? कितने दिनों से ऐसे प्रार्थना पत्र लम्बित हैं, जिनको माह जनवरी, 1994 तक पेंशन स्वीकृत नहीं की गयी है ? शासन द्वारा इन लम्बित प्रार्थना-पत्रों का कब तक निस्तारण कर दिया जायेगा ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि क्या श्री अकबर हुसैन पुत्र श्री अमीरूल्ला, मु० निगाहीबेग, गाजीपुर के प्रार्थना पत्र पर पेंशन स्वीकृत कर दी गयी है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अवधेश प्रसाद–

जनपद गाजीपुर के प्रान्तीय पेंशन के कुल 26 मामले लम्बित हैं। ये प्रार्थना पत्र वर्ष 1984 से फरवरी, 1993 तक की अवधि के हैं।

पेंशन स्वीकृति हेतु निर्धारित सभी औपचारिकतायें पूर्ण होते ही प्रार्थना-पत्रों का निस्तारण कर दिया जायेगा।

जी नहीं। प्रकरण परीक्षणाधीन है। प्रश्न नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा परीक्षा कैलेण्डर दुरुस्त कर परीक्षा कार्यक्रम प्रकाशित किया जाना

5–डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

क्या मैंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा अपने परीक्षा कैलेण्डर को दुरुस्त कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या इस कारण से परीक्षाओं में बैठने वाले प्रदेश के प्रतिभाशाली छात्रों के भविष्य खराब हो रहे हैं ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा परीक्षा कैलेण्डर दुरुस्त करने हेतु प्रेस विज्ञप्ति संख्या–683(1)/13मिस/ई–1/91-92,दिनांक 21-2-93 द्वारा परीक्षा कार्यक्रम प्रकाशित किया जा चुका है। प्रतिभाशाली छात्रों के भविष्य के हित में अवशेष परीक्षाओं को आयोजित/सम्पन्न करने के लिये हर सम्भव प्रयास किया जा रहा है।

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के पास स्थित होटल मालिक की सुरक्षा व्यवस्था

6–श्री कृष्ण कुमार नवमान–

क्या मुख्य मंत्री को ज्ञात है कि अलीगढ़ नगर में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्र, विश्वविद्यालय परिसर के निकट होटलों में रोजा के समय में जबरन बन्द रखने के लिये बड़ी धमकी दे रहे हैं ? यदि हां, तो सरकार होटल मालिकों की सुरक्षा के लिये क्या उपाय कर रही है ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

प्राप्त सूचना के अनुसार अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के पास स्थित एक रेस्टोरेन्ट के मालिक से इस तरह की शिकायत प्राप्त हुई थी कि उन्हें अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के कुछ छात्रों द्वारा रमजान के माह में भोजनालय बन्द रखने हेतु चेतावनी दी गयी थी । इस सम्बन्ध में स्थानीय पुलिस द्वारा होटल मालिक की सुरक्षा हेतु समुचित प्रबन्ध कर दिये गये थे जिसके फलस्वरूप रेस्टोरेन्ट यथावत खुला रहा । इस प्रकार की अन्य कोई घटना घटित नहीं हुई ।

जनपद सीतापुर के विधान सभा क्षेत्र महमूदाबाद के अन्तर्गत थाना रामपुर मथुरा के ग्राम सरैंयां मसूदपुर में हुए विवाद में विरोधात्मक कार्यवाही

7–श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता के विधान सभा क्षेत्र महमूदाबाद, जनपद सीतापुर के अन्तर्गत थाना रामपुर मथुरा के ग्राम सरैंया मसूदपुर के अनुसूचित वर्ग के लोगों की दिनांक 11-2-94 को एक वर्ग विशेष के लोगों द्वारा पिटाई व साइकिल छीने जाने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता के द्वारा प्रेषित पत्र उनको पुलिस अधीक्षक, सीतापुर को प्राप्त हुआ है ? क्या उक्त मामले में भुक्तभोगी अनुसूचित जाति के लोगों का मुकदमा पंजीकृत करके नामित व्यक्तियों में से दोषी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा चुका है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिह यादव–

जी हां ।

प्रश्नगत घटना मृत पशुओं की हड्डी और चमड़ा निकालने से सम्बन्धित है । इसके ठेकेदार तथा अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के बीच मारपीट हुई थी । इस मारपीट में दोनों पक्षों को चोटें आयीं । शान्ति व्यवस्था की दृष्टि से स्थानीय पुलिस द्वारा निष्पक्ष रूप से दोनों पक्षों के विरुद्ध निरोधात्मक कार्यवाही की गयी । अनुसूचित जाति के पक्ष के 8 तथा ठेकेदार पक्ष के 3 लोगों को दिनांक 11-2-94 को बन्दी बनाया गया । यह कहना गलत है कि प्रश्नगत घटना में अनुसूचित जाति के लोगों की साईकिलें छीनी गयी हैं । वर्तमान में स्थिति सामान्य है ।

जनपद गोरखपुर की पुलिस लाइन में कार्यरत सिपाही श्री श्याम चरण कुशवाहा के लापता होने सम्बन्धी प्रकरण न्यायालयाधीन

8–श्री कामेश्वर उपाध्याय–

क्या मुख्य मंत्री को ज्ञात है कि जनपद गोरखपुर के थाना कैन्ट की पुलिस लाइन में कार्यरत का० नं०–1027 श्री श्यामचरण कुशवाहा गत 5 साल से लापता है ? यदि हां, तो क्या सही है कि उनकी स्त्री व बच्चों को जो भुखमरी के शिकार हो रहे हैं, के भरण पोषण करने हेतु नौकरी उन्हें दी

जायेगी ? अब तक उन्हें उसकी पावना धन न देने क्या कारण है ? क्या सरकार इसकी जांच कराकर अतिशीघ्र सदन के पटल पर विवरण रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

का० श्री श्यामाचरण कुशवाहा दिनांक 4-5-90 से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित हैं।

श्री श्यामाचरण कुशवाहा का० नं० 1027 के संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो जाने के कारण थाना–कोतवाली पर मु०अ०सं० 374/92 अन्तर्गत धारा 29 पुलिस ऐक्ट के अन्तर्गत उक्त कान्स० के विरुद्ध पंजीकृत किया गया है। इस सम्बन्ध में आरोप पत्र दिनांक 20-2-93 को न्यायालय में प्रेषित किया जा चुका है। चूंकि संदर्भगत आरक्षी अनाधिकृत रूप से लापता है और न्यायालय में आरोप पत्र, भी विचाराधीन है। अतः उनके परिवार के सदस्य को नौकरी देने अथवा अन्य सुविधायें अनुमन्य कराने का अवसर सम्प्रति अभी नहीं उत्पन्न हुआ है।

चूंकि मामला न्यायालय में विचाराधीन है अतः शेष का प्रश्न नहीं उठता।

9–श्री कामेश्वर उपाध्याय–

[दि० 1-3-94 को अता० प्र० सं० 29 द्वारा उत्तरित।

जनपद बाराबंकी के थाना जैदपुर के ग्राम टेसुवा निवासी मृतक श्री सतनाम की हत्या के दोषी अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया जाना

10–श्री सुन्दर लाल दीक्षित–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम टेसुवा, थाना–जैदपुर, जतपद बाराबंकी में 3-2-94 को श्री सतनाम की हत्या कर दी गयी है ? यदि हां, तो क्या दि० 4-2-94 को थाना जैदपुर, जनपद बाराबंकी में घटना की रिपोर्ट मृतक के चाचा द्वारा करायी गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार घटना से संबंधित नामजद रिपोर्ट हुए व्यक्तियों के विरुद्ध अब तक की कृत कार्यवाही का पूर्ण ब्योरा सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां।

जी हां।

मृतक के चाचा की सूचना पर थाना जैदपुर में मु०अ०सं० 13/94, अन्तर्गत धारा 147/149/502/201/301/342/506 भा० दं० वि० बनाया उदय सिंह वर्मा, विजय बहादुर मौर्य, महोदय उर्फ उमाशंकर सिंह, नसीरुद्दीन रामदेव कुर्मी, राम मनोहर तथा अन्य अभियुक्तगण नाम अज्ञात सूरत शिनाख्त पंजीकृत कर विवेचनापरान्त कुल ग्यारह अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय दिनांक 5 मार्च, 1994 को भेजा जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

11–श्री शिव कुमार बेरिया–

[दि० 3-3-94 को अता० प्र० सं० 93 द्वारा उत्तरित]

जनपद व तहसील सीतापुर के आर्य नगर स्थित मकान नं० 492 का कब्जा सम्बन्धी वाद

12–श्री रणजीत सिंह जूदेव–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि मकान नं०–492 आर्यनगर शहर तहसील एवं जनपद सीतापुर में सत्ताधारी दल के लोगों द्वारा अनधिकृत एवं गैरकानूनी तरीके से कब्जा करके समाजवादी पार्टी का बोर्ड लगाकर कार्यालय बना दिया गया हैं ? क्या यह सही है कि इसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट 26-1-94 को कोतवाली सदर, सीतापुर में पंजीकृत भी है ? यदि हां, तो उक्त पर की गयी कार्यवाही क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

यह सत्य है कि दिनांक 26-1-94 को वादी ऋषि प्रसाद शुक्ल ने तहरीर सूचना दिया कि उसके मकान नं० 492 स्थित मुहल्ला आर्यनगर में यतीन्द्र अवस्थी उर्फ बबलू पुत्र भगवती प्रसाद अवस्थी ने अपने 20-25 साथियों के साथ घुसकर कब्जा कर लिया गया है जिसके आधार पर अभियोग अपराध संख्या 128/94 धारा 147/448/452/380 भा०द०वि० बनाया यतीन्द्र उर्फ बबलू आदि 20-25 अन्य नाम पता अज्ञात पंजीकृत किया गया । इसकी विवेचना की जा रही है । प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांकित 26-1-94 के अनुसार वादी एवं मुनीन्द्र अवस्थी के मध्य उक्त मकान की कब्जेदारी को लेकर वाद माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन है शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद नैनीताल में पिकप द्वारा देय ऋण संचालित उद्योगों का विवरण

13–श्री राजीव कुमार–

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला नैनीताल में पिकप द्वारा कितने उद्योगों को ऋण उपलब्ध कराया गया था ? क्या उक्त सभी उद्योग चल रहे हैं ? यदि हां, तो उनकी संख्या क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जिला नैनीताल में पिकप द्वारा अब तक 64 इकाईयों को ऋण वितरित किया गया है । इनमें से 41 उद्योग चल रहे हैं, तीन उद्योग लग रहे हैं तथा 20 उद्योग बन्द हैं, जिनमें से 11 उद्योगों का पिकप द्वारा अधिग्रहण किया जा चुका है । इन उद्योगों के बन्द होने का कारण अवस्थापना संबंधी सुविधाओं की कमी, कमजोर प्रबन्ध, कार्यशील पूंजी का उपलब्ध न होना तथा निर्मित माल हेतु बाजार की कमी इत्यादि हैं ।

जनपद देवरिया स्थित बाबा राघव दास स्नातकोत्तर महाविद्यालय के प्राचार्य के विरुद्ध पंजीकृत अभियोगों में कार्यवाही

14–श्री नन्द किशोर मिश्र–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बाबा राघव दास स्नातकोत्तर महाविद्यालय, देवरिया के प्राचार्य के विरुद्ध जनपद देवरिया के कोतवाली देवरिया में 1-1-81 से आज तक कितने अपराधिक मुकदमें किन-किन धाराओं में किन-किन तिथियों में पंजीकृत हुए हैं ? उनमें से कौन-कौन से मुदकमें न्यायालयों में विचाराधीन हैं ? क्या यह सही है कि उपरोक्त अवधि में ही अनुसूचित जाति के छात्रों की छात्रवृत्ति के गबन के मुकदमें भी पंजीकृत हुए थे ? यदि हां, तो उन पर कौन सी कार्यवाही हुई तथा कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

बाबा राघवदास स्नातकोत्तर महाविद्यालय, देवरिया के प्राचार्य डा० कृष्ण मुरारी लाल अग्रवाल के विरुद्ध 1-1-81 से आज तक थाना कोतवाली, देवरिया में निम्नलिखित अभियोग पंजीकृत हुए है :–

(1) अ०सं० 31-83 धारा 467/468/471/420/409 भा०द०वि०, दिनांक 13-1-83

(2) असं० 277/87 धारा 409 भा०द०वि०, दिनांक 25-7-87

(3) अ०सं० 56/94 धारा 419/420/467/468/409 भा०द०वि०, दिनांक 21-1-94

उपरोक्त में से प्रस्तर 1 व 2 पर उल्लिखित अभियोग न्यायालय में विचाराधीन है ।

उक्त सभी मुकदमें गबन से संबंधित है । अभियोगों में पुलिस द्वारा तत्परता से कार्यवाही की गई है तथा की जा रही है ।

जनपद लखनऊ स्थित निगोहा के थानाध्यक्ष के स्थानान्तरण निरस्त किये जाने संबंधी मामला

15–श्री रवीन्द्र पुण्डीर–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि थानाध्यक्ष निगोहा, लखनऊ का स्थानान्तरण फरवरी, 1994 में लखनऊ से सीतापुर कर दिया गया है ? यदि हां, तो उन्हें अब तक कार्यमुक्त न किये जाने का क्या कारण है ? क्या इसके लिये दोषी अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

श्री जगपत सिंह वर्मा, तत्कालीन थानाध्यक्ष, निगोहा के अनुरोध पर पुर्नविचारोपरान्त पुलिस उपमहानिरीक्षक, लखनऊ परिक्षेत्र द्वारा स्थानान्तरण निरस्त कर दिया गया ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद सिद्धार्थनगर के थाना गोल्हौटा के निवासी श्री राम बहादुर धोबी पुत्र पीपत की दुकान तथा झोपड़ी को उजाड़े जाने सम्बन्धी मामला

16–श्रीमती ज्योत्सना श्रीवास्तव–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे श्री राम बहादुर धोबी पुत्र पीपत, निवासी सिद्धार्थनगर, थाना गोल्हौटा को दिनांक 26-2-94 को रात्रि 10 बजे उसी गांव के निवासी नफीस आदि द्वारा गोलबन्द होकर उसकी दुकान तथा झोपड़ी को उजाड़ दिया गया और ए० एस० पी० के द्वारा आदेश देने के बावजूद उसका एफ० आई० आर० तक दर्ज नहीं हुई ? यदि हां, तो क्या रामबहादुर का एफ०आई०आर० दर्ज कर समुचित कार्यवाही तथा उस स्थान पर दुकान करवाने की व्यवस्था करवायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां।

श्री रामबहादुर ने अपना तख्त सुलहनामें के आधार पर स्वयं हटाया था। जुर्म न पाये जाने के कारण एफ०आई०आर० दर्ज नहीं की गयी।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री रामबहादुर को इन्दिरा आवास में मकान आवंटित है। वह अपने मकान के सामने तख्त रखकर कपड़ा प्रेस करने का कार्य कर रहा है।

जनपद बुलन्दशहर के पूजा नगर में भा०ज०पा० कार्यकर्ता श्री जयराम की हत्या

17–श्री राम कुमार शुक्ल–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि दि० 26-2-94 को जनपद बुलन्दशहर के पूजानगर में भा०ज०पा० के कार्यकर्ता श्री जयराम की कुछ लोगों ने गोली मार कर हत्या कर दी ? यदि हां, तो सरकार ने अब तक क्या कोई कार्यवाही की है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां, परन्तु प्रश्नगत हत्या दिनांक 26-2-94 को न होकर 25-2-94 को हुई।

उक्त हत्या के संबंध में सूचना के आधार पर थाना खुर्जा नगर जनपद बुलन्दशहर में पंजीकृत मुक०अप० संख्या 104/94 धारा 147/148/149/302 भा०दं०वि० में नामित 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया तथा शेष एक अभियुक्त की गिरफ्तारी के कड़े प्रयास जारी हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखनऊ के थाना ठाकुरगंज के अन्तर्गत अहमदगंज के निवासी श्री मुन्ना पुत्र केवल की सूचना पर नदीम तथा अन्य के विरुद्ध दर्ज प्राथमिकी पर कृत कार्यवाही की जानकारी की मांग

18–श्री राम कुमार शुक्ल–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि दि० 25-2-94 को थाना ठाकुरगंज अन्तर्गत अहमदगंज के पांच अनुसूचित जाति क्रमशः ओमकार, किशन, सतीश तथा ओमकार की मां को चाकू से बुरी तरह से गोद दिया गया था ? यदि हां, तो सरकार ने कोई कार्यवाही की है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

मुन्ना पुत्र केवल नि० अहमदगंज, पजावा थाना ठाकुरगंज, लखनऊ द्वारा दिनांक 25-2-94 को रात्रि 22.50 बजे नदीम तथा 8 अन्य के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी जिसमें उसके दो भाइयों ओमकार व किशन के बीच-बचाव करने आयी उसकी मां श्रीमती फुलवासा को चाकू से मारने की सूचना दी गयी थी।

अभियुक्तों के विरुद्ध मुकदमा अपराध संख्या 46/94 अन्तर्गत धारा 147/148/149/452/504/307 भा० दं० वि० पंजीकृत किया गया तथा विवेचना के उपरान्त उक्त धाराओं के अतिरिक्त धारा 3(1)10. एस० सी०/एस० टी० ऐक्ट में उक्तअभियुक्तों का चालान करके आरोप पत्र प्रेषित किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

उ० प्र० के तत्कालीन मुख्य मंत्री स्व० श्री वीर बहादुर सिंह द्वारा प्रश्नगत दैनिक समाचार पत्रों को स्वीकृत ऋण की वसूली

19–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या सूचना मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर के तत्कालीन मुख्य मंत्री स्व० श्री वीर बहादुर सिंह जी ने अपने कार्यकाल के दौरान "निष्पक्ष प्रतिदिन" लखनऊ, "जन मोर्चा" फैजाबाद, "मशरिकी की आवाज", गोरखपुर एवं अन्य दैनिक समाचार पत्रों को आर्थिक सहयोग प्रदान किया गया था ? यदि हां, तो उनकी राशि किस प्रकार थी तथा धनराशि वापसी की क्या शर्तें एवं प्रक्रिया थी ? क्या उन सभी शर्तों का पालन किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? शासन द्वारा वसूली हेतु क्यों कार्यवाही नहीं की जा रही है ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

तत्कालीन माननीय मुख्य मंत्री स्व० श्री वीर बहादुर सिंह जी के कार्यकाल के दौरान "निष्पक्ष प्रतिदिन" लखनऊ एवं "जनमोर्चा" फैजाबाद को ऋण स्वीकृत किया गया था।

उसके पश्चात् "मशरिकी आवाज" गोरखपुर, को दिनांक 13 अक्टूबर, 1988 को ऋण स्वीकार किया गया।

उक्त समाचार पत्रों को ऋण के रूप में निम्नवत् धनराशि स्वीकृत की गयी थी :—

1–"जनमोर्चा" फैजाबाद	रु० 8 लाख
2–निष्पक्ष "प्रतिदिन" लखनऊ	रु० 10 लाख
3–"मशरिकी आवाज" गोरखपुर	रु० 9 लाख

उक्त ऋणों की शर्तें एवं प्रक्रिया निम्न प्रकार थीं :—

1–ऋण 8 वर्ष की अवधि हेतु दिया गया था जिसमें एक वर्ष का मोरेटोरियम भी सम्मिलित है, किन्तु इस अवधि में भी ऋण पर ब्याज की अदायगी छः माही आधार पर की जानी है।

2–विज्ञापन बीजकों से छमाही आधार पर 14 किश्तों में ऋण की अदायगी की जानी है। ऋण की पहली किश्त एक वर्ष के मोरेटोरियम पीरियड की समाप्त पर ऋण देने की तिथि से 18 माह बाद देय है। मोरेटोरियम पीरियड का ब्याज भी पहली किश्त के साथ देय है।

3–ऋण पर 18 प्रतिशत प्रतिवर्ष की अनन्तिम दर से ब्याज देय है। लेकिन ऋण का समय से प्रतिदान करने पर ब्याज दर में $3\frac{1}{2}$ प्रतिशत की छूट का भी प्राविधान रखा गया है अर्थात् ब्याज की प्रभावी दर $14\frac{1}{2}$ प्रतिशत प्रतिवर्ष है।

4–ऋण की धनराशि के उपयोग के संबंध में यह भी प्रतिबन्ध है कि ऋण की धनराशि उसी कार्य में प्रयोग की जाय जिस कार्य के लिये ऋण दिया गया है ऋण की अदायगी हेतु प्रेस की सम्पत्ति को शासन के पक्ष में बन्धक रखा जाना प्राविधानित है।

5–ऋण की अदायगी समाचार-पत्र के विज्ञापन बीजकों से जिसमें 50 प्रतिशत धनराशि का नकद भुगतान समाचार पत्रों को तथा 50 प्रतिशत धनराशि ऋण पक्ष में समायोजित की जाती है।

ऋणों के प्रतिदान को देय तिथि को न दे कर भिन्न-भिन्न तिथियों में किया जा रहा है। शेष सभी लगभग अन्य शर्तों का पालन किया जा रहा है।

उक्त समाचार-पत्रों के ऋणों के प्रतिदान हेतु देय धनराशि विज्ञापन बीजकों से कटौती की धनराशि से अपेक्षाकृत अधिक होती है तथा देय तिथि को न होकर भिन्न-भिन्न तिथियों में विज्ञापन बीजकों से नियमानुसार 50 प्रतिशत की कटौती करके की जाती है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद हरदोई में प्राइवेट बस अड्डे पर घटित आगजनी की सूचना

20–श्री रामपाल सिंह सैनी–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि हरदोई जनपद के प्राइवेट बस अड्डे (लखनऊ शाहजहांपुर वाले) पर दिनांक 25-10-92 की रात्रि में गुड्डू एवं उसके दो भाइयों तथा किशन नामक व्यक्ति ने मिलकर पान की दुकान में आग लगा दी थी जिसकी सूचना उसी समय श्री पप्पू सहगल द्वारा पुलिस महानिदेशक, लखनऊ को तार द्वारा प्रेषित की थी ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

दिनांक 25-10-92 को घटित आगजनी की घटना की सूचना न सम्बन्धित थाने में दी गयी और न ही इस संबंध में कोई तार पुलिस महानिदेशक कार्यालय में प्राप्त हुआ।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बरेली जंक्शन परचोरी के मामले में थानाध्यक्ष द्वारा मुल्जिमों के नाम सुरेन्द्र व बब्बू बताये जाने के बावजूद गिरफ्तार न किये जाने के कारण एवं सी० आई० डी० जांच की मांग

21–श्री रामपाल सिंह सैनी–

विधान सभा के द्वितीय सत्र, 1992 के 1ले मंगलवार के अता० प्र० सं०–35 के उत्तर के संदर्भ में मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नगत मामले में सी० आई० डी० जांच के आदेश शासन द्वारा 26-6-92 को दिये गये थे, किन्तु अभी तक सम्बन्धित सब इन्सपेक्टर को निलम्बित न किये जाने के क्या कारण हैं ? उक्त घटना में जिम्मेदार सब इन्सपेक्टर (थानाध्यक्ष) के विरुद्ध कार्यवाही करने में विलम्ब करने के लिये उत्तरदायी अधिकारियों के विरुद्ध सरकार कठोर कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

इस अभियोग की विवेचना दिनांक 22-7-92 से अपराध अनुसंधान शाखा, बरेली द्वारा की जा रही है । अपराध अनुसंधान विभाग की जांच/संस्तुति के आधार पर उप निरीक्षक को निलम्बित करने की या अन्य कोई कार्यवाही की जायेगी । जांच आख्या अभी प्राप्त नहीं हुई है । उप निरीक्षक के विरुद्ध कार्यवाही करने में विलम्ब नहीं किया गया है ।

सुल्ताना उर्फ ओम निवास तथा बाबू नामक बन्दरों से रिश्वतखोरी के मामले में थानाध्यक्ष बरेली जंक्शन के विरुद्ध मुकदमों एवं जमानत

22–श्री रामपाल सिंह सैनी–

विधान सभा के प्रथम सत्र, 1992 के चौथे मंगलवार दिनांक 7-4-92 को उत्तरित अतारांकित प्रश्न संख्या–178 के संदर्भ में क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नगत अभियुक्त थानाध्यक्ष ने जमानत किस तिथि को तथा किस धारा में तथा किस अदालत से कराई ? उक्त थानाध्यक्ष इस समय किस स्थान पर कार्यरत हैं ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

प्रश्नगत अभियोग में श्री चरन सिंह तत्कालीन थानाध्यक्ष बरेली जंक्शन अभियुक्त नहीं थे । इस कारण थानाध्यक्ष को अपनी जमानत कराने की आवश्यकता नहीं पड़ी ।

वर्तमान में जनपद नैनीताल में नियुक्त हैं ।

जनपद बुलन्दशहर के थाना जहांगीराबाद के ग्राम रिवाड़ा मजरा सिद्ध नगला निवासी श्री ग्रीस कुमार की हत्या की सी० आई० डी० जांच

23–श्री किरनपाल सिंह तथा श्री राम आसरे वर्मा–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री ग्रीस कुमार नि० रिवाड़ा मजरा सिद्ध नगला, थाना जहांगीराबाद, जनपद बुलन्दशहर की कोतवाली जहांगीराबाद की पुलिस ने कोतवाली परिसर में मार-मार कर 28-12-91 को हत्या कर दी थी ? क्या उक्त हत्या की जांच सी० आई० डी० से कराई गयी तथा जो पूर्ण हो चुकी है ? यदि हां, तो उक्त संबंध में क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी नहीं, वरन् उक्त व्यक्ति को वादी एवं जनता के व्यक्तियों द्वारा घायल अवस्था में थाना जहांगीराबाद पर लाने के पश्चात् तत्काल उपचार हेतु सदर अस्पताल, बुलन्दशहर भेजा गया था जिसे चिकित्सक द्वारा मृत घोषित कर दिया गया था ।

जी हां ।

सी० आई० डी० द्वारा अभियोग की जांच कर स्थानीय पुलिस द्वारा प्रेषित आरोप पत्र पर ही संज्ञान लिये जाने की संस्तुति की गयी । मामला न्यायालय में विचाराधीन है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश में श्रम कल्याण अधिकारी के रिक्त पदों पर नियुक्ति की मांग

24–श्री शारदा प्रसाद जायसवाल–

क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कारखाना अधिनियम, 1948 की उपधारा–49 में यह प्राविधान है कि 500 या इससे अधिक श्रमिक नियोजित होने पर कल्याण अधिकारी की नियुक्ति होगी ? यदि हां, तो प्रदेश में कितने ऐसे (निजी/सहकारी/निगम अथवा अन्य) कारखाने हैं जिनमें नियमानुसार कल्याण अधिकारी की नियुक्ति नहीं है और क्यों ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि रिक्त पदों को भरने के लिये शासन क्या कार्यवाही कर रहा है ? क्या सरकार को जानकारी है कि निजी कारखानों में कार्यरत कल्याण अधिकारियों को उनके वेतनमान से संगत महंगाई भत्ता (कहीं-कहीं पर कोई भी महंगाई भत्ता) नहीं दिया जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ? शासन की ओर से इसके लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

निजी क्षेत्र के 4. सहकारी क्षेत्र के 12 तथा निगमों के अधीन 7 कारखानों में वर्तमान में श्रम कल्याण अधिकारी नियुक्त नहीं हैं ।

इनके नियुक्ति प्राधिकारी कारखानों के प्रबन्धक/आकूपायर हैं जिन्हें उक्त पदों पर नियुक्ति हेतु निर्देश दिये जा चुके हैं ।

जी हां । निजी कारखानों में कार्यरत कुछ कल्याण अधिकारियों को अलग से महंगाई भत्ता न दिये जाने की सूचना सरकार को प्राप्त हुई है परन्तु उ० प्र० वेलफेयर आफिसर्स नियमावली, 1990 के नियम 8 में प्राविधान है कि वेलफेयर आफिसर की प्रतिस्थिति कारखाने के ज्येष्ठ कार्यपालक की होगी और महंगाई भत्ता, बोनस, भविष्य निधि, अवकाश, आवास और चिकित्सा और अन्य सुविधाओं के संबंध में वे उन्हीं नियमों द्वारा नियंत्रित होंगे जो कारखाने में ज्येष्ठ कार्यपालकों पर प्रयोज्य है ।

ऐसे श्रम कल्याण अधिकारियों को महंगाई भत्ते की समुचित सुविधा उपलब्ध कराने के आशय से सुझाव एवं आपत्ति हेतु अधिसूचना प्रकाशित किये जाने का निर्णय लिया जा चुका है ।

जनपद लखीमपुर खीरी के खान धौराहा स्थित खांडसारी उद्योग के सेवायोजकों के शिकायती पत्र की जांच

25–श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा–

क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि खान खांडसारी उद्योग धौरहरा, लखीमपुर खीरी ने श्रमिकों सर्वश्री अम्बरीष कुमार शास्त्री तथा शिव कुमार द्वारा हस्ताक्षरित इस आशय का शिकायती पत्र कि उक्त उद्योग में कायम किये जाने की पगार नहीं मिली है, फरवरी, 94 के दूसरे सप्ताह में उप श्रमायुक्त, लखनऊ क्षेत्र को मिला ? यदि हां, तो उक्त के संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां, शिकायती पत्र प्राप्त हुआ । शिकायती पत्र पर जांच की गयी । सेवायोजकों द्वारा शिकायती पत्र में उल्लिखित श्रमिकों को वेतन का भुगतान न किये जाने के कारण बकाया वेतन के लिये भुगतान अधिनियम, 1936 के अन्तर्गत सक्षम न्यायालय के समक्ष निर्देशवाद पी० डब्लू सं०–81/84 तथा 82/84 दायर कर दिये गये हैं ।

अन्य राज्य स्तर संवर्ग के उत्तर प्रदेश सचिवालय में सचिव एवं प्रमुख सचिव स्तर के अधिकारियों के तैनाती का विवरण

26–श्री महावीर सिंह (बिजनौर)–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश सचिवालय में सचिव एवं प्रमुख सचिव स्तर के ऐसे कितने आई० ए० एस० अधिकारी हैं जो भर्ती के समय उत्तर प्रदेश से किसी अन्य राज्य के संवर्ग में चुने गये हैं ? क्या वे ऐसे अधिकारियों का विवरण (नाम सहित) सदन के पटल पर रखेंगे ? आई० ए० एस० अधिकारियों की बढ़ती हुई संख्या तथा अन्य संवर्ग के अधिकारियों के हित को ध्यान में रखते हुए क्या मुख्य मंत्री जी उपर्युक्त प्रकार के आई०ए०एस० अधिकारियों को केन्द्र सरकार को वापस करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

प्रदेश में सचिव एवं प्रमुख सचिव स्तर के निम्नलिखित पन्द्रह ऐसे अधिकारी हैं, जो भर्ती के समय अन्य राज्य के संवर्ग में चुने गये हैं :–

क्रमांक	अधिकारी का नाम आवंटन वर्ष एवं संवर्ग	दिनांक जब स्थानान्तरित हुए
1	2	3
	सर्वश्री–	
1	बृजेन्द्र सहाय (1962) बिहार	28-4-71
2	एस० एन० शुक्ला (1967) गुजरात	27-7-79

1	2	3
3	श्रीमती उमा पिल्ले (1968) राजस्थान सर्वश्री	23-6-69
4	बाबू राम (1969) आन्ध्र प्रदेश	15-10-73
5	धर्मेन्द्र देव–I (1969) कर्नाटक	24-4-80
6	डी० पी० सिंह (1970) हिमाचल प्रदेश	4-3-82
7	मुकुल सनवाल (1971) केरल	26-7-75
8	सी० के० शर्मा (1971) कर्नाटक	6-5-81
9	आर० रमणी (1972) जम्मू एवं कश्मीर	19-11-73
10	नरेश दयाल (1972) पश्चिम बंगाल	11-2-75
11	खंजन लाल (1972) बिहार	17-10-79
12	अनुराग गोयल (1972) असम-मेघालय	8-4-81
13	एन० सी० बाजपेई (1972) केन्द्र शासित प्रदेश (अरुणाचल)	11-12-81
14	आलोक सिन्हा (1973) पश्चिम बंगाल	26-3-76
15	अतुल चतुर्वेदी (1974) केरल	26-6-82

चूंकि उपरोक्त अधिकारी इस राज्य सरकार की सहमति से अन्य संवर्गों से स्थायी रूप से स्थानान्तरित होकर उत्तर प्रदेश संवर्ग में आये हैं, अतः उन्हें केन्द्र सरकार या उनके मूल संवर्ग में वापस करने का प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्त के अतिरिक्त सचिव एवं प्रमुख सचिव स्तर के निम्नलिखित अधिकारी प्रदेश में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत हैं :--

अधिकारी का नाम आवंटन वर्ष एवं संवर्ग	प्रतिनियुक्ति की अवधि
सर्वश्री–	
1–शम्भू दयाल (1965) गुजरात	3-6-93 से दो वर्ष के लिये
2–एल० के० जोशी (1970) मध्यप्रदेश	15-7-93 से एक वर्ष के लिये
3–शंकर लाल (1970) मणिपुर-त्रिपुरा	21-3-94 से दो वर्ष के लिये

उपरोक्त अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की अवधि समाप्त होने पर उन्हें उनके मूल संवर्ग में वापस किया जायेगा।

27–श्री अकबर अली–

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

28–श्री तेजभान सिंह–

[7वें गुरु में अता० प्र० सं० 1 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद उन्नाव के थाना बीघापुर के ग्राम सातन निवासी श्री प्रयाग नारायण की हत्या के दोषी अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप पत्र

29–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम सातन, थाना बीघापुर, जनपद उन्नाव निवासी श्री प्रयाग नारायण के कत्ल से सम्बन्धित एक मुकदमा अपराध सं०–162 सन् 1980 सम्बन्धित थाने में दर्ज हुआ है ? क्या यह भी सही है उक्त मुकदमें के तीन फरार कातिल अपने ही घरों में पुलिस की सांठ-गांठ से रह रहे हैं ? यदि हां, तो शासन द्वारा दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां।

जी नहीं।

उक्त मुकदमें में 10 नामजद अभियुक्त थे । चार अभियुक्तों गोमती शंकर, रामसेवक, पूत उर्फ जयसिंह एवं मधुर दिनांक 13-1-81 को हाजिर अदालत हुए थे । इन चारों अभियुक्तों को ए०एस०जे० द्वितीय, उन्नाव के न्यायालय से आजीवन करावास की सजा हुई थी । चारों अभियुक्तों ने मा० उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की जहां से यह लोग जमानत पर हैं । अभियुक्त बरजोर, स्वामी दयाल, ओम प्रकाश, बच्चू उर्फ प्रेमशंकर बाद में हाजिर अदालत हुए थे यह लोग भी जमानत पर हैं । अभियुक्त विजय सिंह की हत्या दिनांक 6-5-91 को की जा चुकी है । इस प्रकार मात्र एक अभियुक्त फूल सिंह लापता है । जिसके विरुद्ध 82/83 सी०आर०पी०सी० के अन्तर्गत कार्यवाही करके मफरूरी में चालानयुक्त आरोप पत्र प्रेषित किया गया ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद हरदोई की शहर कोतवाली के अन्तर्गत सुभाष नगर के निवासी श्री कृष्ण मुरारी अग्निहोत्री की हत्या की सी०आई०डी० जांच

30–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मई, 1990 में श्री कृष्ण मुरारी अग्निहोत्री, निवासी 2/309, सुभाष नगर, थाना कोतवाली शहर हरदोई के पुत्र श्री सुधीर कुमार की दिन दहाड़े गोली मार कर हत्या कर दी गई ? क्या स्थानीय पुलिस को सूचना दर्ज करा देने के बाद विवेचना न होने की स्थिति में सी०बी०सी०आई०डी० द्वारा उक्त प्रकरण अपराध सं०–930/92 के तहत दर्ज किया गया है । यदि हां, तो अभी तक उसमें क्या कार्यवाही की गई ? यदि कार्यवाही नहीं की गई, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

जी नहीं, प्रश्नगत हत्या के सम्बन्ध में पंजीकृत अभियोग संख्या–350/90 धारा 302 भा० दं० वि० में स्थानीय पुलिस द्वारा कार्यवाही की जा रही थी । मृतक के पिता के प्रार्थना पत्र के आधार पर शासन द्वारा प्रकरण की विवेचना सी० आई० डी० सुपुर्द की गई जो सी०बी० संख्या 930/92 पर प्रचलित है ।

कतिपय साक्षियों के बयान अंकित किये जाने को छोड़कर अधिकांश कार्यवाही की जा चुकी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद महराजगंज के विधान सभा क्षेत्र पनियरा के मुजुरी बाजार में आई०टी०आई० हेतु भवन बनाने की मांग

31–श्री गनपत सिंह–

क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता के विधान सभा क्षेत्र पनियरा, जिला महराजगंज के मुजुरी बाजार में कोई आई०टी०आई० विद्यालय है ? यदि हां, तो क्या शासन ने उसके लिए भवन बनाने के लिए कोई योजना बनायी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

जी नहीं ।

वर्तमान में भवन हेतु उपर्युक्त भूमि उपलब्ध नहीं है ।

जनपद कानपुर नगर में काला बच्चा की हत्या की सी० आई० डी० जांच

32–श्री राम कुमार शुक्ल–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर में काला बच्चा की हत्या के लिए बम्बई से पांच लाख रुपया कोरियर एजेन्सी से आया था ? क्या इस रुपया को तीन सिपाहियों ने पकड़ा भी था ? यदि हां, तो क्या जिला प्रशासन ने इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही की ? क्या सरकार इस विषय में विस्तृत जांच करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

कानपुर नगर में श्री काला बच्चा निवासी 130/462, खटिकाना, थाना बाबूपुरवा, जनपद कानपुर नगर की हत्या की जांच का प्रकरण अपराध शाखा, अपराध अनुसंधान विभाग, उ०प्र० द्वारा की जा रही है । स्थानीय पुलिस एवं अपराध शाखा द्वारा अब तक की जांच एवं छानबीन के फलस्वरूप इस बात की पुष्टि नहीं हुई है कि डालफिन कुरियर सर्विस के व्यक्ति से जो धनराशि पुलिस चौकी सुतरखाना के मुख्य आरक्षी/आरक्षीगण द्वारा ली गई, उसका संबंध जनपद कानपुर नगर में घटित काला बच्चा निवासी खटिकाना, थाना बाबूपुरवा, जनपद कानपुर नगर की हत्या के प्रकरण से रहा हो । काला बच्चा के प्रकरण की जांच/अन्वेषण अभी प्रचलित है । प्रकरण से संबंधित समस्त पहलुओं पर अग्रिम छानबीन/जांच कार्यवाही प्रगति में है ।

कानपुर उद्योग पर श्रम कानून तथा कारखाना अधिनियम का लागू किया जाना

33–श्री ऊदल–

क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कालीन उद्योग पर लेबर ऐक्ट तथा कारखाना ऐक्ट एवं जी०पी०एफ० प्रावीडेंट फण्ड आदि योजनाओं को लागू कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार आल इण्डिया कालीन निर्माता संघ एवं निर्यातक संघ मर्यादपट्टी भदोही, जिला वाराणसी को बुलाकर इसके संबंध में वार्ता करेगी ? क्या तब तक उपरोक्त कानून को सरकार स्थगित रखेंगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

कालीन उद्योग पर श्रम कानून तथा कारखाना अधिनियम लागू है । जी०पी०एफ० अधिनियम लागू करने का दायित्व भारत सरकार का है ।

सरकार का दृष्टिकोण सदैव सकारात्मक रहता है तथा प्रत्येक समस्या के निदान हेतु सरकार द्विपक्षीय एवं त्रिपक्षीय वार्ता हेतु आवश्यकतानुसार सदैव तैयार है ।

प्रसंगगत अधिनियम श्रमिक, सेवायोजक तथा जन सामान्य के लिए यथाविधि बनाया गया है अतः उसे स्थगित किये जाने का प्रश्न नहीं उठता है ।

प्रदेश में अनुसूचित जाति के उत्पीड़न सम्बन्धी घटित घटनाओं का विवरण

34–श्री धनराज यादव–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 1-1-94 से 15-2-94 के बीच प्रदेश के किन-किन जनपदों में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के कितने घटनायें पंजीकृत हुई हैं ? उत्पीड़न की घटना आरोपित किये गये लोगों में किस-किस जाति के कितने लोग सम्मिलित थे ।

श्री मुलायम सिंह यादव–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद सुल्तानपुर के गौरीगंज स्थित आई०टी०आई० में श्री दिलीप कुमार पाण्डे, अनुदेशक (ड्रा० मै० सिविल) के पद पर दैनिक वेतन पर नियुक्ति

35–श्री जगदम्बा सिंह–

क्या श्रम मंत्री कृपया बतायेंगे कि आई०टी०आई०, गौरीगंज, जनपद सुल्तानपुर में दैनिक वेतन क्रम में श्री दिलीप कुमार पाण्डेय, अनुदेशक (ड्रा० मै० सिविल) पद पर बने हेतु माननीय उच्च न्यायालय का स्थगन आदेश दिनांक 13-11-90 को श्री पाण्डेय द्वारा दिनांक 26-11-90 को दे दिया गया है ? यदि हां तो क्या उसका अनुपालन हुआ ?. यदि नहीं, तो क्यों ? क्या उक्त स्थगन आदेश के बाद कोई नियुक्ति दैनिक वेतन पर की गयी है ? यदि हां, तो कब और किसकी तथा क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

मा० उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 13-11-90 में निर्देश दिये गये थे कि यदि स्थान रिक्त हो, तो श्री पाण्डेय की नियुक्ति कर दी जाय । आई०टी०आई०, गौरीगंज में ड्रा०मै० सिविल व्यवसाय में दो यूनिट स्वीकृत हैं परन्तु अगस्त, 1990 से प्रारम्भ हुए सत्र में एक यूनिट में प्रवेश न होने तथा एक पर नियमित अनुदेशक के कार्यरत होने के कारण स्थान रिक्त नहीं था । इसलिए श्री पाण्डेय की नियुक्ति वेतन अनुदेशक के पद पर नहीं की गयी ।

मा० उच्च न्यायालय के स्थगन आदेश प्राप्त हो जाने के बाद अगस्त, 90 से जुलाई, 91 के सत्र में ड्राफ्टमैन सिविल व्यवसाय में दैनिक वेतन अनुदेशक के पद पर आवश्यकता न होने के कारण किसी भी दैनिक वेतन अनुदेशक के पद पर नियुक्ति नहीं की गयी । बाद में जब संस्थान में ड्राफ्टमैन सिविल की आवश्यकता हुई तो श्री पाण्डेय को सूचित किया गया, परन्तु वे दैनिक वेतन पर नियुक्ति हेतु इच्छुक नहीं थे । अतः श्री सलमान मुख्तार एवं श्री अरविन्द सिंह की क्रमशः दिनांक 20-10-92 तथा 12-1-94 को प्रशिक्षण हित में आवश्यकतानुसार पुनः ड्राफ्टमैन सिविल व्यवसाय में दैनिक वेतन अनुदेशक पर नियुक्ति की गयी है ।

जनपद आजमगढ़ की तहसील बूढ़नपुर के तालाबों के अवैध आवंटन को निरस्त करने की मांग

36–श्री अक्षयवर भारती–

क्या मत्स्य पालन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिले के बूढ़नपुर तहसील में सरकारी धन से कुछ तालाबों की खुदाई की गयी है ? क्या उन तालाबों का आवंटन शासकीय आदेशों के अनुसार मछुआ समुदाय के व्यक्तियों और मछुआ सहकारी समितियों को किया गया है ? क्या उक्त अवैध आवंटन को निरस्त किया जायेगा ? क्या उक्त अवैध आवंटन करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

पशुधन एवं मत्स्य मंत्री (श्री मनोहर लाल)–

वर्ष 1993-94 में मत्स्य विकास निगम द्वारा बूढ़नपुर तहसील के ग्राम धन्धारी जलालपुर जयनन्दन पट्टी में दीनदयाल विकास योजना के अन्तर्गत मत्स्य आस्थान के रूप में 28 तालाबों का निर्माण कराया गया।

प्रश्नगत तालाबों का आवंटन जिलाधिकारी द्वारा चयनित गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्तियों को स्थानीय रूप से मत्स्य पालक विकास अभिकरण, आजमगढ़ द्वारा किया गया। उक्त मत्स्य आस्थानों का निर्माण दीन दयाल योजना के अर्न्तगत किया गया था, जिसका मूल उद्देश्य गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्तियों/भूमिहीन श्रमिकों को पट्टा देकर रोजगार उपलब्ध कराना है। अतः आवंटन निरस्त कराये जाने तथा आवंटन करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़ के ग्राम कटवा मानापुर में मृतका श्रीमती कंचन देवी के जलाये जाने संबंधी प्रकरण की विवेचना

37–श्री लक्ष्मी नारायण पाण्डेय–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि प्रतापगढ़ जनपद के कटवा मानापुर ग्राम में महिला जलाये जाने की घटना दिनांक 14-10-93 समय 8.00 बजे रात्रि की सूचना दिनांक 24-12-93 समय 19 बजकर 50 मिनट पर थाना अन्तू में मु० अ० सं०–357/93 धारा 304 बी० आई० पी० सी० के तहत दर्ज करायी गयी है ? यदि हां, तो अभी तक उस प्रकरण पर क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां।

उल्लिखित अभियोग में की गई अब तक की विवेचना से मृतका कंचन देवी का अपने पति व ससुराल वालों के बीच पूर्व से कोई विवाद का रहना अथवा होना प्रकाश में नहीं आया है और न ही दहेज समस्या की ही कोई बात प्रकाश में आयी है।

विवेचना अभी प्रचलित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गाजियाबाद नगर में नये थाने खोलने की मांग

38–श्री बालेश्वर तयागी–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या गाजियाबाद में अपराधों की स्थिति को देखते हुए तथा तेजी से बढ़ती हुई आबादी को देखते हुए गाजियाबाद नगर में नये थाने खोलने की सरकार की कोई योजना है ? यदि हां, तो कितने थाने खोले जायेंगे और कब तक ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

अवैध रूप से बिना टैक्स का भुगतान किये झांसी, उत्तर प्रदेश से झांसी से शिवपुरी रोड पर ग्राम सिजवाहा पर पकड़ी गयी डायमंड सीमेन्ट फैक्ट्री, मडोरा से लादी गयी सीमेन्ट एवं कार्यवाही

39–श्री रतन लाल अहिरवार–

क्या मुख्य मंत्री को ज्ञात है कि दिनांक 15 फरवरी, 1994 की रात्रि 11 बजे 10 ट्रक सीमेन्ट से भरे जिनका वजन 150 टन के लगभग था, अवैध रूप से बिना टैक्स का भुगतान किये झांसी, उत्तर प्रदेश से झांसी से शिवपुरी रोड पर ग्राम सिजवाहा पर पकड़ी गयी थी जो कि डायमंड सीमेन्ट फैक्ट्री, मडोरा से लादी गयी थी ? यदि हां, तो क्या थानाध्यक्ष, रक्सा को सूचना देने पर घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गयी ? क्या यह भी सत्य है कि फैक्ट्री के प्रबन्धक श्री सूडानी ने थानाध्यक्ष, रक्सा की मदद से इन ट्रकों को मध्य प्रदेश की सीमा का बैरियर बचाते हुए रक्सा–राजापुर मार्ग से भेजा है ? यदि हां, तो क्या यह सत्य है कि उक्त माल फैक्ट्री से चोरी करके भेजा जा रहा था ? यदि हां, तो क्या दोषी पुलिस कर्मियों के खिलाफ कोई कार्यवाही की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद गाजीपुर के थाना करीमुद्दीनपुर के ग्राम प्रधानपुर में उप निरीक्षक श्री एल० पी० त्रिपाठी द्वारा फर्जी इन्काउन्टर की सी० आई० डी० से जांच की मांग

40–श्री अफजाल अंसारी–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री एल० पी० त्रिपाठी, उप निरीक्षक, सिविल पुलिस ने गोरखपुर परिक्षेत्र के किन-किन थानों पर नियुक्ति के दौरान कितने-कितने व्यक्तियों के इन्काउन्टर में जान से मार डाला है ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि इनके विरुद्ध फर्जी इन्काउन्टर दर्शाने पर गाजीपुर जनपद के थाना करीमुद्दीनपुर क्षेत्र के ग्राम प्रधानपुर में दिनांक 10/11 नवम्बर, 1993 को एक ही परिवार के चार लोगों की फर्जी इन्काउन्टर में हत्या की जांच सी० आई० डी० से कराई गई है ? यदि हां,तो उसका संक्षिप्त विवरण क्या है ? क्या उक्त उप निरीक्षक के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की गयी है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नही, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद फैजाबाद मेसर्स विष्णु स्ट्रा बोर्ड प्रा० लि० में तालाबन्दी के विरुद्ध श्रीमती जयकला व जोखना के पतियों की जमा धनराशि का प्राप्त न होना

41–श्री मित्रसेन यादव–

क्या श्रम मंत्री को ज्ञात है कि कार्यालय उप श्रमायुक्त, फैजाबाद में दिनांक 20-6-92 को विष्णु स्ट्रा बोर्ड प्रा० लि०, मोतीनगर, फैजाबाद के प्रतिष्ठान के प्रबन्धकों को दिनांक 5-10-91 से प्रतिष्ठान में

अवैधानकि तालाबन्दी करने की नोटिस जारी करते हुए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, फैजाबाद में प्राभियोजन भी दायर कर दिया गया है ? यदि हां, तो उक्त कार्यवाही की प्रगति रिपोर्ट क्या है ? क्या यह भी सही है कि श्रीमती जयकला और श्रीमती जोखना के प्रार्थना-पत्र पर उनके पति के भविष्य निधि में जमा धनराशि को प्राप्त करने के संबंध में उक्त नोटिस जारी की गयी है ? यदि हां, तो इसका विस्तृत विवरण क्या है ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

मेसर्स विष्णु स्ट्रा बोर्ड प्रा० लि०, मोतीनगर, फैजाबाद में दिनांक 5-10-91 से हुई तालाबन्दी के विरुद्ध उप श्रमायुक्त, फैजाबाद द्वारा दिनांक 10-10-91 को कारण बताओ नोटिस जारी करके मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, फैजाबाद के न्यायालय में दिनांक 24-12-91 को प्राभियोजन वाद दायर किया गया है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष दायर उक्त वाद में अभी तक कोई निर्णय नहीं हुआ है।

श्रीमती जयकला और श्रीमती जोखना के पतियों के भविष्य निधि खातों की संख्या ज्ञात न होने के कारण उनके पति के खातों में जमा धनराशि को प्राप्त कराने के संबंध में कार्यवाही नहीं हो सकी।

जनपद नैनीताल के थाना बाजपुर के ग्राम बन्नाखेड़ा के निवासी मृतक श्री खेल सिंह, पत्नी श्रीमती रजीत कौर के आश्रितों को आर्थिक सहायता दिये जाने का निर्णय

42–श्री अक्षयवर लाल–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 14-2-93 को गांव बन्नाखेड़ा, थाना बाजपुर, जिला नैनीताल के निवासी श्री खेल सिंह व उनकी पत्नी श्रीमती रजीत कौर की हत्या आतंकवादियों द्वारा करा दी गयी थी ? यदि हां, तो उनके अनाथ बच्चों को अब तक कितनी आर्थिक सहायता शासन से प्रदान की गयी ? यदि नहीं,तो क्यों ? क्या यह भी बतायेगे कि उन्हें आर्थिक सहायता कब तक एवं कितनी धनराशि की उपलब्ध करा दी जायेगी ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां।

आर्थिक सहायता दिये जाने के संबंध में शीघ्र ही निर्णय लिया जायेगा।

जनपद बहराइच के थाना–पयागपुर के ग्राम दुहेलवा में वर्णित व्यक्तियों की असामयिक मृत्यु की जांच

43–श्री अक्षयवर लाल–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम दुहेलवा व पयागपुर, थाना पयागपुर, जनपद बहराइच के जिन आठ (8) व्यक्तियों की असामयिक मृत्यु गंगा सागर (पश्चिम बंगाल)में जलयान डूब जाने के कारण दिनांक 14 जनवरी, 1994 को हुई थी, उनके परिवार वालों को शासन द्वारा आर्थिक सहायता कब तक उपलब्ध करा दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

प्रकरण में जांच करायी जा रही है। जांच आख्या प्राप्त होने पर यथोचित निर्णय लिया जायेगा।

जनपद इलाहाबाद शहर में घटित घटनाओं को रोकने की मांग

44–डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इलाहाबाद शहर एवं जनपद में पिछले ढाई महीनों में कितनी राहजनी, विभिन्न प्रकार की गाड़ियों की चोरी एवं लूट, दुकानों एवं घरों में चोरी एवं लूट, बलात्कार, हत्यायें, धमकाने की घटनायें हुई हैं ? इन घटनाओं से जुड़े हुए कितने अपराधी तत्वों के

विरुद्ध पुलिस प्रशासन ने क्या-क्या कार्यवाही की है ? उक्त प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिये सरकार क्या उपाय कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

प्राप्त सूचनानुसार इलाहाबाद शहर एवं जनपद में पिछले ढाई महीनों में अर्थात् 1 जनवरी, 94 से 15 मार्च, 94 तक राहजनी के 71 गाड़ियों की चोरी एवं लूट के 47 दुकानों एवं घरों में चोरी एवं लूट के 174, बलात्कार के 15, हत्या के 58 तथा धमकाने की घटनाओं के संबंध में कुल 253 मामले दर्ज हुए हैं।

पुलिस द्वारा उक्त घटनाओं से सम्बद्ध 545 अपराधी तत्व गिरफ्तार करके जेल भेजे गये हैं तथा उनमें से 278 के विरुद्ध न्यायालय में कार्यवाही विचाराधीन है।

इस प्रकार की घटनाओं की रोकथाम के लिये संवेदनशील स्थानों पर पिकेटिंग/पेट्रोलिंग की व्यवस्था करके अपराधी तत्वों पर सतर्क निगाह रखी जा रही है।

वर्तमान शासन द्वारा विधायकों एवं अन्य को सुरक्षा गार्ड उपलब्ध कराने का मानक

45–डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इस समय वर्तमान शासन द्वारा कितने विधायकों एवं अन्य लोगों को सुरक्षा गार्ड्स उपलब्ध कराये गये हैं ? सुरक्षा गार्ड देने का मापदण्ड क्या है ? इस सुरक्षा व्यवस्था पर शासन का प्रतिमाह कितना धन व्यय होता है ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

सूचना एकत्र की जा रही है।

जनपद मथुरा के थाना राया क्षेत्र में फर्जी मुठभेड़ का न होना

46–श्री प्रणत पाल सिंह–

क्या मुख्य मंत्री को ज्ञात है कि मथुरा जनपद के राया थाने में जनवरी को हुई पुलिस मुठभेड़ एक फर्जी मुठभेड़ थी ? यदि हां, तो दोषी पुलिस कर्मियों के विरुद्ध सरकार क्या कदम उठाने जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

माह जनवरी, 1994 में जनपद मथुरा के राया थाना क्षेत्र में पुलिस मुठभेड़ की कोई घटना घटित नहीं हुई है।

प्रश्न नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम दैनिक वेतन दर में कार्यरत कर्मचारियों को स्थायी करने की मांग

47–श्री प्रणत पाल सिंह–

क्या उद्योग मंत्री को ज्ञात है कि उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम में बारह वर्ष से भी अधिक समय से दैनिक वेतन पर कर्मचारी कार्यरत हैं ? यदि हां, तो सरकार उनके स्थायीकरण के लिये कदम उठाने जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम में बारह वर्ष से अधिक समय से दैनिक वेतन पर कोई कर्मचारी कार्यरत नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

48–श्री प्रणत पाल सिंह–

[व्यक्तिगत प्रकरण होने के कारण निरस्त]

जनपद मुजफ्फरनगर की पुलिस चौकी झिंआंना पंजीकृत में हरियाणा पुलिस के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया जाना

49–श्री सुधीर कुमार बालियान–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि दिनांक 19-9-93 को जनपद मुजफ्फरनगर की झिंझांना की पुलिस चौकी में कोई प्रथम सूचना रिपोर्ट हरियाणा पुलिस के विरुद्ध दर्ज कराई गई थी ? यदि हां, तो क्या अब तक इस रिपोर्ट पर कोई कार्यवाही हुई ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

प्रकरण से संबंधित हरियाणा पुलिस एवं अन्य 17 व्यक्तियों के विरुद्ध पंजीकृत अप० सं०–180/93 धारा 395/397 भा० दं० वि० की विवेचना के मध्य हरियाणा पुलिसकर्मियों का शामिल होना पाया गया और अपराध धारा 147/148/149/307/323/107 भा० दं० वि० का पाते हुए राजकुमार आदि 17 अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय को प्रेषित किया गया । अभियोग न्यायालय के विचाराधीन है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बाराबंकी के अन्तर्गत थाना क्षेत्र मसौली के ग्राम चुरलिया में घटित घटना में अपराधों के सिद्ध न होने पर अंतिम रिपोर्ट

50–श्री मित्रसेन यादव–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि जनपद बाराबंकी के अर्न्तगत थाना क्षेत्र मसौली के ग्राम चुरलिया में नहर के पानी को लेकर 17 जनवरी, 92 को कोई फौजदारी की घटना हुई थी ? यदि हां, तो क्या फौजदारी में द्विपक्षीय चोटें आयी थीं, जिसमें एक पक्ष के श्री सतगुरु नामक व्यक्ति को बन्दूक के छर्रों से गम्भीर चोटें आयीं थी और उसकी रिपोर्ट अपराध संख्या–32ए/92 अन्तर्गत धारा–147/148/149/323/325/307/504/506 भा० दं० वि० के तहत थाना मसौली में दर्ज करायी गयी थी ? यदि हां, तो क्या उक्त अभियोग में उल्लिखित अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोप-पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां । जी नहीं । उक्त अभियोग के विवेचना से अपराध सिद्ध न होने की स्थिति में दिनांक 8-3-92 को अंतिम रिपोर्ट प्रेषित कर विवेचना समाप्त की गयी ।

जनपद गोरखपुर के गन्ना विकास समिति पिपराइच में घटित घटना में अभियुक्तों की गिरफ्तारी का प्रयास

51–श्री रमापति उर्फ रमाकान्त–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या गन्ना विकास समिति पिपराइच गोरखपुर में गत 11/12 जनवरी की रात में डकैती पड़ी थी ? समिति के जिस कमरे में डकैती पड़ी थीं उसमें कितनी तिजोरियां थीं ? क्या डकैत उस एक ही तिजोरी को ले गये जिसमें 4.38 लाख रुपये रखे गये थे ? क्या एक अदद दो नाली बन्दूक भी डकैत उठा ले गये ? क्या आज तक इस केस में कोई गिरफ्तारी हुई है ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

कुल 4 तिजोरियां थी ।

जी हां ।

प्रश्नगत प्रकरण में मु० अ० स० 17/94 धारा 395/397 दर्ज कर मामला विवेचनाधीन है । अभियुक्तों की गिरफ्तारी तथा माल बरामदगी हेतु हर सम्भव प्रयास किया जा रहा है ।

राज्य सेवा परीक्षा की प्रतीक्षा सूची के आधार पर अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों की नियुक्ति की मांग

52–श्री ऊदल–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश शासन कार्मिक अनुभाग–4 के संयुक्त सचिव ने अपने पत्र संख्या–2397/47-का-4-92-15/9/1990 दिनांक 30 सितम्बर, 92 के द्वारा जयनारायण राम 522/2 उचवा गढ़ी, राजापुर इलाहाबाद को लिखा कि शासन की नीति के अनुसार किसी भी प्रतियोगितात्मक परीक्षा/चयन की प्रतीक्षा सूची का उपयोग विभाग को आवंटन प्राप्त होने की तिथि से एक वर्ष के बाद नहीं किया जा सकता है ? क्या यह भी लिखा गया था कि प्रश्नगत प्रकरण वर्ष 1988 की परीक्षा का है, अतः वर्ष 88 की सम्मिलित राज्य सेवा परीक्षा की प्रतीक्षा सूची के आधार पर श्री राम की नियुक्ति प्रदान करने के संबंध में विचार नहीं किया जा सकता ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि उक्त चयन की प्रतीक्षा सूची में से सामान्य वर्ग की नियुक्तियां की जा रही हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच करायेगी ? और अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों की भी नियुक्तियां करने का आदेश देगी ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

जी हां ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

53–श्रीमती शशिबाला पुण्डीर–

[न्यायालय के विचाराधीन होने के कारण निरस्त ।

54–श्री लाल बहादुर सिंह–

[7 वें मंगल के लिये स्थगित ।

जनपद अल्मोड़ा के मेहरागांव के पशुधन प्रसार अधिकारी श्री कर्मवीर सिंह को कार्य मुक्त करने के निर्देश

55–श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह 'मुन्ना'–

क्या पशुपालन मंत्री को जानकारी है कि श्री कर्मवीर सिंह, पशुधन प्रसार अधिकारी, मेहरागांव, जनपद अल्मोड़ा का स्थानान्तरण दिनांक 26-12-92 को निदेशक, पशुधन उ० प्र० ने बरेली मण्डल में किया है ? यदि हां, तो क्या यह भी सही है कि जिला पशुधन अधिकारी, अल्मोड़ा को अभी तक रिलीव नहीं किया गया है ? क्या निदेशक, पशुपालन (उ० प्र०) के आदेशों का पालन करते हुए उन्हें शीघ्र रिलीव कर दिया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मनोहर लाल–

जी हां ।

जी हां ।

निदेशक, पशुपालन विभाग, को पशुधन प्रसार अधिकारियों का प्रशिक्षण पूर्ण होने पर श्री कर्मवीर सिंह का प्रतिस्थानी तैनात कर उन्हें कार्यमुक्त करने के निर्देश दे दिये गये हैं ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

जनपद झांसी बिजौली इण्डस्ट्रियल एरिया में वाल्स एण्ड सिलपेब्स फैक्ट्री में घटित दुर्घटनाओं में दुर्घटनाग्रस्त श्रमिकों को देय धनराशि की क्षतिपूर्ति

56–श्री रतन लाल अहिरवार–

क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि झांसी जनपद में विजौली इण्डस्ट्रियल एरिया में वाल्स एण्ड सिलपेब्स फैक्ट्री में माह फरवरी, 90 में घटी आकस्मिक घटना में कितने श्रमिकों की मृत्यु हुई थी तथा कितने घायल हुए थे ? क्या यह भी सत्य है कि मृतकों की प्रथम सूचना रिपोर्ट भी थाने में दर्ज नहीं हुई ? क्या मृतकों के परिवार को कोई मुआवजा दिया गया अथवा नहीं ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि दिया जायेगा, तो कब तक ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

माह फरवरी, 90 में कारखाना मेसर्स वाल्स एण्ड सिलपेब्स लि० बी-23, विजौली इण्डस्ट्रियल एरिया झांसी में घटित दो असंघातक दुर्घटनाओं में दो श्रमिकों को शारीरिक चोट आयी थी जिसमें एक श्रमिक का हाथ कलाई से काटा जाना पड़ा जिससे उसे स्थायी अपंगता हुई । इन दोनों दुर्घटनाओं में किसी भी श्रमिक की मृत्यु नहीं हुई । कारखाना प्रबन्धक द्वारा इसी दिनांक 23-2-90 को थाना–प्रेमनगर, झांसी में सूचना प्रेषित कर दी गयी थी । दिनांक 15-2-90 की घटना में एक श्रमिक को मामूली चोट लगी थी । यह दुर्घटना गम्भीर न होने के कारण इसकी सूचना थाने में दर्ज नहीं करायी गयी ।

किसी श्रमिक की मृत्यु न होनें के कारण उसके परिवार को मुआवजा देने का प्रश्न नहीं उठता । उक्त घटना में स्थायी रूप से अपंग हुए एक श्रमिक को ई० एस० आई से क्षतिपूर्ति के रूप में वर्तमान में 22 रुपये 34 पैसे प्रतिदिन मिल रहा है । सहायता के रूप में 25,000 रुपये की धनराशि सेवायोजकों द्वारा दुर्घटनाग्रस्त श्रमिक को दी गयी एवं चपरासी के पद पर रुपया 1196.44 प्रतिमाह कार्य पर सहयोगी प्रतिष्ठान में रखा गया ।

जनपद आजमगढ़ के थाना अतरौलिया के ग्राम–मुण्डेरा में श्री मंगला प्रसाद श्रीवास्तव के भाई की हत्या के संबंध में गवाहों की सुरक्षा हेतु स्थानीय पुलिस को निर्देश

57–श्री लल्लू सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री मंगला प्रसाद श्रीवास्तव, ग्राम मुण्डेरा, थाना अतरौलिया, जिला आजमगढ़ ने अपने पत्र दिनांक 21-2-94 जो कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ एवं जिला अधिकारी, आजमगढ़ को सम्बोधित था, और जिसमें उसके भाई की हत्या के अभियुक्तों एवं थानाध्यक्ष द्वारा गवाहों का उत्पीड़न एवं गम्भीर क्षति पहुंचाने संबंधी था प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो श्री श्रीवास्तव एवं गवाहों के जीवन की सुरक्षा के लिये प्रशासन द्वारा क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

गवाहों के जीवन की सुरक्षा के लिये स्थानीय पुलिस को समुचित निर्देश दे दिये गये हैं ।

जनपद अलीगढ़ की कोतवाली हाथरस की पुलिस द्वारा लड़की के अपहरण के संबंध में श्री दिनेश चन्द्र अग्रवाल की गिरफ्तारी

58–श्री ऊदल–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि हाथरस कोतवाली, जिला अलीगढ़ के इन्सपेक्टर सरन पाण्डेय तथा अन्य पुलिस कर्मियों ने ता० 26-2-94 को श्री दिनेश चन्द्र अग्रवाल सिकतरावाले चक्की बजार हाथरस को एक फर्जी लड़की के अपहरण में गिरफ्तार कर हथकड़ी पहना कर हाथरस बाजार में घुमाया गया ? क्या उक्त अपहरण की घटना की रिपोर्ट हाथरस थाने में दर्ज नहीं हुई है और वह ता० 23-2-94 को थाना चन्दपा जिला अलीगढ़ में दर्ज करायी गयी है जिसमें श्री दिनेश चन्द्र अग्रवाल का नाम नहीं है? यदि हां, तो क्या सरकार इस घटना की जांच सी० आई० डी० से करायेगी और सी० ओ० तथा इन्सपेक्टर को तुरन्त वहां से ट्रांसफर करेगी ? क्या श्री दिनेश चन्द्र ने मा० मुख्य मंत्री को पूरी घटना के बारे मे प्रार्थना पत्र दि० 2-3-94 को दिया है ।

श्री मुलायम सिंह यादव–

प्राप्त सूचना के अनुसार कुमारी शकुन शर्मा के अपहरण के संबंध में थाना हाथरस कोतवाली, जनपद अलीगढ़ में पंजीकृत मु० अपराध संख्या–36/94 धारा 365 भा० दं० वि० के संदर्भ में दिनांक 26-2-94 को श्री दिनेश चन्द्र अग्रवाल निवासी चक्की बाजार, हाथरस, जनपद अलीगढ़ को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया था । गिरफ्तारी के उपरान्त उसके साथ 3 अन्य अभियुक्तों (जो विभिन्न मुकदमों से संबंधित थे) को सामान्य प्रक्रिया के अन्तर्गत हथकड़ी लगाकर निकटतम मार्ग से पैदल अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी हाथरस के यहां भेजा गया था ।

कु० शकुन शर्मा के अपहरण के संबंध में एक अज्ञात व्यक्ति ने उसी दिन टेलीफोन द्वारा सूचना थाना हाथरस कोतवाली को दी । पुलिस द्वारा तत्काल अपहृता की तलाश शुरू की गयी । चेकिंग होने पर अपहरणकर्ता लड़की को छोड़ कर भाग गये । उक्त घटना की प्राथमिकी थाना चन्दपा जनपद अलीगढ़ पर अपहृता द्वारा अंकित करायी गयी परन्तु घटना स्थल हाथरस कोतवाली का होने के कारण अभियोग विधिवत् थाना हाथरस कोतवाली पर पंजीकृत हुआ । प्रथम सूचना रिपोर्ट में केवल एक अभियुक्त अनु शर्मा को नामजद किया गया था परन्तु चूंकि अपहरण में प्रयुक्त की गयी मारुति कार के चालक के रूप में अपहृत शकुन शर्मा एवं उसकी बहिन द्वारा श्री दिनेश चन्द्र अग्रवाल की शिनाख्त की गयी । इस आधार पर पुलिस द्वारा श्री दिनेश चन्द्र अग्रवाल की गिरफ्तारी की गयी ।

समस्त कार्यवाही नियमानुसार की गयी है । अतः प्रश्न ही नहीं उठता । जी हां ।

जनपद लखनऊ के मोहल्ला ठाकुरगंज के अन्तर्गत अपहृत श्री अनिल कुमार रस्तोगी का पता लगाने की मांग

59–श्री राम कुमार शुक्ल–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या ठाकुरगंज लखनऊ के अन्तर्गत अनिल कुमार रस्तोगी का अपहरण दिनांक 1-12-93 को हो गया था ? यदि हां, तो क्या अब तक कोई कार्यवाही की गयी है? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

श्री अमरनाथ रस्तोगी पुत्र श्री मुन्नू लाल रस्तोगी, नि० सराय माली खां क्रासिंग थाना ठाकुरगंज, लखनऊ द्वारा दिनांक 7-12-1993 को दी गयी सूचना में यह बताया गया था कि दिनांक 1-12-93 को उसके पुत्र अनिल कुमार रस्तोगी उर्फ गोवर्धन आयु 23 वर्ष व नौकर लज्जाराम आयु 38 वर्ष स्कूटर

संख्या यू० ए० ई०–7601 से चारबाग कहकर गये थे । उक्त स्कूटर तो रेलवे स्टेशन के सामने स्टैण्ड पर मिली परन्तु उक्त दोनों का पता नहीं चला ।

उक्त सूचना पर उसी दिन थाना ठाकुरगंज पर गुमशुदगी पंजीकृत करके अपहृत की तलाश हेतु समाचार पत्रों, दूरदर्शन एवं जिला अपराध ब्यूरो के माध्यम से सभी प्रान्तों से पता लगाने का प्रयास किया गया । दिनांक 18-12-1993 को वादी द्वारा सूचित करने पर कि उसके परिवार वालों से टेलीफोन पर फिरोतियां मांगी जा रही है, अभियोग धारा 364/365/384 भा० दं० वि० के अन्तर्गत परिवर्तित किया गया था संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ के अतिरिक्त कई स्थानों पर दविश देकर अपहृत की तलाश के प्रयास किये गये । अग्रेतर दो उप निरीक्षकों व 2 आरक्षियों का एक विशेष पुलिस दस्ता गठित करके थानाध्यक्ष, ठाकुरगंज के साथ सम्बद्ध किया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

आजीवन कारावासित बन्दियों की सजा जीवन पर्यन्त होना

60–श्री बनवारी लाल दोहरे–

क्या कारगार मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जेल मैनुअल के आधार पर आजीवन कारावासित बन्दियों की कितनी वर्षों की आजीवन सजा मानी गयी है ? जेल मैनुअल के अनुसार क्या आजीवन सजा भोगी व्यक्तियों को रिहा किया जाता है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या आजीवन सजा भोगियों को जेल मैनुअल के आधार पर रिहा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अवधेश प्रसाद–

आजीवन कारावास बन्दियों की सजा जीवन पर्यन्त होती है ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उत्तर प्रदेश के पुलिस भोजनालयों में आरक्षण कोटा पूरा करने की मांग

61–श्री बनवारी लाल दोहरे–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पुलिस थानों के चलते हुए भोजनालयों में क्या अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रसोइया का निर्धारित आरक्षण पूर्ण है ? यदि हां, तो कुल कितनी नियुक्तियां हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ? आरक्षण कब तक पूरा कर दिया जायेगा ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में विलम्ब सम्बन्धी प्रकरण

62–श्री सुरेश कुमार खन्ना–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ० प्र० लोक सेवा आयोग की परीक्षाएं नियमित न होने का क्या कारण है ? क्या वर्ष 1992 में पी० सी० एस० (प्रो०) परीक्षा का परीक्षाफल अब तक घोषित नहीं हुआ तथा 1993 जनवरी में जिस पी० सी० एस० परीक्षा के आवेदन पत्र स्वीकार किये गये उनकी

परीक्षा अभी तक नहीं हुई ? इन दोनों के लिये कौन दोषी है ? क्या इनके विरुद्ध सरकार कोई कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में प्रतियोगी छात्रों की बढ़ती हुई संख्या तथा उसके फलस्वरूप परीक्षा हेतु वांछित अतिरिक्त परीक्षा केन्द्रों की उपलब्धता में कठिनाई एवं सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा की मुख्य परीक्षा हेतु एक अतिरिक्त परीक्षा (प्रारम्भिक परीक्षा) का प्राविधान किये जाने के कारण विलम्ब हुआ है।

परीक्षा में विलम्ब हेतु कोई व्यक्ति दोषी नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

63–श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल–

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा वितरित धनराशि का विवरण

64–श्री गोविन्द सिह कुंजवाल–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड ने इस वर्ष में अप्रैल; 93 से अगस्त, 93 तक खादी तथा ग्रामोद्योग के लिये उद्योगवार कितना धन वितरित किया था तथा सितम्बर, 93 से फरवरी, 94 तक कितना धन वितरित किया ? क्या जिन उद्योगों के अन्तर्गत पिछले 5 माह की तुलना में अगले 6 माह (सितम्बर, 93 से फरवरी, 94) में वितरण कम हुआ ? यदि कम हुआ, तो क्यों ? क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि 93-94 के लिये आयोग से कितना बजट ऋण वितरण हेतु प्राप्त हुआ था तथा उसके विपक्ष में अप्रैल, 93 से फरवरी, 94 तक कितना धन वितरित किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

शून्य।

1–साबुन उद्योग	रु०	3,84,000
2–चर्म उद्योग में	रु०	25,000
कुल रु०		4,09,000

पिछले 5 माह की तुलना में ऋण वितरण अधिक हुआ है अतः कम वितरण का प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्नगत अवधि में आयोग से 6;61,42,793.64 रु० वितरण हेतु प्राप्त हुआ तथा अप्रैल, 93 से फरवरी, 94 तक की अवधि में 4,09,000 रु० वितरित किया गया।

जनपद जौनपुर के थाना शाहगंज के ग्राम सुरिस के निवासी स्व० श्री राम अचल (चमार) की हत्या की सी० आई० डी० से जांच की मांग

65–श्री मो० अरशद खान–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि स्व० राम अचल (चमार) ग्राम–सुरिस, थाना शाहगंज, जिला जौनपुर जिसकी 7-5-93 को निवर्तमान कोतवाल शाहगंज की हत्या कर दी गयी थी उसकी सी० आई० डी०/सी०बी० आई० जांच हो रही है ? यदि हां, तो कब तक पूरी जांच हो जायेगी ? यदि नहीं,

तो क्यों ? क्या उसके परिवार को दो लाख रुपया सरकारी सहायता स्वीकार की जा रही है ? यदि हां, तो सहायता राशि का भुगतान कब तक कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

66–श्री मो० अरशद खान–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि स्व० राम अचल (चमार) ग्राम सुरिस, थाना शाहगंज, जिला जौनपुर की हत्या दिनांक 7-5-93 को निवर्तमान कोतवाल, शाहगंज द्वारा कर दी गयी थी ? इसी हत्या कांड को लेकर 22-10-93 को सरकार के आदेशानुसार रामसमुझ राय का स्थानान्तरण जौनपुर से मिर्जापुर जनपद के लिये हो गया था एवं हत्या कांड की जांच के आदेश भी दिया था ? अब पुनः जनवरी, 94 में उक्त कोतवाल ने अपना स्थानान्तरण मिर्जापुर से कराकर पुनः जौनपुर आ गये हैं एवं वर्तमान समय में मछली शहर कोतवाली के इंचार्ज हैं ? क्या मुख्य मंत्री जी उक्त कोतवाल का जौनपुर से बाहर किसी अन्य जिले में स्थानान्तरण करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद फैजाबाद के थाना सम्मनपुर में तौहीद खां के मकान के सामने दीवाल खड़ी करने के संबंध में पूर्व विधायक श्री प्रियदर्शी जेतली के पत्र पर कार्यवाही की मांग

67–श्री राम अचल राजभर, श्री धामू राम भास्कर तथा श्री तिलक राज बेहड़–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि परगनाधिकारी, अकबरपुर, जिला फैजाबाद एक आदेश थाना–सम्मनपुर को इस्लाम खां, द्वारा तौहीद खां के मकान के सामने जबरन दीवाल खड़ी करने के कारण निकास बन्द हो जाने पर तत्काल स्थानीय जांच कराने व शांति व्यवस्था सुनिश्चित कराने के संबंध में भेजा है ? क्या यह सही है कि थाना अध्यक्ष द्वारा उक्त आदेश का अनुपालन न करने के कारण पूर्व विधायक श्री प्रियदर्शी जेतली द्वारा पुनः एक पत्र जो थानाध्यक्ष द्वारा परगनाधिकारी का आदेश अनुपालन न करने के संबंध में दिनांक 2-3-94 को लिखा गया ? यदि हां, तो परगनाधिकारी का आदेश व श्री प्रियदर्शी जेतली द्वारा लिखा गया परगनाधिकारी के पत्र पर सी० ओ० अकबरपुर, थानाध्यक्ष, अकबरपुर द्वारा उक्त संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

जनपद फैजाबाद के थाना बेवाना के ग्राम अहेथा के निवासी मो० यहिया खां पुत्र मुश्ताक खां थानाध्यक्ष के विरुद्ध लगाये गये आरोपों का प्रमाणित न होना

68–श्री राम अचल राजभर, श्री धामू राम भास्कर तथा श्री तिलक राज बेहड़–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम अहेथा, थाना बेवाना, जनपद फैजाबाद के निवासी मो० यहिया खां पुत्र मुश्ताक खां के प्रार्थना-पत्र पर थाना इंचार्ज के विरुद्ध झूठे मुकदमें कायम कर जानमाल के नुकसान करने की जांच के संबंध में पंचायती राज मंत्री द्वारा फरवरी, 94 में कोई पत्र ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक, फैजाबाद को तथा उक्त थानेदार के स्थानान्तरण के संबंध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, फैजाबाद को माह फरवरी, 94 में कोई पत्र लिखा गया है ? यदि हां, तो संबंधित मंत्रियों के दोनों पत्रों के ऊपर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

संबंधित पत्र पर जांच कराई गयी जिससे थानाध्यक्ष के विरुद्ध लगाये गये आरोप प्रमाणित नहीं हुए। संबंधित तत्कालीन थानाध्यक्ष का स्थानान्तरण अन्यत्र किया जा चुका है ।

69–श्री विश्वनाथ प्रसाद गुप्त–

[7वें मंगलवार के लिये स्थगित]

राजकीय कालोनी कैसरबाग तथा दारुलशफा में अप्राधिकृत रूप से निवासित अधिकारी/कर्मचारियों के बेदखली/क्षतिपूर्ति संबंधी प्रकरण

70–श्री जगरनाथ चौधरी तथा श्री अक्षयवर भारती–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मात्र दारुलशफा व कैसरबाग राजकीय कालोनी में कौन-कौन से अधिकारी/कर्मचारी (नाम जाति व वर्तमान में कार्यरत पदनाम, विभाग व स्थान का नाम सहित) किस आधार पर अनधिकृत अध्यासी होते हुए भी कब से रह रहे हैं ? क्या मुख्य मंत्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि उक्त अधिकारियों/कर्मचारियों के ऊपर अनधिकृत अध्यासन की अवधि का कुल कितने रुपये कब से कब तक राज्य सम्पत्ति विभाग का बकाया है और उसे वसूल न कर पाने और संबंधित उक्त लोगों से आवास खाली न करा पाने का क्या कारण है ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

राजकीय कालोनी कैसरबाग तथा दारुलशफा में 7 अधिकारी/कर्मचारी अप्राधिकृत रूप से निवास कर रहे हैं, जिनके संबंध में वांछित सूचना संलग्न विवरण-पत्र में अंकित है । बेदखली/क्षतिपूर्ति संबंधी वाद न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण आवास रिक्त कराना, क्षतिपूर्ति की धनराशि का निर्धारण करना तथा बकाया की वसूली करना सम्भव नहीं है ।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 103–104 पर)

71–श्री जगरनाथ चौधरी तथा श्री अक्षयवर भारती–

क्या मुख्य मंत्री जी दारुलशफा व कैसरबाग राजकीय कालोनी के अनाधिकृत अध्यासियों के भवनों को खाली कराये जाने के संबंध में विहित अधिकारी के पास कब से वाद कायम होने के उपरान्त भी अभी तक कोई कार्यवाही संबंधित आवास खाली कराये जाने के संबंध में नहीं हो पायी है ? इसका क्या कारण है ? क्या माननीय मुख्य मंत्री जी ऐसे अधिकारियों/कर्मचारियों से संबंधित आवास तत्काल खाली कराये जाने व अनधिकृत अध्यासन की अवधि का किराया तत्काल वसूल कराने की व इनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही सुनिश्चित कराने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

अप्राधिकृत अध्यासियों के विरुद्ध उत्तर प्रदेश सार्वजनिक भू-गृहादि (अप्राधिकृत अध्यासियों की बेदखली) अधिनियम-22, सन् 1972 के अन्तर्गत बेदखली के वाद न्यायालय विहित प्राधिकारी में दायर किये गये जिनमें श्री अमर सिन्हा के संबंध में वाद न्यायालय विहित प्राधिकारी में विचाराधीन है तथा शेष सभी 6 मामलों में विहित प्राधिकारी द्वारा पारित बेदखली एवं क्षतिपूर्ति आदेश के विरुद्ध अप्राधिकृत अध्यासियों ने सक्षम न्यायालय में अपील दायर किया है जो विचाराधीन है । अप्राधिकृत अध्यासियों ने स्थगनादेश भी प्राप्त कर लिया है । न्यायालय में वाद विचाराधीन होने तथा स्थगनादेश जारी होने के

कारण उक्त अधिकारियों/कर्मचारियों से आवास रिक्त कराना, बकाया क्षतिपूर्ति वसूल करना एवं उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करना सम्भव नहीं है ।

गोरखपुर रेलवे स्टेशन के बाहर घटित घटना में शामिल अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप पत्र

72–श्री राम कुमार शुक्ल–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि 14 फरवरी, 1994 को गोरखपुर रेलवे स्टेशन के बाहर लखनऊ के पत्रकार श्री विनोद महेश्वरी तथा उनके बड़े भाई प्रकाश चन्द्र महेश्वरी को सशस्त्र डकैतों ने पिस्तौल दिखाकर करीब सत्तर हजार (70,000) रुपये मूल्य के चांदी के जेवर आदि लूट लिये थे ? यदि हां, तो क्या कोई अपराधी इसमें पकड़े गये थे तथा उनके खिलाफ कोई कार्यवाही हुई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

उक्त घटना में शामिल अभियुक्तगण बृजेश द्विवेदी निवासी विसुनपुरवा थाना सलेमपुर, देवरिया तथा श्री अमजद पुत्र हनीफ निवासी गोरखपुर को लूटे गये सामान के साथ गिरफ्तार कर लिया गया तथा अभियुक्तगण हनीफ, वसीउल्ला, प्रेम यादव ने न्यायालय में आत्मसमर्पण किया । अभियुक्तगणों के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में दिनांक 7-3-94 को प्रेषित किया जा चुका है, जो न्यायालय में विचाराधीन है ।

शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

उ० प्र० सचिवालय में सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त कर्मचारियों की ज्येष्ठता संगत परीक्षा की श्रेष्ठता सूची

73–श्री शारदा प्रसाद जायसवाल–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ० प्र० सचिवालय में वर्ष 1985 में 200 टंककों की सामान्य भर्ती के अतिरिक्त बाद में प्रतीक्षा सूची से भी नियुक्ति की गयी थी और उन्हें अवर वर्ग सहायक के पदों पर संविलीन कर वरिष्ठता के आदेश संख्या–3994/20-ई-49-91, दिनांक 25-7-1991 जारी किये गये हैं ? यदि हां, तो क्या इस वरिष्ठता आदेश में उक्त वर्ष 1985 में बाद में प्रतीक्षा सूची से नियुक्त कनिष्ठ कर्मचारियों को सामान्य भर्ती के अनु० जा०/ज० जा० के कर्मचारियों से वरिष्ठ बना दिया गया है ? यदि हां, तो क्या अ० जा०/ज० जा० के कर्मचारियों के साथ की गयी इस अनियमितता को ठीक कराकर प्रतीक्षा सूची से नियुक्त कर्मचारियों से वरिष्ठता प्रदान की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

जी हां ।

जी नहीं ।

सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त कर्मचारियों की ज्येष्ठता संगत परीक्षा की श्रेष्ठता सूची के अनुसार तैयार की जाती है, अतः इस मामले में कोई अनियमितता नहीं हुई है ।

उत्तर प्रदेश सचिवालय के अन्तर्गत अवर वर्ग सहायकों की रोस्टर प्रणाली से ज्येष्ठता सूची

74–श्री शारदा प्रसाद जायसवाल–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ० प्र० सचिवालय में अवर वर्ग सहायकों की वरिष्ठता सूची में अनुसूचित जाति/जनजाति के आरक्षण हेतु राष्ट्रीय एकीकरण विभाग द्वारा जारी शासनादेश के

आधार पर रोस्टर प्रणाली लागू की गयी है ? यदि हां, तो क्या फरवरी, 1994 में अवर वर्ग सहायकों की प्रवर वर्ग सहायकों के पदों पर की गयी पदोन्नति में उक्त रोस्टर प्रणाली का आरक्षण का लाभ प्रदान किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या उपरोक्त लाभ अब प्रदान किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

वरिष्ठता (ज्येष्ठता) सूची तैयार किये जाने में रोस्टर प्रणाली लागू किये जाने की व्यवस्था नहीं है।

फरवरी, 1994 में अवर वर्ग सहायकों की ज्येष्ठता सूची में कनिष्ठतम् प्रोन्नत अवर वर्ग सहायक से ज्येष्ठ प्रोन्नति से वंचित अवर वर्ग सहायकों को प्रवर वर्ग सहायक/संदर्भ लिपिक के पद पर शाखा स्तरीय व्यवस्था में स्थानापन्न प्रोन्नति प्रदान की गयी है। चूंकि यह स्थानापन्न प्रोन्नति ज्येष्ठ कर्मियों के प्रोन्नत न हो पाने की विसंगति दूर करने तक ही सीमित रखी गयी है, अतः प्रश्नगत प्रोन्नति में रोस्टर प्रणाली लागू किये जाने का प्रश्न नहीं उठता है।

जनपद कानपुर से स्थानान्तरित पुलिस कर्मियों का विवरण

75–श्री बाल चन्द्र मिश्र–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि रेंज के बाहर पुलिस कर्मियों की स्थानान्तरण की क्या नीति है ? क्या कानपुर से विगत माह में स्थानान्तरित 40 पुलिस कर्मियों का स्थानान्तरण शासन के नीतियों के अधीन हुआ है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या पुनः इसी माह 200 और पुलिस कर्मियों के स्थानान्तरण की योजना विचाराधीन है ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

सामान्यतः निरीक्षक अथवा उपनिरीक्षक को एक परिक्षेत्र में पूरे सेवाकाल में 12 वर्ष, निरीक्षक को जनपद में 5 वर्ष उपनिरीक्षक को जनपद में 6 वर्ष तथा हेड कान्सटेबिल को एक जनपद में 10 वर्ष एवं कान्सटेबिल को 15 वर्ष तक नियुक्त रखे जाने की नीति है।

शासकीय नीति का उल्लंघन नहीं हुआ है।

प्रश्न नहीं उठता।

जी नहीं।

76–श्री राम आसरे वर्मा–

[दि० 12-4-94 को अता० प्र० सं०–37 द्वारा उत्तरित]

जनपद आजमगढ़ के थाना–जीयनपुर में प्रश्नगत प्रकरण में अभियुक्त की गिरफ्तारी

77–श्री ऊदल–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मु० अ० सं०–66/94 धारा–364भा० द० वि० थाना जीयनपुर, जिला आजमगढ़ दि० 23-2-94 के बारे में अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

प्रश्नगत मु० अ० सं० 66/94 से सम्बन्धित एक अभियुक्त की गिरफ्तारी की गयी तथा दो ने न्यायालय में आत्मसमर्पण कर दिया है। मामला अभी विचाराधीन है।

उ० प्र० वित्तीय निगम द्वारा मुरादाबाद के ठाकुरद्वारा स्थित मेसर्स दक्ष राइस मिल को देय ऋण की वसूली की कार्यवाही

78–श्री समर पाल–

क्या उद्योग मंत्री को जानकारी है कि उ० प्र० वित्तीय निगम द्वारा मेसर्स दक्ष राइस मिल ठाकुरद्वारा मुरादाबाद को वर्ष 1983 में वर्किंग कैपिटल के रूप में मात्र 2 लाख रुपये का ऋण दिया गया था जिसमें

इकाई सुचारु रूप से नहीं चल सकी और वर्ष 1988 में उसे बीमार इकाई घोषित कर दिया गया ? यदि हां, तो क्या नियमानुसार बीमार इकाई को मिलने वाली सुविधायें जैसे बिक्रीकर में छूट एवं पर्याप्त ऋण की उपलब्धता उक्त इकाई को भी प्रदान की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार उक्त इकाई के विरुद्ध समस्त वसूली रोककर उसे पुनः चालू करने हेतु पर्याप्त धन उपलब्ध करायेगी एवं बकाया ऋण की वसूली किश्तों में किये जाने के आदेश प्रदान करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

इकाई के संचालन हेतु कार्यशील पूंजी ऋण बैंक से प्राप्त करने का प्राविधान होने के कारण कार्यशील पूंजी ऋण का मामला उ० प्र० वित्तीय निगम से सम्बन्धित नहीं है।

उद्योग बन्धु की मण्डलीय समिति की बैठक दि० 13-1-88 में इकाई को बीमार घोषित किया गया तथा समिति की संस्तुति के अनुसार बैंक ने दि० 22-11-88 को रु० 6.25 लाख की कार्यशील पूंजी ऋण स्वीकृत किया तथा निगम ने इकाई के ऊपर कालातीत मूलधन एवं ब्याज की धनराशि की किश्तों का पुनर्निर्धारण किया।

इकाई को नियमानुसार पूर्व में सुविधायें उपलब्ध करा दी गयी हैं लेकिन इकाई के भागीदारों द्वारा स्वयं लगायी जाने वाली धनराशि का अभाव है। अतः और वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना सम्भव नहीं है।

जनपद महराजगंज में पशुओं के वध की रोकथाम हेतु निर्देश

79–श्री शारदा प्रसाद जायसवाल–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि जनपद महराजगंज के तीन पुलिस स्टेशन से घेरा हुआ बलुभा ताल में प्रतिदिन अवैध चमड़े के धन्धे को प्रोत्साहित करने वाले खेती योग्य बैलों एवं बछड़ों तथा दुधारु पशुओं का वध खुलेआम सार्वजनिक ताल पर पुलिस संरक्षण में हो रहा है जिसके कारण पर्यावरण दूषित हो रहा है ? इसके लिये तत्काल रोक लगाने तथा संबंधित दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या सरकार कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

यह कहना सही नहीं है कि पुलिस संरक्षण में खेती योग्य पशुओं का वध किया जा रहा है।

पशुओं के वध की सूचना प्राप्त होने पर इसकी रोकथाम हेतु संबंधित थानाध्यक्ष को कठोर निर्देश दिये गये हैं। विधि विरुद्ध पशुओं का वध करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध तत्परता पूर्वक कार्यवाही की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश सचिवालय में समूह 'घ' के अन्तर्गत रिक्त पदों पर साक्षात्कार हेतु पत्र भेजने की कार्यवाही

80–श्री तेजभान सिंह–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि उत्तर प्रदेश सचिवालय के सचिवालय प्रशासन (अधिष्ठान) अनुभाग–4 द्वारा दिनांक 7 मार्च, 1994 से चतुर्थ श्रेणी में 400 पदों पर भर्ती हेतु साक्षात्कार लिया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि इस साक्षात्कार में पिछड़ी जाति/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/विकलांग/निराश्रित महिलाओं को कोटे के अनुसार भर्ती हेतु बुलावा पत्र निर्गत नहीं किया गया ? यदि हां, तो क्यों ? क्या यह भी सत्य है कि जिन अभ्यर्थियों ने वर्ष 1989 में परीक्षा दी थी, उन्हें भी पुनः साक्षात्कार हेतु बुलावा पत्र ही भेजे गये हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त अनियमित

चयन को तुरन्त रोककर अनुभवी व पढ़े लिखे बेरोजगार/पिछड़ी जाति/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को तथा पूर्व में साक्षात्कार दे चुके सभी अभ्यर्थियों/महिलाओं को बुलाने का आदेश निर्गत करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या उक्त साक्षात्कार में केवल अग्रणी जाति के लोगों को ही पत्र भेजने की जांच करायेंगे ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

उत्तर प्रदेश सचिवालय में समूह 'घ' के चपरासी/फर्राश/बेलदार/चौकीदार/पानीवाला आदि के रिक्त पदों को भरे जाने हेतु दिनांक 1 मार्च, 1994 से साक्षात्कार लिया गया है और उक्त साक्षात्कार में समस्त वर्गों के उन सभी अभ्यर्थियों को बुलाया गया है जो सम्बन्धित नियमावली के अनुसार अपेक्षित अर्हताएं एवं शासन द्वारा निर्धारित अधिमानी अर्हताएं पूरी करते थे जिनमें वर्ष 1989 के चयन संबंधी अर्ह अभ्यर्थी भी शामिल थे।

चूंकि प्रश्नगत चयन संबंधित नियमावली के प्राविधानों के अनुरूप आयोजित किया गया है और उसमें समस्त वर्गों के अपेक्षित एवं शासन द्वारा निर्धारित अधिमानी अर्हतायें रखने वाले समस्त पुरुष/महिला अभ्यर्थियों को बुलावा पत्र भेजा गया था, अतः प्रश्नगत चयन को निरस्त किये जाने का प्रश्न नहीं उठता है और न ही किसी को बुलावा पत्र निर्गत करने का ही प्रश्न उठता है।

यह सही नहीं है कि प्रश्नगत साक्षात्कार हेतु केवल अग्रणी जाति के लोगों को ही बुलावा पत्र भेजा गया है वरन् शासन द्वारा निर्धारित आरक्षण नीति के अनुरूप सभी वर्गों के अपेक्षित एवं शासन द्वारा निर्धारित अधिमानी अर्हतायें रखने वाले समस्त अभ्यर्थियों को बुलावा पत्र भेजा गया था, अतः इस संबंध में कोई जांच कराने का प्रश्न नहीं उठता है।

उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की यूनियन के महामंत्री श्री एस० एस० चतुर्वेदी का प्रश्नगत शिकायती पत्र प्राप्त न होना

81–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री एस० एस० चतुर्वेदी, महामंत्री, उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड कर्मचारी यूनियन लखनऊ का शिकायती पत्र दिनांक 9-12-93 शासन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो शिकायती पत्र का पूरा विवरण क्या है और उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

प्रश्न में उल्लिखित शिकायती पत्र दिनांक 9-12-93 विभाग में प्राप्त नहीं हुआ है। अतः शिकायती पत्र का विवरण दिया जाना सम्भव नहीं है।

उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड को अनन्तिम पेंशन स्वीकार करने हेतु निर्देश

82–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री एल० के० तिवारी, महामंत्री, उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड अधिकारी परिषद् लखनऊ का शिकायती पत्र दिनांक 14-2-94 का शासन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो शिकायती पत्र का पूरा विवरण क्या है और उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

प्रश्न में उल्लिखित शिकायती पत्र दिनांक 14-2-94 विभाग में प्राप्त नहीं हुआ है । अतः शिकायती पत्र का विवरण दिया जाना सम्भव नहीं है ।

श्री एल० के० तिवारी, सेवा निवृत्त प्रबन्धक (ग्रामो०) के कतिपय अन्य तिथियों के शिकायती पत्र अवश्य प्राप्त हुए हैं जिनमें अनन्तिम पेंशन स्वीकृत करने तथा मा० उच्च न्यायालय के स्थगनादेशों का अनुपालन करने के लिये अनुरोध किया गया है । इस संबंध में शासन द्वारा समुचित निर्देश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड को भेज दिये गये हैं ।

प्रदेश में सचिव/विशेष सचिव स्तर के अधिकारियों को विशेष परिस्थितियों में अतिरिक्त पद भार दिया जाना

83–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में शासन स्तर पर सचिव/विशेष सचिव स्तर के अधिकारियों की संख्या उनके पदों की संख्या से अधिक है ? यदि हां, तो शासन में सचिव/विशेष सचिव स्तर के कितने अधिकारी विभिन्न निगमों/बोर्डों में भी पद धारण किये हैं ?क्या अतिरिक्त अधिकारियों/बाध्य प्रतीक्षा सूची के अधिकारियों को समायोजित करने के लिये एक अधिकारी एक पद की योजना सरकार लागू करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां । शासन में सचिव स्तर के एक अधिकारी तथा विशेष सचिव स्तर के दो अधिकारी बोर्ड/निगम में भी पद धारण किये हैं । एक अधिकारी एक पद सरकार की सामान्य नीति है । केवल विशेष परिस्थितियों एवं कार्यहित में ही अधिकारियों को अतिरिक्त पदभार दिया जाता है ।

उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग द्वारा इलेक्ट्रानिक्स उद्योग को देय ऋण प्रकरण की जांच

84–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1991-92 में उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग के इलेक्ट्रानिक्स उद्योग द्वारा गोरखपुर की एक संस्था को वित्त पोषित करने के प्रकरण में बोर्ड के संबंधित अधिकारी तथा श्री वी० बी० सिंह विश्वेन, एडिशनल चीफ एक्जीक्यूटिव आफिसर द्वारा ऋण आवेदन पत्र एवं तत्संबंधी कागजात में हेराफेरी, तथ्यों को छिपाने, फर्जी दस्तावेज तैयार करने आदि से संबंधित प्रकरण जानकारी में आया था ? यदि हां, तो प्रश्नगत प्रकरण की जांच किससे करायी गयी ? क्या जांच रिपोर्ट शासन को प्राप्त हो गयी है ? यदि हां, तो कौन-कौन अधिकारी/कर्मचारी दोषी पाये गये और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

वर्ष 1991-92 में गोरखपुर की एक संस्था मे० कमला महेश मेमोरियल चैरिटेबिल ट्रस्ट, गोरखपुर द्वारा खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड से इलेक्ट्रानिक्स उद्योग के अन्तर्गत वित्त पोषण हेतु प्रार्थना-पत्र दिया गया था । संस्था के ऋण आवेदन पत्र के अनुसार चाही गयी धनराशि की स्वीकृति खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा नहीं प्रदान की गयी । संस्था द्वारा प्रस्तुत ऋण आवेदन पत्र एवं अन्य कागजातों आदि में हुई हेराफेरी के लिये बोर्ड के संबंधित अधिकारी के विरुद्ध आरोप पत्र गठित कर जांच कराई गयी । यह जांच श्री वी० बी० सिंह विश्वेन, आई०ए० एस०, अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा सम्पन्न की गयी । प्रश्न में यह कहा जाना कि श्री विश्वेन उक्त प्रकरण में सम्मिलित थे, बिल्कुल ही निराधार है ।

प्रकरण की जांच श्री वी० बी० सिंह विश्वेन, आई० ए० एस०, अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, लखनऊ द्वारा की गयी ।

उक्त से संबंधित जांच आख्या शासन को नहीं प्रेषित की जानी थी क्योंकि यह जांच खादी बोर्ड के मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा कराई गयी थी न कि शासन द्वारा । जांच आख्या के आधार पर अन्तिम निर्णय लिया जाना है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद लखनऊ के अलीगंज स्थित व्यावसायिक परीक्षा परिषद् में तृतीय श्रेणी में दैनिक वेतन पर कार्यरत कर्मचारियों को नियमित करने की मांग

85–श्री नजमउद्दीन तथा श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक'–

क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि व्यावसायिक परीक्षा परिषद्, उ० प्र० अलीगंज, लखनऊ में तृतीय श्रेणी के पद पर दैनिक वेतन के रूप में कितने कर्मचारी कार्यरत हैं ? उनको कितना वेतन दिया जा रहा है ? क्या यह सही है कि उनमें से कुछ व्यक्ति राजकीय कर्मचारी हेतु निर्धारित आयु सीमा पार कर चुके हैं ? यदि हां, तो सरकार उक्त कर्मचारियों को विनियमितीकरण के संबंध में क्या कोई कार्यवाही कर रही है ? उन्हें कब तक विनियमित कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

व्यवसायिक परीक्षा परिषद्, उ० प्र०, अलीगंज, लखनऊ में वर्तमान में तृतीय श्रेणी के पद पर 12 कर्मचारी दैनिक वेतन पर कार्यरत हैं ।

तीस रुपया प्रतिदिन की दर से वेतन दिया जा रहा है ।

जी हां ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

उक्त कर्मचारियों पर सरकारी कर्मचारियों से संबंधित विनियमितीकरण के नियम लागू नहीं होते हैं ।

जनपद गाजियाबाद में औद्योगिक क्षेत्र लोहा मण्डी का विकास

86–श्री बालेश्वर त्यागी–

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या गाजियाबाद के बुलन्दशहर रोड औद्योगिक क्षेत्र में लोहा व्यापारियों के लिये उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम ने करोड़ों रुपये की लागत से लोहा मण्डी विकसित की है ? यदि हां, तो व्यापारियों के वहां व्यापार हेतु न आने का क्या कारण है ? क्या सरकार उक्त लोहा मण्डी को आबाद कराने के लिये कोई उठायेगी ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां । लगभग 27 लाख रुपये की लागत से जनपद गाजियाबाद में औद्योगिक क्षेत्र लोहा मण्डी का विकास उ० प्र० राज्य औद्योगिक विकास निगम लि० द्वारा किया गया है ।

इस औद्योगिक क्षेत्र में आवंटियों द्वारा लोहे का व्यापार किया जा रहा है और भूखण्ड के गोदाम पर आवंटी लोहा भण्डारण तथा विक्रय का कार्य करते हैं । वर्तमान में 45 आवंटियों द्वारा औद्योगिक क्षेत्र लोहा मण्डी में निर्मित अपने गोदामों के माध्यम से लोहे का व्यापार किया जा रहा है । निगम लोहा मण्डी को और अधिक आबाद कराने के लिये प्रयत्नशील है ।

यूपिका में कतिपय कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा किये गये गबन की वसूली

87–श्री नीरज चतुर्वेदी–

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि यूपिका के कुछ अधिकारियों तथा कर्मचारियों के खिलाफ गबन तथा बकाये के आरोप हैं ? यदि हां, तो उनसे क्या वसूली के समुचित प्रयास किये जा रहे हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बलिया के थाना उभांव के अन्तर्गत श्री अशोक द्वारा मादक पदार्थों की बिक्री का प्रकरण

88–श्री मुक्तिनाथ यादव तथा श्री छोटे लाल यादव–

प्रथम सत्र, 94 के प्रथम मंगल हेतु निर्धारित अता० प्र० सं०–157 के उत्तर के संदर्भ में क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि अशोक नामक युवक द्वारा जनपद बलिया के थाना उभांव अन्तर्गत मादक पदार्थों की बिक्री करने पर न तो छापा मारा गया है न बिक्री को बन्द कराया गया है ? क्या सरकार को जानकारी है कि थाना नगरा के थानाध्यक्ष द्वारा भी नगर बाजार में मादक पदार्थों की बिक्री उक्त युवक से करा रहा है ? क्या बिल्थरा रोड पूर्वांचल टाकिज के पास दुकान में मादक पदार्थों की बिक्री शुरू है तथा बीच वाले पोखरा (डीह बाबा का स्थान) पर एक दुकानदार के माध्यम से मादक पदार्थों की बिक्री करायी जा रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसको तत्काल बन्द कराते हुए थानाध्यक्ष उभांव व नगरा को दण्डित करने जा रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद लखनऊ में गल्ला मण्डी अहिबरनपुर सीतापुर रोड स्थित चौकी इंचार्ज उपनिरीक्षक श्री आर० वी० सिंह के विरुद्ध जांच तथा आरोपों का प्रमाणित न होना

89–श्री राम करन आर्य–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उपनिरीक्षक श्री आर० वी० सिंह चौकी इंचार्ज गल्ला मण्डी अहिबरनपुर, सीतापुर रोड, जनपद लखनऊ के द्वारा किये गये भ्रष्टाचार की जांच हेतु पुलिस महानिरीक्षक कार्मिक, उ० प्र० लखनऊ को दि० 13-12-93 व 22-1-94 को पत्र द्वारा लिखा गया था जो पुलिस महनिरीक्षक कार्मिक के पत्र संख्या–अशा० पत्र संख्या–डी जी चार–106(25)-94, दिनांक, लखनऊ, 8 फरवरी, 1994 द्वारा पुलिस महानिरीक्षक, लखनऊ जोन को कार्यवाही हेतु भेजा गया है, के संबंध में क्या कार्यवाही अब तक सुनिश्चित की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

जी हां ।

मामले की जांच करायी गयी, जांच से आरोप प्रमाणित नहीं हुए ।

प्रश्न नहीं उठता ।

90–श्री किरन पाल सिंह तथा श्री जगवीर सिंह–

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया]

जनपद बुलन्दशहर के थाना खुर्जानगर में प्रश्नगत में पंजीकृत अभियुक्त श्री संतोष कुमार की गिरफ्तारी की कार्यवाही

91–श्री राम प्रसाद तथा श्री जगवीर सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बुलन्दशहर में थाना खुर्जानगर में दर्ज मुकदमा अपराध संख्या–673, 677 सन् 1993 सरकार बनाम सुमन कुमार सिंह आदि अन्तर्गत धारा 307, 420, 467, 468,471 आई० पी० सी० में क्या कार्यवाही की गयी ? क्या अभियुक्त संतोष कुमार सिंह को गिरफ्तार किया गया ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो गिरफ्तारी के बारे में क्या-क्या कानूनी कदम उठाये गये ? उस का क्या परिणाम रहा ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

थाना खुरजानगर, जनपद बुलन्दशहर में प्रश्नगत पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 673/93 धारा 307 भा० दं० वि० बनाम सुमन कुमार एडवोकेट आदि ने रायफल 315 बोर खोखा जिन्दा एवं रायफल 315 बोर कब्जे में लेकर थाने में दाखिल किया गया अभियुक्त सुमन एडवोकेट द्वारा दिनांक 5-1-94 को न्यायालय में हाजिर होकर जमानत करा ली गयी है अभियुक्त संतोष कुमार की धारा 82/83 दं० प्र० सं० की कार्यवाही हेतु रिपोर्ट दिनांक 16-12-93 को न्यायालय प्रेषित की जा चुकी है । विवेचना प्रचलित है ।

प्रश्नगत द्वितीय मुकदमा अपराध संख्या–677/93 धारा 465/466/467/468/471/120 बी/420 भा० दं० वि० बनाम सुमन कुमार एडवोकेट में विवेचना प्रारम्भ की गयी इस अभियोग में मेरठ विश्वविद्यालय से रिकार्ड लेना शेष है रिकार्ड प्राप्त होते ही अग्रेतर कार्यवाही की जायेगी ।

जनपद महराजगंज के थाना घुघली के ग्राम जगदीशपुर के निवासी श्री राधे पुत्र सूर्यनाथ द्वारा पुलिस के विरुद्ध शिकायती पत्र की जांच में आरोप का असत्य होना

92–श्री राम अधार यादव–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राधे पुत्र सूर्यनाथ निवासी जगदीशपुर थाना घुघली, जनपद महराजगंज घुघली पुलिस के विरुद्ध उत्पीड़न संबंधी अपना शिकायती-पत्र दिनांक 14-7-93 को पुलिस उप निरीक्षक गोरखपुर को दिया था ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

क्षेत्राधिकारी, सदर से जांच कराई गयी । प्रार्थना-पत्र में अंकित आरोप असत्य पाये गये ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उ० प्र० आवास निगम लि०, लखनऊ में श्री यू० के० सिंह, अधिशासी अभियन्ता द्वारा कराये गये कार्यों के जांच के आदेश

93–श्री तेजभान सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ० प्र० पुलिस आवास निगम में कितने अधिशासी अभियन्ता प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत हैं ? क्या श्री यू० के० सिंह भी प्रतिनियुक्ति पर हैं ? यदि हां, तो प्रतिनियुक्ति की अवधि क्या थी ? अवधि के पश्चात् कार्यरत रखने के क्या कारण हैं ? क्या श्री सिंह को मूल विभाग में वापस भेजने के आदेश देंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या यह सही है कि श्री यू० के० सिंह द्वारा लखनऊ, महराजगंज आदि में स्वीकृत लागत से अधिक लागत लगाकर उ० प्र० पुलिस आवास निगम को लाखों की क्षति पहुंचायी गयी है ? यदि हां, तो क्या इस मामले की जांच टी० ए० सी० से करवायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

वर्तमान में उ० प्र० पुलिस आवास निगम लि०, लखनऊ में छः अधिशासी अभियन्ता प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत हैं।

जी हां।

श्री यू० के० सिंह भारत सरकार के उपक्रम मेसर्स हिन्दुस्तान स्टील कान्स्ट्रक्शन वर्क्स लि० से इस निगम में दिनांक 17-2-88 को एक वर्ष के लिये प्रतिनियुक्ति पर आये थे एवं उसके पश्चात् उनकी प्रतिनियुक्ति अवधि वर्षानुवर्ष निगम कार्य हित को दृष्टिगत करते हुए दिनांक 31-12-93 तक बढ़ायी गयी। पुनः निदेशक मण्डल की बैठक दिनांक 22-3-94 में लिये गये निर्णय के अनुपालन में इनकी प्रतिनियुक्ति अवधि निगम हित में 31-12-94 तक बढ़ा दी गयी है। श्री सिंह ने निगम में आमेलन हेतु नियमानुसार आवेदन पत्र दिया था, जिस पर निदेशक मण्डल की सहमति प्राप्त कर शासन को सहमति हेतु प्रस्तुत किया गया, क्योंकि इसी बीच निगम के कर्मचारियों ने मा० उच्च न्यायालय, लखनऊ बेन्च में रिट याचिका दायर कर अन्तरिम आदेश प्राप्त कर लिया अतः श्री सिंह के आमेलन की कार्यवाही रोक दी गयी है। चूंकि मा० उच्च न्यायालय में रिट याचिका लम्बित है तथा श्री सिंह की प्रतिनियुक्ति 31-12-94 तक बढ़ायी गयी है अतः इसके पूर्व उन्हें उनके मूल विभाग वापस भेजने का प्रश्न नहीं उठता है।

यह सही है कि लखनऊ, महराजगंज आदि स्थानों पर आगणित लागत से अधिक व्यय हुआ है। आगणन से अधिक व्यय के संबंध में जांच के आदेश निर्गत कर दिये गये हैं।

जांच आख्या प्राप्त होने पर ही आवश्यक निर्णय लिया जायगा।

जनपद हमीरपुर के थाना कुरारा के प्रश्नगत मामले में श्री लल्लू सिंह व श्री देव सिंह की गिरफ्तारी व शस्त्र निरस्तीकरण की कार्यवाही

94–श्री अशोक कुमार सिंह चन्देल–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि जनपद हमीरपुर के थाना कुरारा के अपराध सं०–27/92, 31/92 व 42/92 की विवेचना सी० बी० सी० आई० डी० द्वारा की जा चुकी है ? सी० बी० सी० आई० डी० ने अपनी जांच रिपोर्ट व रिमाइण्डर आई० जी० जोन इलाहाबाद, डी० आई० जी० झांसी व

एस० पी० हमीरपुर को क्रमशः 19 मई, 93 सितम्बर, 93, 17-11-93 व 28-12-93 द्वारा भेजी है ? क्या जांच रिपोर्ट और सभी पत्र गायब हैं ? क्या देव सिंह, लल्लू सिंह अपराधी हैं ? यदि हां तो इन के ऊपर कुल कितने अपराध पंजीकृत हैं ? क्या इनके पास लाइसेन्सी शस्त्र हैं ? यदि हां, तो इनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जायेगी ? क्या जिलाधिकारी, हमीरपुर व एल० आई० यू० द्वारा इनके विरुद्ध जांचोपरान्त कार्यवाही करने की संस्तुति की है ? यदि हां, तो सरकार क्या कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

प्राप्त सूचनानुसार प्रश्नगत मामले में सी० बी० सी० आई० डी० को विवेचना न करके मात्र चेक-अप के लिये संदर्भित किया गया । मु० अ० सं० 27/92 व 42/92 में विवेचनोपरान्त स्थानीय पुलिस द्वारा आरोप-पत्र न्यायालय भेजे जा चुके हैं । अतः इनका चेक-अप नहीं हो सका । उक्त चेक-अप जांच रिपोर्ट व अन्य कागजात संबंधित पत्रावलियों में यथावत उपलब्ध हैं ।

जी हां, प्राप्त सूचनानुसार देव सिंह के विरुद्ध 21 अभियोग व लल्लू सिंह के विरुद्ध 12 अभियोग भा० दं० वि० की विभिन्न धाराओं के अन्तर्गत पंजीकृत हैं ।

देव सिंह के पास एक राइफल व एक डी० बी० बी० एल० गन 12 बोर के लाइसेन्स हैं । लल्लू सिंह के पास कोई शस्त्र लाइसेन्स नहीं है ।

देव सिंह के पास उपलब्ध दोनों लाइसेन्सी शस्त्रों के निरस्तीकरण के मामले में जिला मजिस्ट्रेट, हमीरपुर के स्तर पर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की गयी है ।

एल० आई० यू० व तत्कालीन पुलिस अधीक्षक, हमीरपुर की रिपोर्ट के आधार पर सम्बन्धित अभियुक्तों के विरुद्ध प्रभावी नियंत्रण रखने हेतु निरोधात्मक कार्यवाही की जा चुकी है ।

कानपुर रोड स्थित सचिवालय कालोनी में अध्यासियों को वाहन रखने हेतु गैराज की व्यवस्था की मांग

95–श्री मयंकर सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राज्य सम्पत्ति विभाग द्वारा आवंटित कानपुर रोड सचिवालय कालोनी के अध्यासियों को साइकिल/स्कूटर/मोटर साइकिल आदि रखने हेतु कोई गैराज अथवा सुरक्षित स्थान की व्यवस्था की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या अध्यासियों के वाहनों की सुरक्षा हेतु भविष्य में कोई व्यवस्था की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी नहीं । लोक निर्माण विभाग की विशिष्टियों के अनुसार अनुमन्य नहीं है ।

जनपद मेरठ में सीमेन्ट कारपोरेशन में रैंक हैण्डिल हेतु आमंत्रित निविदायें मे० राजकुमार फ्यूल्स प्रा० लि० निगम के कान्साइन्मेन्ट एजेन्ट को ठेका दिया जाना

96–श्री राम कुमार शुक्ल–

क्या सरकार को जानकारी है कि दिनांक 28-3-94 की सीमेन्ट कारपोरेशन, मेरठ में रैंक हैंडिल करने हेतु मुहर बन्द निविदायें आमंत्रित की गयी थी ? यदि हां, तो किन-किन लोगों ने जमा की थीं ? इसमें सबसे कम तथा सबसे अधिक रेट किसके थे ? क्या सबसे कम निविदा वाले फर्म को कार्य का ठेका दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या इसकी जांच के आदेश हुए थे ? यदि हां, तो दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कोई कार्यवाही की गयी है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां । कुल 8 फर्मों द्वारा निविदायें जमा की गयी थी जिनके नाम निम्नवत् हैं :–

1. मै० गनपति सीमेन्ट एसोसियेट्स, मेरठ
2. मै० जायसवाल सीमेन्ट डिस्ट्रब्यूटर्स, मेरठ
3. मै० कुमार सेल्स कारपोरेशन, मेरठ
4. मै० मित्तल एसोसियेट्स, मेरठ
5. मै० पूजा फारवर्डिंग एजेन्सी, गाजियाबाद
6. मै० राजकुमार फ्यूल्स प्रा० लि०, मेरठ
7. मै० शिरडी इंटर प्राइजेज, हरिद्वार
8. मै० श्री कृष्ण क्लीयरिंग एजेन्सी, मेरठ ।

टेण्डरदाताओं में सबसे कम रेट मै० श्री कृष्ण क्लीयरिंग, मेरठ एजेन्सी की थी तथा अधिकतम दर मे० जायसवालय डिस्ट्रब्यूटर्सस मेरठ तथा मै० शिरडी इण्टरप्राइजेज, मेरठ की थी सबसे कम दर वाली फर्म के पास सीमेंट व्यवसाय का पूर्व अनुभव नहीं था तथा इनकी व्यवसायिक साख व वित्तीय स्थिति भी अच्छी नहीं पायी गयी । अतः इस फर्म को नियुक्ति हेतु अनुपयुक्त पाये जाने के कारण नियुक्त नहीं किया गया । निगोशियेशन समिति ने सभी फर्मों द्वारा दिये गये दरों, वित्तीय सुदृढ़ता, व्यवसायिक साख, सीमेंट व्यापार में अनुभव एवं सीमेंट विक्रय की क्षमता जैसे सभी बिन्दुओं पर गहनता पूर्वक विचार करने के उपरान्त मै० राज कुमार फ्यूल्स प्रा० लि०, मेरठ में निगम के कन्साइन्मेंट एजेन्ट की नियुक्ति हेतु उपयुक्त पाया गया । इसी दौरान मै० राजकुमार फ्यूल्स प्रा० लि०, मेरठ को नियुक्ति पत्र जारी करने के पूर्व इस फर्म के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त हुई । शिकायत पत्रों में वर्णित बिन्दुओं की जांच की प्रक्रिया में समय लग गया । तदोपरान्त समस्त बिन्दुओं पर विचार करने के बाद मेरठ में कन्साइन्मेंट एजेन्ट की नियुक्ति हेतु आमंत्रित समस्त निविदाओं को निरस्त कर दिया गया । अतः दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

97–श्री तेजभान सिंह–

[अस्पष्टता के आधार पर निरस्त]

जनपद फैजाबाद स्थित थाना रौनाही के अन्तर्गत पंजीकृत अभियोगों की जांच

98–श्री तेजभान सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फैजाबाद में स्थित थाना रौनाही के अन्तर्गत अ० सं०–306/90 पंजीकृत हुआ है ? उक्त अपराध में कौन-कौन सी धारायें लगायी गयी हैं तथा अब तक कितने अभियुक्त गिरफ्तार किये गये हैं ? जो अभियुक्त गिरफ्तार नहीं किये गये हैं क्या उनके विरुद्ध विधि सम्मत कार्यवाहियां पूरी कर ली गयी हैं ? यदि नहीं, तो क्या विवेचनाधिकारी इस बारे में दोषी हैं ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

प्रश्नगत अपराध के अन्तर्गत धारा 467/468/420 भा० दं० वि० लगायी गयी है । कोई अभियुक्त गिरफ्तार नहीं किये गये हैं ।

प्रश्नगत मामले के दो अभियुक्त हाजिर अदालत होकर जमानत पर रिहा हो चुके हैं । शेष अभियुक्त बैंक मैनेजर, खंड विकास अधिकारी, सहायक विकास अधिकारी तथा ग्राम विकास अधिकारी के विरुद्ध विधिक राय प्राप्त की जा रही है । अभियोग में विवेचनाधिकारी को प्रथम दृष्टया दोषी नहीं पाया गया है । फिर भी इस संबंध में जांच क्षेत्राधिकारी द्वारा करायी जा रही है ।

99–श्री तेजभान सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फैजाबाद में थाना रौनाही में अपराध संख्या–110/92 प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखी गयी है ? यदि हां, तो उस अपराध में क्या-क्या धारायें लगायी गयी हैं तथा अपराधी कौन-कौन हैं ? प्रथम सूचना में अंकित किन-किन अभियुक्तों को अब तक गिरफ्तार नहीं किया गया है ? उनके कारण क्या हैं तथा क्या विधि सम्मत कार्यवाही उनके विरुद्ध की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

इस अपराध में धारा 216/166/201/202/506/188/465 भा० दं० वि० लगायी गयी है तथा राम शंकर सिंह, खण्ड विकास अधिकारी, सोहावल तथा मुन्ना सिंह, ब्लाक प्रमुख, सोहावल नामजद अभियुक्त हैं ।

अब तक विवेचना से अपराध की पुष्टि न होने के कारण किसी की गिरफ्तारी नहीं की गयी है । मामले की विवेचना प्रचलित है ।

100–श्री जगदम्बा सिंह–

[6ठे सोमवार में अता० प्र० सं०–153 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद चमोली के राजकीय एलोपैथिक चिकित्सालय, मोरी में कार्यरत डा० राम शंकर के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज के आधार पर आवश्यक जांच

101–श्री विश्वनाथ प्रसाद गुप्ता–

क्या मुख्य मंत्री को ज्ञात है कि राज० एलो० चिकि० मोरी, चमोली में कार्यरत डा० रामशंकर गुप्त द्वारा अपनी पत्नी श्रीमती कंचन गुप्ता की हत्या, शादी के छह माह के भीतर ही दहेज के कारण जलाकर व गला दबाकर की गयी है ? यदि हां, तो क्या यह भी सत्य है कि उनका निवास मनकापुर, गोण्डा न

होने के कारण, वाद-स्थल कोतवाली मनकापुर में उनके विरुद्ध धारा 398ए/304 बी (आई० पी० सी०) के तहत एक मुकदमा दर्ज किया गया है ? यदि हां, तो उक्त मामले में उक्त नामजद अभियुक्त के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

दिनांक 22-10-93 को थाना कोतवाली मनकापुर, गोण्डा में श्री आलोक कुमार गुप्ता पुत्र श्री त्रिभुवन लाल गुप्ता निवासी आर्यनगर, थाना उतरौला, गोण्डा की लिखित तहरीर पर अपराध धारा 498ए/304 बी० भा० दं० वि० के अन्तर्गत दर्ज किया गया ।

घटना स्थल जनपद चमोली का होने के कारण वाद जांच एवं आवश्यक कार्यवाही के समस्त कागजात विवेचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु मूल एफ० आई० आर० थाना उखीमठ, जिला चमोली को भेज दिये गये हैं ।

जनपद लखनऊ के थाना ठाकुरगंज के ग्राम–सरफराजगंज मे दलित एवं पिछड़ी जाति के व्यक्तियों पर चलाये गये मुकदमों का विवरण

102–श्री राम कुमार शुक्ल–

क्या सरकार को जानकारी है कि ग्राम सरफराजगंज, थाना चौक तथा अब थाना ठाकुरगंज, जनपद लखनऊ में दलितों तथा पिछड़ों पर फौजदारी तथा दीवानी के मुकदमें चलायें हैं ? यदि हां, तो कितने तथा क्यों ? क्या इस गांव की 158 बीघा खेती की भूमि किसी कालोनायज को कुछ दबंग लोगों ने बेची थी ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

प्राप्त सूचनानुसार केवल दो मुक़दमें चलाये गये । उक्त ग्राम में एक मकान का विवाद श्रीमती विलकीश जहां बनाम दीन दयाल केवट न्यायालय में चल रहा था । न्यायालय से उक्त विवाद श्रीमती विलकीश जहां के पक्ष में निर्णित हुआ । न्यायालय के आदेशानुसार उक्त मकान का कब्जा श्रीमती विलकीश जहां को दिला दिया गया । दिनांक 1-2-94 को दीनदयाल केवट आदि 11 नफर लोगों द्वारा हथियार से लैस होकर पुनः उक्त मकान पर कब्जा करने की कोशिश की गयी । इस संबंध में थाना ठाकुरगंज पर मुकदमा अपराध संख्या–24/94 धारा 147/148/149/307/452 भा० दं० वि० व 4/5 विस्फोटक अधिनियम पंजीकृत किया गया जो विवेचनाधीन है ।

इस संबंध में पुलिस अभिलेखों में कोई सूचना अंकित नहीं है ।

जनपद सिद्धार्थनगर के थाना सिद्धार्थनगर की पुलिस के विरुद्ध भू० पू० विधायक श्री विश्वनाथ पाण्डे के शिकायती पत्र पर प्रचलित जांच

103–श्री जय प्रताप सिंह–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि जिला सिद्धार्थनगर में जिला अधिकारी के आदेश से मिश्रौलिया, थाना, जिला सिद्धार्थनगर के पुलिस के विरुद्ध एक मजिस्ट्रीयल जांच विश्वनाथ पांडेय, भू० पू० विधायक ग्राम व पो० नरकटहा के शिकायत पर हो रही थी जिसकी जांच जुलाई, सन् 1993 में अपर परगनाधिकारी, नौगढ़ श्री जे० एल० माझी कर रहे थे ? यदि हां, तो क्या जांच पूरी हुई ? यदि

नहीं, तो जांच कब तक पूरी होगी ? शिकायती प्रार्थना-पत्र में वर्णित लावारिस दफनाई गयी लाश को मौके पर जाकर खोदाई की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

जी, नहीं, ।

जांच लगभग दो माह में पूरी हो जाएगी ।

जांच जारी है ।

104–श्री जय प्रताप सिंह–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जि० सिद्धार्थनगर के पुलिस अधीक्षक को एक शिकायती पत्र थाना मिश्रौलिया, जिला–सिद्धार्थनगर के पुलिस के विरुद्ध मई, 1993 के दूसरे अथवा तीसरे सप्ताह में विश्वनाथ पाण्डेय, भू० पू० विधायक ग्राम व पो०–नरकटहा का रजिस्ट्री पत्र (डाक द्वारा) प्राप्त हुआ था? यदि हां, तो जांच किसी अधिकारी से कराई गई ? क्या जांच के समय की सूचना शिकायतकर्ता को दी गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ? जांच का परिणाम क्या हुआ ? शिकायतकर्ता का आरोप क्या था ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

जांच तत्कालीन क्षेत्राधिकारी, डुमरियागंज , श्री विजय कुमार गुप्ता द्वारा की गयी ।

जी नहीं ।

जांच अधिकारी द्वारा इसकी आवश्यकता नहीं समझी गयी ।

जांच से पाया गया कि मृतक युवती मानसिक रूप से विक्षिप्त थी ।

ग्राम मैसहवा, थाना मिश्रौलिया में दिनांक 21-4-93 को कुछ दिन पूर्व एक युवती की लाश मिली । जो ग्रामवासियों की दृष्टि से लावारिस थी । उक्त लाश को थाना मिश्रौलिया के नायब दरोगा द्वारा दफनाये जाने तथा लड़की को ससुराल वालों द्वारा मार डालने का आरोप लगाया गया था ।

जनपद सिद्धार्थनगर के थाना सिद्धार्थनगर की पुलिस के विरुद्ध श्री विश्वनाथ पाण्डेय के शिकायती पत्र पर जांच

105–श्री जय प्रताप सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ० प्र० के सलाहकार श्री पी० एन० बहल के यहां से एक शिकायती प्रार्थना-पत्र विश्वनाथ पाण्डेय का श्री कलराज मिश्र, विधायक के पत्र के साथ प्रमुख सचिव, गृह को जांच कराने के लिये जून, 1993 के 23 तारीख को भेजा हुआ, प्राप्त हुआ था, जो थाना मिश्रौलिया, जिला–सिद्धार्थनगर की पुलिस के विरुद्ध था ? यदि हां, तो जांच कब तथा किस अधिकारी से करवाई गई ? जांच का परिणाम क्या हुआ ? क्या जांच के समय की सूचना शिकायतकर्ता को दी गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

तत्कालीन क्षेत्राधिकारी, बांसी द्वारा जांच की गयी । जिनके द्वारा अपनी रिपोर्ट 4-9-93 को दी गयी।

जांच में पाया गया कि मृतक युवती मानसिक रूप से विक्षिप्त थी, जो रात्रि में घर से निकल गयी जिसकी जानकारी घर वालों को नहीं हो सकी थी और गांव भैसहवा के समीप उसका देहान्त हो गया । मामले की जांच सी० आई० डी० से कराने के निर्देश दिये गये हैं ।

जी नहीं ।

जांच अधिकारी द्वारा इसकी आवश्यकता नहीं समझी गयी ।

जनपद बहराइच के थाना कैसरगंज के ग्राम इब्राहिमपुर बेल्हौरा मजरे गोडनिया निवासिनी मु० जाहिदा पत्नी निजाम खां के उत्पीड़न की जांच तथा आरोपों पर कृत कार्यवाही का विवरण

106–श्री विनय कुमार पाण्डेय ''बिन्नू''–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 6 अक्टूबर, 1993 को मु० जाहिदी पत्नी निजाम खां, निवासिनी इब्राहिमपुर बेल्हौरा, मजरे गोडनिया, थाना कैसरगंज, जनपद बहराइच ने पंजीकृत डाक द्वारा एक शिकायती प्रार्थना-पत्र जिला अधिकारी व पुलिस अधीक्षक, जनपद बहराइच सहित गृह सचिव, उ० प्र० शासन तथा उप पुलिस महानिरीक्षक, फैजाबाद मण्डल, फैजाबाद को प्रेषित किया था और प्रेषित प्रार्थना-पत्रों में थाना कैसरगंज, बहराइच की पुलिस तथा पी० ए०सी० द्वारा घर की लूट-पाट एवं नाजायज उत्पीड़न के आरोपों का उल्लेख किया था ? यदि हां, तो क्या उपरोक्त प्रार्थना-पत्रों में उल्लिखित आरोपों की जांच कराई गई ? यदि हां, तो जांच किस अधिकारी द्वारा सम्पन्न हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी, हां ।

जी, हां ।

क्षेत्राधिकारी, कैसरगंज श्री आर० के० राजवंशी द्वारा जांच की गयी । जांच से आरोप असत्य पाये गये ।

प्रश्न नहीं उठता ।

107–स्वामी परमानन्द दण्डी–

[6ठे शुक्रवार में अता० प्र० सं०–152 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद लखनऊ के कैसरबाग स्थित राजकीय कालोनी के प्रश्नगत भवन की सुरक्षा हेतु जाली लगाने सम्बन्धी प्रकरण

108–श्री श्रीराम सिंह–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि कैसरबाग स्थित राजकीय कालोनी के आवास संख्या 3/8 में सुरक्षा की दृष्टि से पिछला बरामदा बन्द करके सुरक्षा जाली लगाने संबंधी आगणन दि० 8-10-92 को राज्य सम्पत्ति विभाग द्वारा स्वीकृत किया गया था, जबकि उसी कालोनी के आवास संख्या 2/8 की समरूप मांग पर लोक निर्माण खण्ड–3 द्वारा आगणन राज्य सम्पत्ति विभाग–4 में 24-12-92 को स्वीकृति हेतु भेजा गया था जो कि अभी तक लम्बित है ? यदि हां, तो राज्य सम्पत्ति विभाग द्वारा उक्त

असमान नीति अपनाने का क्या कारण है ? क्या सरकार उक्त असमान नीति अपनाने एवं इस कार्य के विलम्ब के लिये दोषी अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि राज्य सम्पत्ति विभाग द्वारा उक्त आगणन की स्वीकृति प्रदान कर सुरक्षा संबंधी वांछित कार्य कब तक पूर्ण करवा दिया जायेगा ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

धनाभाव ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उत्तर प्रदेश वित्त निगम द्वारा वितरित ऋण की वसूली

109–श्री सतीश भाटिया–

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ० प्र० वित्त निगम ने यू० पी० डी० पी० एल०, यू० पी० टायर्स लि० तथा यू० पी० आई० ई० एल० को कुल कितना ऋण दिया है तथा ब्याज सहित अब तक कुल कितनी वापसी हुई है ? यदि ऋण वापस नहीं हो रहा है, तो अब तक विभाग ने क्या कार्यवाही की है ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम ने यू० पी० डी० पी० एल० को रु० 29,91,000/-, यू० टी० टायर्स लि० को रु० 29,28,000/- तथा यू० पी० आई० एल० को रु० 8,70,400/- का ऋण वितरित किया गया ।

उपरोक्त तीनों इकाइयों से ब्याज सहित वापस धनराशि का विवरण निम्नवत् है :—

इकाई	धनराशि
यू० पी० डी० पी० एल०	53,39,012.86
यू० पी० टी० टी० एल०	5,79,576.61
यू० पी० आई० एल०	1,68,723.57

उपर्युक्त विवरण से विदित होगा कि ऋण की वापसी हो रही है ।

उ० प्र० राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों के वेतनमानों के शीघ्र निस्तारण की मांग

110–श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

विधान सभा के प्रथम सत्र, 1992 के छठे सोमवार के लिये निर्धारित श्री प्रेम प्रकाश उर्फ जिप्पी तिवारी द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या–105 के उत्तर के संबंध में क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा अवशेष मामलों पर अब तक क्या-क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो विलम्ब का मूल कारण क्या है ? अवशेष वेतन विसंगतियों का निराकरण कब तक करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा अवशेष मामलों पर विचारोपरान्त अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया गया है एवं कथित वेतन विसंगतियों के विषय में लिये गये निर्णय के संबंध में शासनादेश संख्या–154/पी० आर० सी०/चौवालिस-1/94-31 उ० वे० रि०/92, दिनांक 22/24 फरवरी, 1994 द्वारा आवश्यक निर्देश भेज दिये गये हैं।

पशुपालन विभाग में कार्यरत स्व० श्री रामपाल सिंह के पेंशन/ग्रेच्युटी का भुगतान

111–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या पशुधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1989 में मृतक श्री रामपाल सिंह जिनकी मूल नियुक्ति ए०डी०ओ० (ए० एच०) के पद पर पशुपालन विभाग में हुई थी और बाद में जिनकी पदोन्नति खण्ड विकास अधिकारी के पद पर हुई एवं प्रतिनियुक्ति पर वह ग्रामीण आवास परिषद् में आवास अधिकारी के पद पर नियुक्त रहे, की पेंशन/ग्रेच्युटी का निर्धारण उनके मूल वेतन रु० 2000 के स्थान पर रु० 1750 पर किया गया है ? यदि हां, तो किस नियम के अन्तर्गत ? क्या संशोधन पेंशन/ग्रेच्यूटी का निर्धारण का प्रकरण विभाग में विचाराधीन है ? यदि हां, तो उसमें विलम्ब के कारण क्या है तथा उसका संशोधित निर्धारण कब तक करा दिया जायेगा ?

श्री मनोहर लाल–

जी हां।

स्व० रामपाल सिंह की पेंशन तथा ग्रेच्युटी रु० 1720/- मूल वेतन के आधार पर निर्धारित की गयी है तथा भुगतान आदेश दिनांक 2-5-92 को जारी किये गये। तत्पश्चात मूल वेतन रु० 2000.00 (दो हजार रु०) के आधार पर पेंशन एवं ग्रेच्युटी निर्धारित करने के सम्बन्ध में प्रस्ताव प्राप्त हुआ है जिसका परीक्षण किया जा रहा है। मामले में यथासम्भव शीघ्र निर्णय लिया जायेगा।

नियम 301 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज दिनांक 19 अप्रैल, 1994 को सदन के संज्ञान में लाने हेतु नियम 301 के अन्तर्गत कुल 30 सूचनाएं प्राप्त हुईं। प्राप्त सूचनाओं में से शलाका के आधर पर अग्राह्य को छोड़ते हुए निम्नलिखित 7 सूचनाएं स्वीकार की गईं :–

पहली सूचना श्रीमती ज्योत्सना श्रीवास्तव की दिनांक 11 अप्रैल, 1994 को माननीय मुख्य मंत्री की घोषणा के बावजूद वाराणसी नगरपालिका की सीमा में आने वाले ग्रामीण क्षेत्रों पर शहरी सीलिंग एक्ट लागू करने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

दूसरी सूचना डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर की इलाहाबाद के चेथम लाइन्स स्थित ढरहरिया मुहल्ले (जवाहरगंज) के कई मकानों को रक्षा विभाग के अधिकारियों द्वारा पूरी तरह से ध्वस्त कर देने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है।

तीसरी सूचना श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल की देवरिया जनपद में छोटी गण्डक नदी के किनारे स्थित गांवों को नदी के कटाव से सुरक्षित करने के संबंध में।

चौथी सूचना श्री रमेश कांत लवानियां की आगरा के एस०एन० अस्पताल के आवास कक्ष में टेलीफोन लगवाने के संबंध में है।

पांचवी सूचना श्री सतीश भाटिया की है, जो सदन में उपस्थित नहीं है।

छठी सूचना श्री श्याम देव राय चौधरी की वाराणसी नगर में जटिल ट्रैफिक समस्या का निदान करने के संबंध में हैं।

सातवीं सूचना श्री सुन्दर लाल लोधी की जनपद उन्नाव में विद्युत विभाग द्वारा बिजली कनेक्शन दिये किसानों से बिल वसूलने के संबंध में है।

श्री सतीश भाटिया जी के सदन में उपस्थित न होने के कारण प्रतीक्षा सूची का बदन सिंह की, जनपद आगरा की अनुसूचित जाति की बस्तियों में प्रदूषित जल आपूर्ति से घातक रोगों के फैलने की आशंका के सम्बन्ध में सूचना को लेता हूं।

जिन माननीय सदस्यों की सूचनायें अस्वीकार की गईं वे इस प्रकार हैं :–

श्री सुन्दर लाल दीक्षित, श्री बालेश्वर त्यागी, श्री अकबर अली, श्री चैनसुख भारती, श्री रणधीर सिह, श्री राम विशुन आजाद, श्री विश्राम सिंह यादव, श्रीमती राजलक्ष्मी वर्मा, श्री राम सरन वर्मा, श्री हृदय नारायण, डा० राह बाबू हरित, श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल, श्री अमर नाथ यादव, श्री ऊदल, श्री सुरेश कुमार खन्ना, श्री रंगनाथ मिश्र, श्री बची सिंह रावत, श्री हरक सिंह रावत, श्री मातवर सिंह कण्डारी, श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी, श्री शिवदानी, श्री दल बहादुर कोरी, श्री छोटे लाल वर्मा, श्री रमेश कांत पोखरियाल "निशंक"

स्वीकृत सातों सूचनायें पढ़ी हुई मानी गयीं।

(सदन की सहमति से स्वीकृत सूचनायें पढ़ी हुई मानी गयीं)

मुख्य मंत्री की घोषणा के बाकजूद वाराणसी नगरपालिका की सीमा में आने वाले ग्रामीण क्षेत्रों पर शहरी सीलिंग ऐक्ट लागू करने विषयक नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती ज्योत्सना श्रीवास्तव–

[महोदय, वाराणसी नगर महापालिका की सीमा से 8 कि०मी० के व्यास के अन्तर्गत सम्पूर्ण ग्रामीण क्षेत्र वाराणसी विकास प्राधिकरण के अन्तर्गत से लिया गया है जिसके कारण इन ग्रामीण क्षेत्र पर शहरी सीलिंग ऐक्ट लागू हो गया है विकास प्राधिकरण की यह कार्यवाही अनियमित अवैधानिक तथा अव्यवहारिक है उदाहरण के लिये काशी विद्यापीठ ब्लाक वाराणसी जिसका कि अधिकांश ग्रामीण क्षेत्र इस ऐक्ट के अन्तर्गत आ गया है मैं 95 प्रतिशत किसान लघु सीमान्त किसान है इनकी आजीविका का एक मात्र साधन इनकी छोटी-छोटी कृषि भूमि है, जिस पर साग सब्जी तथा कुछ अन्न उपजाकर अपनी आजीविका चलाते है।

भू सीमा रोपण विभाग वाराणसी ने भूमि के उपयोग के मौके की जानकारी किये बिना राजस्व अभिलेखों की अनदेखी करके किसानों को सूचना देने की झूठी औपचारिकाता के आधार पर भू–स्वामी के 12 विश्व भूमि को छोड़कर शेष उनकी भूमि की जो कृषि भूमि है, सरकार के नाम अंकित करती जा

नोट:–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

रही है इस समय जबकि काशी विद्यापीठ विकास खण्ड में चकबन्दी हो रही है, किसानों की कृषि भूमि सरकार के नाम अंकित होती जा रही है जिसके कारण किसानों में भारी भय आतंक और असन्तोष व्याप्त है।

माननीय मुख्य मंत्री जी की 11 अप्रैल, 1994 की कानपुर की किसानों रैली में यह घोषणा कि कानपुर देहात के किसान के खेतिहर भूमि पर शहरी सीलिंग ऐक्ट से तहत की जा रही है कानूनी कार्यवाही रौंद दी जा रही है और जो किसान अपनी भूमि वापस लेना चाहेंगे उनके नाम आवंटित कर दी जायेगी यह एक न्यायोचित कदम है इसी प्रकार के न्याय की आशा काशी विद्यापीठ खण्ड के किसान भी करते है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न को सदन के संज्ञान में लाकर मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट करती हूं।]

इलाहाबाद के चौथम लाइन्स स्थित दरहरिया मुहल्ले (जवाहरगंज) के कई मकानों को रक्षा विभाग के अधिकारियों द्वारा पूरी तरह से ध्वस्त कर देने विषयक नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

[महोदय, 8 अप्रैल, 1994 को प्रातः 8.00 बजे बिना किसी सूचना एवं नोटिस के रक्षा विभाग के अधिकारियों, सेना ने चैथम लाइन्स स्थित दरहरिया मुहल्ले (जवाहरगंज) इलाहाबाद को चारों ओर से घेर कर बुल्डोजरों द्वारा कई मकानों को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया ध्वस्त करते समय पूरी आबादी को जवानों ने चारों तरफ से घेर रखा था। बुल्डोजरों द्वारा मकानों को पूरी तरह ध्वस्त ही नहीं किया गया बल्कि रक्षा विभाग के लोग दरवाजे, सरिया, एस्वेटस सीटे, खिड़कियां, ईंट आदि लाखों रुपये के सामान अपने साथ उठाकर ले गये।

ज्ञातव्य हो 1978 में बाढ़ पीड़ित क्षेत्र के अन्तर्गत तत्कालीन जिलाधिकारी द्वारा इन लोगों को वहां बसाया गया था। इन मकानों का छावनी अधिनियम में मूल्यांकन भी कराया गया है।

रक्षा विभाग के अधिकारियों ने उस क्षेत्र में रह रहे सैकड़ों लोगों मकानों की भी ध्वस्त करने की धमकी दी है। इस मनमाने ढंग से मकानों को ध्वस्त करने से उस मुहल्ले के सैकड़ों लोगों में रोष एवं क्षोभ व्याप्त है। सरकार से तत्काल हस्तक्षेप कर सेना की ज्यादती को रोकने, तोड़े हुये मकानों का मुआवजा देने तथा उन मकानों में रह रहे लोगों को वैकल्पिक आवास की व्यवस्था करने की अपेक्षा है।

अतः लोक महत्व के इस सुनिश्चित अविलम्बनीय विषय पर नियम 301 के अन्तर्गत सूचना देता हूं।]

देवरिया जनपद में छोटी गण्डक नदी के किनारे स्थित गांवों को नदी के कटाव से सुरक्षित करने की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल–

[महोदय, मेरे देवरिया विधान सभा क्षेत्र में छोटी गण्डक नदी के कटान के लगभग 65 गांवों में उनके अस्तित्व को खतरा पैदा हो रहा है। नदी के किनारे स्थित ग्राम जैसे–कैथवलिया, अहिरौली,

---

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

हरपुर, मुड़ेरामिश्र, मिश्रौली, गोरघाघाट, विन्दवलिया, कुहाहरी, महुआपाटन, बरियापुर, आमघाट, महुई, बैकुण्ठपुर आदि अनेक स्थानों पर जो ऐतिहासिक, धार्मिक एवं महत्वपूर्ण कस्बे हैं, जहां औषधालय संस्कृत महाविद्यालय एवं प्रसिद्ध दर्शनीय स्थल हैं । इनके कटान से रोकने हेतु सिंचाई विभाग ने कोई कार्य योजना नहीं तैयार की है तथा पूर्व में बने ठोकर भी अनुपयोगी हो गये हैं । गांवों में पर्याप्त जमीन न होने से घरों को अन्यत्र वसाया भी नहीं जा सकता ।

अतएव इस महत्वपूर्ण स्थानों की बाढ़ से बचाव एवं उनकी सुरक्षा हेतु त्वरित प्रभावी योजनायें बनाकर उनके अस्तित्व को सुरक्षित रखने हेतु कारगर कदम उठाये जायें ।]

आगरा के एस० एस० अस्पताल के आपत कक्ष में टेलीफोन लगवाने की मांग के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रमेश कान्त लवानियां–

[महोदय, आगरा के एस० एन० अस्पताल के आपात विभाग में लगा टेलीफोन भुगतान न होने के कारण दूरसंचार विभाग ने काट दिया है । आपात विभाग में मरीज की जब स्थिति गम्भीर होती है तो जूनियर डाक्टर सम्बन्धित रोग के विशेषज्ञ वरिष्ठ डाक्टर को उनके निवास से बुलाने के लिये परेशान होते रहते हैं । कभी कर्मचारी सूचना देने साइकिल पर जाता है तो कभी अस्पताल की गाड़ी यदि उपलब्ध होती है दे दी जाती है । गाड़ी खराब होने, वाहन चालक के समय पर न मिलने व अन्य कारणों से गाड़ी उपलब्ध न होने से डाक्टर को बुलाकर लाने में बहुत समय लग जाता है और इस बीच मरीज दम तोड़ देता है । टेलीफोन होने पर वरिष्ठ डाक्टर, जूनियर डाक्टर को रोगी की कौन सी दवा देनी है निर्देशित कर सकते हैं । और टेलीफोन से सूचना मिलने पर वह शीघ्र आपात विभाग में आ सकते हैं व मरीज का जीवन बच सकता है ।

अतः अविलम्बनीय लोक महत्व के इस विषय को सदन में उठाने की अनुज्ञा देने की कृपा करें ।]

वाराणसी नगर में जटिल ट्रैफिक समस्या का निदान करने विषयक नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री श्याम देव राय चौधरी–

[महोदय, वाराणसी नगर एक अत्यन्त महत्वपूर्ण तथा आवागमन की दृष्टि से व्यस्त रहने वाला नगर है । लेकिन प्रभावी ट्रैफिक नियंत्र नियम के अभाव के चलते नगर की व्यस्ततम सड़कों जैसे गोदौलिया, चौक, मैदागिन, विश्वैश्वरगंज, गिरिजाघर, चौराहा, आदि महत्वपूर्ण सड़कों पर अक्सर भयंकर जाम लग जाता है जिससे पैदल चलने वाले नागरिकों के साथ ही वाहनों का गुजरने में बहुत अधिक समय लग जाता है जिससे कई बार अपने गन्तव्य पर पहुंचने मे देरी हो जाती है जिसके कारण बहुत आवश्यक कार्य समय पर नहीं हो पाते हैं । नगर में स्थिति अस्पतालों में पहुंचने में एम्बुलेंस भी अक्षम हो जाती है जिससे कई बार गम्भीर मरीजों को समय पर चिकित्सा उपलब्ध न होने से उनकी असमय मृत्यु हो जाया करती है । विद्यालयों में समय पर न पहुंचने से छात्र-छात्राओं को हानि उठानी पड़ती है और उनके पठन-पाठन में बाधा उत्पन्न होती है ।

नोट :– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

उपरोक्त परिस्थिति में यह अत्यन्त आवश्यक है कि वाराणसी नगर के लिये ट्राफिक नियंत्रण कार्य योजना बनायी जाये और उसे तत्परता से लागू किया जावे ।

अतः लोक महत्व के इस सुनिश्चित और अविलम्बनीय प्रश्न पर माननीय सदन का ध्यान आकृष्ट करते हुए वाराणसी नगर में ट्राफिक नियंत्रण योजना लागू किये जाने हेतु नियम 301 के अन्तर्गत शासन द्वारा निर्देश दिये जाने की मांग करता हूं ।]

जनपद उन्नाव में विद्युत विभाग द्वारा बगैर विद्युत कनेक्शन दिये किसानों से फर्जी बिल का रुपया वसूले जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सुन्दर लाल लोधी–

[महोदय, जनपद उन्नाव जो राजधानी के अतिनिकट है, विद्युत विभाग द्वारा ग्राम उम्मेदखेड़ा, कोरारी कलां तथा सिकन्दरपुर कर्ण, अकबरपुर ग्राम विशुनपुर आदि अनेक ग्राम विधान सभा क्षेत्र हड़हा में हैं जहां पर विद्युत कनेक्शन ग्रामवासियों को देने के आदेश सन् 1986 से 1990 की अवधि में होते रहे खम्भे भी लगा दिये गये परन्तु तार लगाकर विद्युत लाइन आज तक नहीं चालू की गयी ।

बल्कि बगैर कनेक्शन दिये ग्राम वासियों पर विद्युत बिल हजारों रुपया के भेजे गये हैं जिससे जनता में असन्तोष व्याप्त है ।

कृपया इस अविलम्बनीय प्रश्न को ध्यान में रखकर सरकार को निर्देशित करने की कृपा करें कि बिल माफ कर ग्रामीणों को विद्युत कनेक्शन देने की कार्यवाही करें ।]

जनपद आगरा की अनुसूचित जाति की बस्तियों में प्रदूषित जल आपूर्ति से घातक रोगों के फैलने की आशंका के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री बदन सिह–

[महोदय, जनपद आगरा के अनुसूचित मोहल्लों में प्रायः शुद्ध पेयजल आपूर्ति की कोई समुचित एवं सुनिश्चित व्यवस्था नहीं है । प्रायः नागरिकों को प्रदूषित जल पीना पड़ता है । विशेषतः तहसील किरावली ब्लाक अकोला में स्थित नहचानी सलेमाबादत एवं इकरामनगर ग्रामों के अनुसूचित मोहल्लों में प्रदूषित पेयजल आपूर्ति हो रही है । जिसके कारण वहां के नागरिकों में प्राण लेवा और घातक रोग फैल रहे हैं । उनमें कूबड़, दमा, टी० बी०, विकलांग होने की बीमारियां फैली हुई हैं । इन रोगों से ग्रसित लोग भिन्न-भिन्न प्रकार का कष्ट झेल रहे हैं । उनका जीवन दूभर हो रहा है और स्वास्थ्य विभाग आंख मूंद कर उनकी इस दुर्दशा को देख रहा है ।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय को शासन के संज्ञान में लाकर मांग करता हूं कि उक्त सभी गांव में अनुसूचित जाति के मोहल्लों में शुद्ध पेयजल आपूर्ति हेतु शीघ्र सुनिश्चित व्यवस्था की जाय और दोषी जल निगम विभाग के अभियन्ताओं के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जाय ।]

नोट :– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

श्री राजीव अग्रवाल, सदस्य, विधान सभा पर प्राण घातक हमले के संबंध में दी गयी सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री द्वारा दिये गये आश्वासन की पूर्ति न होने विषयक औचित्य का प्रश्न

श्री अध्यक्ष–

नियम 300 में जो आज सूचनायें प्राप्त हुई हैं । उसमें मैं माननीय गुप्त जी को दो मिनट सुनूंगा, शेष सारी सूचनाएं निरस्त की जाती हैं ।

* श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, दिनांक 24-3-94 को इसी सदन में एक मामला उठाया, भारतीय जनता पार्टी के एक माननीय सदस्य श्री राजीव अग्रवाल जी पर ट्रेन में प्राणघातक हमला हुआ था और सभी सदस्यों ने दल की सीमा से उठकर उस पर चिन्ता प्रकट की थी । उस समय मान्यवर, आप नहीं थे अधिष्ठाता महोदय अशोक बाजपेयी जी बैठे हुए थे । माननीय अशोक बाजपेयी जी ने अधिष्ठाता के रूप में माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से इस पर विशेष कार्यवाही करने को कहा था, अपराधियों को पकड़ने के लिये विशेष प्रयास किया जाय । माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने जो उत्तर दिया और सदन को आश्वस्त किया था कि माकूल जवाब बाद में देंगे ।

मान्यवर, इस सदन में शासन पक्ष की यह आम आदत हो गयी है कि अध्यक्ष पीठ से जो निर्देश दिये जाते हैं उन पर अमल नहीं होता है । पीलीभीत के माननीय सदस्य के बारे में मामला उठा, उस पर निर्देश दिये गये । शासन को जो निर्देश दिये जाते हैं उन पर समय पर पालन नहीं होता है । राजीव अग्रवाल जी पर प्राणघातक हमला हुआ, हत्यारे पहचान लिये गये, लेकिन आज तक एक भी अपराधी नहीं पकड़ा गया । मेरी जानकारी यह है कि न तो उस संबंध में 82/83 की कार्यवाही हुई न कोई विशेष प्रयास किये गये । श्री अग्रवाल के साथ जो घटना घटी उसके एक दिन पहले रिजवानुलहक जी के भाई के साथ घटना हुई, पीपल साना एक गांव है वहां लाश पायी गयी । वह पूरा क्षेत्र अपराधिक दृष्टि से बड़ा ही गहन चिन्ता का प्रश्न बन गया है । पूरे जनपद में आज उत्तेजना व्याप्त है । मुझे जानकारी मिली है कि वहां बड़े-बड़े प्रदर्शन और नारेबाजी हो रही है लेकिन सरकार के कानों पर कोई जूं नहीं रेंग रही है । श्री अग्रवाल पर प्राणघातक हमला करने वाले लोगों को पकड़ने के लिये सरकार ने कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं की है और अपने द्वारा किये गये वायदे के अनुसार कोई उत्तर देना ही उचित समझा है ।

मान्यवर, श्री राजीव अग्रवाल के हमलावरों को पकड़ने के लिये कार्यवाही की जाय उस क्षेत्र को विशेष संवेदनशील मानकर उसके बारे में जांच की जाय । और, आपके श्रीमुख से यह व्यवस्था चाहता हूं कि अध्यक्ष पीठ के निर्देशों का पालन एक निर्धारित अवधि में होना चाहिए । अगर वह टाईम बीत जाता है तो अध्यक्ष पीठ को शासन के खिलाफ भी कुछ कड़े निर्देश, शास्ति देनी चाहिए जिससे अध्यक्ष पीठ के निर्देशों का पालन समय पर हो सके । राजीव अग्रवाल जी की घटना से संबंधित जो अपराधी हैं उनको पकड़ने के लिये पूरे प्रयास होने चाहिए ।

श्री किरन पाल सिंह–

मान्यवर, मेरा भी एक प्रश्न है.....

श्री अध्यक्ष–

पहले संसदीय कार्य मंत्री को सुन लेने दीजिये, पहले आपकी बात का उत्तर आ जाने दीजिये ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, माननीय सदस्य के जिले का मामला है, सुन लें ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री सुरेश प्रताप सिंह–

मान्यवर, मेरे क्षेत्र की बात है राजीव अग्रवाल जी पर 23 तारीख को घटना घटी । उसके पहले ही पीपल साना गांव में पास 22 तारीख को पूर्व विधायक रिजवानुल हक के, जो तीन बार इस सदन के सदस्य चुने गये थे, उनके छोटे भाई की 22 तारीख को हत्या की गयी उनके घर के सामने और 24 तारीख को कुएं के अन्दर एक और लाश पायी जाती है । 25 मार्च को हसीना नामक महिला को गोली मारकर हत्या कर दी गयी ।

श्री अध्यक्ष–

यह सब बातें तो आ चुकी हैं, अब तो उत्तर की बात है ।

श्री सुरेश प्रताप सिंह–

मान्यवर, कोई कार्यवाही नहीं हो रही है, प्रशासन में हमारी सरकार की तरफ से कुछ लोगों का हाथ है, उनके ऊपर सपा के कुछ व्यक्तियों ने हाथ रखा हुआ है, जिसके कारण कार्यवाही नहीं हो रही है । इसमें न्यायिक जांच बिठायी जाय जो अपराध मेरे क्षेत्र के अन्दर हो रहे हैं उनको रोकने की प्रभावी व्यवस्था की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय वर्मा जी, माकूल उत्तर दिया जायेगा, उस संदर्भ में समय निश्चित करेंगे ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी बैठे हुए हैं आपकी बात नहीं सुन रहे हैं, चिन्ताजनक बात है ।

लोक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

मैं सुन नहीं पाया आपने माननीय वर्मा जी कहा, वह हमारे लिये सम्बोधन नहीं हो सकता ।

श्री अध्यक्ष–

अच्छा, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ।

* श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

जो माननीय गुप्त जी ने यहां पर राजीव अग्रवाल के संबंध में चिन्ता व्यक्त की है, हमने उस दिन भी अपनी बात आप लोगों के समक्ष रखी थी आज भी हम पूरी तरह से प्रयत्नशील हैं हम खुद ही आज इसकी समीक्षा करेंगे, उनके अपराधियों के खिलाफ सख्त से सख्त क्या कार्यवाही जल्द से जल्द हो सकती है श्रीमन्, यह जो 300 के औचित्य का दायरा है उसको आप देख लें यह उसमें आता नहीं । इस संबंध में चर्चा कहां उपयुक्त होगी । गुप्त जी मशविरा दें अपराधियों के खिलाफ कार्यवाही के संबंध में वह अलग बैठकर बात कर लें, उसमें रियायत करने की सरकार की मंशा नहीं हो सकती है, वह जल्द से जल्द पकड़े जायें, उसमें पूरी तरह से सहयोग करें, उसमें हम आपकी पूरी बात मान लेंगे ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

हमें तो शासन सहयोग दें, हम तो सहयोग करने को तैयार हैं, सहयोग तो प्रशासनतंत्र का रहेगा। यह सूचनायें जो हम लोगों की हैं, 10 बजे तक शासन के पास पहुंच गयीं। मैंने भी उस स्थान पर बैठकर सेवा की है। दो घंटे में जिले से सूचना मंगा लेनी चाहिए थी।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

हम पूरी तरह से सहमत हैं। आपने जो सेवा की है उसे पूरे प्रदेश ने देखा है। आप अभी चलें अभी बात कर लेते हैं। जो भी आप सुझाव देंगे उस पर कार्यवाही की जायेगी।

श्री अध्यक्ष–

यह औचित्य का प्रश्न नहीं बनता है। जो माननीय गुप्त जी के सुझाव हों उस पर प्रभावी कार्यवाही की जाये।

श्री किरन पाल सिंह–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मैंने नियम–300 के अन्तर्गत एक सूचना दी थी।

श्री अध्यक्ष–

आपकी सूचना दिनांक 7 मार्च, 1994 को नियम–300 के अन्तर्गत जनपद मुजफ्फरनगर के मोहल्ला कृष्णापुरी की 50 वर्षीय महिला को बेइज्जत किये जाने के बारे में दिनांक 8 मार्च, 1994 को श्री हरेन्द्र सिंह मलिक द्वारा माननीय अध्यक्ष को लिखे गये पत्र के संबंध में है। यह औचित्य का प्रश्न नहीं बनता है।

* श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, औचत्य में आता है और यह कैसे आता है इसको आप सुन लें ? आपने जिस समय माननीय हरेन्द्र सिंह मलिक जी महिला उत्पीड़न के संबंध में अपनी बात कर रहे थे .....

श्री अध्यक्ष–

यह नियम–300 के अन्तर्गत नहीं आता है। मैं इसे नहीं सुनूंगा। मैंने नियम–311 की सूचना को नियम–56 में परिवर्तित कर दिया है।

श्री किरन पाल सिंह–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न सुन लें।

श्री अध्यक्ष–

पहले याचिका प्रस्तुत हो जाने दीजिये।

जनपद मुजफ्फरनगर नगर के ग्राम बधाई खुर्द, पोस्ट–बधाई कलां के नाला इमालिया पर पुल अल्ताफपुर का निर्माण कराये जाने विषयक चौधरी जिले सिंह आदि की याचिका

श्री रणधीर सिंह–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से जनपद मुजफ्फरनगर के ग्राम बधाई खुर्द, पोस्ट–बधाई कलां के नाला इमालिया पर पुल अल्ताफपुर का निर्माण कराये जाने के संबंध में चौधरी जिले सिंह तथा श्री उदयवीर, निवासीगण, जनपद मुजफ्फरनगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जनपद मुजफ्फरनगर के ग्राम विरालसी में उप विद्युत गृह का निर्माण कराये जाने विषयक श्री जगपाल सिंह प्रधान आदि की याचिका

श्री रणधीर सिंह–

जनपद–मुजफ्फरनगर के ग्राम–विरालसी में उप विद्युत गृह का निर्माण कराये जाने के संबंध में श्री जगपाल सिंह, प्रधान तथा श्री धर्मपाल सिंह, उप प्रधान, निवासीगण मुजफ्फरनगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

जनपद गाजियाबाद के अन्तर्गत ट्रान्स, हिन्डन क्षेत्र की कालोनियों में सभी आवश्यक नागरिक सुविधायें उपलब्ध कराने विषयक चौधरी हरपाल सिंह आदि की याचिका

श्री बालेश्वर त्यागी–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से जनपद–गाजियाबाद के अन्तर्गत ट्रान्स, हिन्डन क्षेत्र की कालोनियों में सभी आवश्यक नागरिक सुविधायें उपलब्ध कराने के संबंध में चौधरी हरपाल सिंह तथा श्री अशोक पाल, निवासीगण जनपद–गाजियाबाद आदि द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

जनपद गाजियाबाद के ग्राम बेगमाबाद, तहसील मोदीनगर स्थित सीकरी कला बेगमा बाग नाले से होने वाली जल भराई दूर करने विषयक श्री अरविन्द सिंह नेहरा की याचिका

श्री नरेन्द्र सिंह सिसौदिया–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से जनपद–गाजियाबाद के ग्राम बेगमाबाद, तहसील मोदीनगर स्थित सीकरी कला बेगमाबाद नाले से होने वाली जलभराई दूर करने के संबंध में अरविन्द नेहरा, श्री जगभगवान डीलवान, निवासीगण–ग्राम बेगमाबाद, तहसील मोदीनगर, जनपद गाजियाबाद द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

जनपद सीतापुर की तहसील महमूदाबाद के अन्तर्गत विभिन्न मार्गों को सोलिंग स्तर से लेपन स्तर तक बनाये जाने विषयक श्री चांदनारायण आदि की याचिका

श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से जनपद सीतापुर की तहसील महमूदाबाद के अन्तर्गत विभिन्न मार्गों को सोलिंग स्तर से लेपन स्तर तक बनाये जाने के संबंध में श्री चांद नरायन तथा श्री शिव कुमार, निवासीगण–ग्राम व पोस्ट पोखरकलां, सीतापुर आदि द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

जनपद सीतापुर की तहसील महमूदाबाद में मुसिंफ कोर्ट खोले जाने विषयक श्री सुरेश चन्द्र वर्मा आदि की याचिका

श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से जनपद सीतापुर की तहसील महमूदाबाद में मुंसिफ कोर्ट खोले जाने के संबंध में श्री सुरेश चन्द्र वर्मा तथा श्री मनोज कुमार, निवासीगण पोखरकलां, जनपद–सीतापुर आदि द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

जनपद सीतापुर की तहसील महमूदाबाद वासुरा व कटुवा घाट पर पीपे का पुल बनाये जाने विषयक श्री जतगुरू आदि की याचिका

श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से जनपद सीतापुर की तहसील महमूदाबाद वासुरा व कटुवा घाट पर पीपे का पुल बनाये जाने के संबंध में श्री जतगुरू तथा श्री जयपाल निवासीगण–ग्राम मुरादपुर, जनपद–सीतापुर आदि द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

जनपद सीतापुर की तहसील महमूदाबाद में अग्निशमन केन्द्र स्थापित कराये जाने विषयक श्री उमाशंकर आदि की याचिका

श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से जनपद सीतापुर की तहसील महमूदाबाद में अग्निशमन केन्द्र स्थापित कराये जाने के संबंध में श्री उमाशंकर तथा श्री पंकज कुमार, निवासीगण महमूदाबाद, जनपद सीतापुर आदि द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

जनपद सीतापुर, तहसील महमूदाबाद की नगरपालिका में पेयजल हेतु पानी की टंकी का निर्माण किये जाने विषयक श्री विजय कुमार आदि की याचिका

श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से जनपद सीतापुर की तहसील महमूदाबाद की नगरपालिका में पेयजल हेतु पानी की टंकी का निर्माण किये जाने के संबंध में श्री विजय कुमार तथा श्री भाष्कर, निवासीगण–महमूदाबाद, जनपद सीतापुर आदि हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

जनपद सुल्तानपुर ग्राम कन्धईपुर से मीरानपुर दिलावरपुर की दस किलोमीटर सड़क के निर्माण विषयक श्री मो० वशीर प्रधान आदि की याचिका

श्री सफदर रजा खान–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से जनपद सुल्तानपुर, ग्राम–कन्धईपुर से मीरानपुर दिलावरपुर की दस किलोमीटर सड़क के निर्माण के संबंध में श्री मो० वशीर, प्रधान श्री शकील अहमद, निवासीगण–मीरानपुर, जनपद सुल्तानपुर आदि द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

जनपद मुजफ्फरनगर के मोहल्ला कृष्णपुरी में 50 वर्षीय महिला का उत्पीड़न विषयक सूचना की शासन द्वारा सी० आई० डी० जांच कराने संबंधी आश्वासन की कार्यवाही में अंकित न किये जाने के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री किरन पाल सिंह–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष–

पहले मैं कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिश ले लूं, उसके बाद आपको सुनूंगा।

श्री किरन पाल सिंह–

नहीं मान्यवर, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, पहले सुन लें।

श्री अध्यक्ष–

अच्छा बतायें, क्या है आपका व्यवस्था का प्रश्न ?

* श्री किरन पाल सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि 7 मार्च का इसी विधान सभा में माननीय हरेन्द्र सिंह मलिक (मुजफ्फरनगर) ने एक मामला उठाया कि ब्रह्मवती पत्नी चन्द्रपाल सिंह को एक महीना जबरन थाने में रखकर उत्पीड़ित किया गया, उसके बाल नोचे गये और जो-जो किया गया, उन शब्दों को मैं यहां नहीं कह सकता । उसके बाद सरकार की तरफ से यह आदेश हुआ कि दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कठोर कार्यवाही की जाय और इस मामले पर सी० आई डी० की जांच करवाई जायेगी । लेकिन अचरज तब हुआ, जब विधान सभा की 7 मार्च की कार्यवाही 8 मार्च को देखने को मिली तो उसमें सी० आई० डी० की जांच का कोई जिक्र ही नहीं था । आज फिर यह मामला यहां आया तो माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा कि सी० आई डी० की जांच के आदेश हो चुके हैं । मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह बनता है कि उस दिन जो आदेश हुए थे, वह कार्यवाही में दर्ज नहीं हैं, जिसकी घोषणा हो गयी थी और संसदीय कार्य मंत्री जी ने आज फिर स्पष्ट कहा है कि सी० आई डी० जांच के आदेश हो गये थे तो मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न यही बनता है कि सी० आई० डी० जांच की बात कार्यवाही में है नहीं माननीय मंत्री जी इस बात को तसलीम कर रहे हैं तो मान्यवर, इस बात को सही माना जायेगा या कार्यवाही में जो नहीं है, वह माना जायेगा ?

लोक निर्माण एवं संसदीय कार्यमंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

इस संबंध में आप ही निर्णय करेंगे ।

श्री अध्यक्ष–

क्या कोई आश्वासन आ चुका है ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

श्रीमन् हमको जहां तक याद आ रहा है, सी० आई० डी० जांच की बात हुई थी, वैसे निर्णय तो आपको करना है ।

श्री अध्यक्ष–

आपने अलग से लिखकर दिया है तो वह कार्यवाही का भाग है नहीं ।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, आपने किरन पाल जी को सुन लिया, मेरा भी व्यवस्था का प्रश्न सुन लें । बहुत महत्वपूर्ण मामला आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं ।

श्री राम आसरे वर्मा–

'मान्यवर, मेरा इसी से संबंधित व्यवस्था का प्रश्न है, आप भी इससे सहमत होंगे । माननीय किरन पाल जी ने जो व्यवस्था का प्रश्न 7 मार्च की घटना के संबंध में उठाया, उसमें मेरे ही अनुपूरक प्रश्न के उत्तर में माननीय मंत्री जी ने कहा था कि सी० आई डी० की जांच कस ली जायेगी और अधिकारियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही का आश्वासन दिया गया था, लेकिन 8 मार्च को सबेरे जब कार्यवाही देखने को मिलती है तो उसमें सी० आई डी० की जांच का उल्लेख नहीं मिलता । मान्यवर, 8 तारीख को ही माननीय हरेन्द्र सिंह (मुजफ्फरनगर) ने आपको भी एक पत्र लिखा, जिसमें इस बात का भी उल्लेख किया था, इसलिये यह औचित्य का प्रश्न बनता है । मान्यवर, आपको जो पत्र लिखा गया, उसका भी कोई उत्तर हरेन्द्र मलिक को नहीं मिला । तीसरी बात मैं जोड़ना चाहता हूं कि अभी प्रश्न प्रहर में जिस समय एक अनुपूरक प्रश्न के बारे में माननीय हरेन्द्र सिंह ने ब्रह्मवती का प्रकरण उठाया था, उस समय

---

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

माननीय मंत्री जी ने स्वयं कहा कि सी० आई० डी० जांच की बात हो चुकी है । अभी भी कहा कि सी० आई० डी० जांच की बात उन्हें याद है । तो मान्यवर, इस तरह यह जटिलता पैदा हो गयी है । 7 मार्च को घोषणा की गयी, माननीय मंत्री जी ने स्पष्ट कहा कि सी० आई० डी० जांच करा ली जायेगी और दोषी अधिकारियों को दण्डित किया जायेगा, इस पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय वर्मा जी, जो मूल प्रश्न था, उसके अनुपूरक प्रश्न में माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने कोई आश्वासन दिया था और जो माननीय हरेन्द्र सिंह ने जो कुछ लिखकर दिया है, वह प्रश्न से संबंधित नहीं हो सकता, वह तो अलग की कार्यवाही होगी । माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी ने क्या आश्वासन दिया है, उस संबंध में तो वही कहेंगे लेकिन प्रश्न के संबंध में जो लिखकर दिया है, उस संबंध में कार्यवाही किया जाना औचित्य का प्रश्न नहीं है ।

श्री किरन पाल सिंह–

मान्यवर, सरकार का आश्वासन आ चुका है ।

श्री अध्यक्ष–

अगर आश्वासन दिया है तो मैं कार्यवाही दिखवाऊंगा ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

हम समझते हैं कि इस संबंध में हम भी, आप भी और अध्यक्ष जी के बीच वार्ता कर ली जायेगी ।

बागेश्वर को जिला बनाये जाने संबंधी पूर्व राजस्व मंत्री के आश्वासन की पूर्ति न होने के विरोध स्वरूप श्री राम प्रसाद टम्टा सदस्य विधान सभा के धरने के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, एक महत्वपूर्ण सूचना देना चाहता हूं और उस पर आपकी व्यवस्था चाहता हूं । सदन चल रहा है और सम्मानित सदस्यों को सदन के अन्दर होना चाहिये, लेकिन आज हमारे माननीय राम प्रसाद टम्टा जी विधान भवन के बाहर धरने पर बैठे हैं । उन्होंने बागेश्वर तहसील को जनपद बनाये जाने के बारे में पहले भी बात उठाई थी, उस समय तत्कालीन सरकार के राजस्व मंत्री श्री राम सरन दास ने जनगणना होने के उपरान्त बागेश्वर तहसील को जनपद बना दिये जाने का आश्वासन दिया था । इस संबंध में 11-4-94 को लोग गिरफ्तारी दे चुके हैं, इसके बावजूद सरकार ने कोई कार्यवाही नहीं की । आज पुनः बागेश्वर क्षेत्र से आये 500 लोग धरना दे रहे हैं । श्री टम्टा जी इस सदन के माननीय सदस्य हैं, वह गिरफ्तारी दे चुके हैं । मान्यवर, आप इस संबंध में सरकार को कृपापूर्वक निर्देशित करें कि तत्काल हस्तक्षेप करके राम प्रसाद टम्टा जी को सदन में आने के लिये कहें जिससे धरना समाप्त हो सके, मैं इस पर आपकी व्यवस्था चाहता हूं ।

लोक निर्माण एवं संसदीय कार्यमंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

श्रीमन्, हम तो पाल साहब से अनुरोध करते हैं कि माननीय सदस्य को जाकर ले आयें । मान्यवर, लोकतंत्र में अनशन, प्रदर्शन सभी नागरिकों का अधिकार है, राजनीतिक लोगों का अधिकार है, उससे रोका तो नहीं जा सकता, लेकिन जो समस्यायें हैं, जो मसले हैं, उन मसलों को हल करने का तरीका होता है । माननीय पाल साहब जाकर माननीय सदस्य को सदन में ले आवें ।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, हम तो चलेंगे ही, अगर हम अकेले जाना चाहते तो मैं आपके माध्यम से व्यवस्था क्यों चाहता । माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी व्यस्त हैं तो अपने राजस्वमंत्री जी को कह दें कि वह वहां जायें और श्री राम प्रसाद टम्टा जी को इस सदन में ले आयें ।

श्री राम विशुन आजाद–

मान्यवर, श्री टम्टा जी अपने कार्यकर्ताओं के साथ धरने पर बैठे हैं लेकिन सरकार इस मामले को गम्भीरता से नहीं ले रही है ।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री हरेन्द्र मलिक–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष–

अगर व्यवस्था का ही प्रश्न चलेगा तो सदन कैसे चलेगा ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

मैंने मल्ल जी को बुला लिया है ।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री राम विशुन आजाद–

मान्यवर, यह सरकार पर्वतीय क्षेत्र की उपेक्षा कर रही है । सरकार ने जब कहा था कि बागेश्वर को जिला बनाया जायेगा, तो फिर सरकार ने कोई स्पष्ट नीति की घोषणा क्यों नहीं की ?

(श्री राम विशुन आजाद, श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल, श्री प्रीतम सिंह आदि सदस्य सदन की बेल में आकर बागेश्वर को जिला बनाये जाने की मांग करने लगे जिससे व्यवधान उत्पन्न हो गया ।)

कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा सदन कार्य क्रम के निर्धारण का प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष–

उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य-मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 18 अप्रैल, 1994 की बैठक में सदन के दिनांक 19 अप्रैल, 1994 से दिनांक 27 अप्रैल, 1994 तक के उपवेशन के कार्यक्रम के संबंध में निम्नलिखित सिफारिशें की हैं :–

1–सदन का दिनांक 19 अप्रैल, 1994 से 27 अप्रैल, 1994 तक के तिथिवार कार्यक्रम को निम्नलिखित संशोधित रूप में निर्धारित किया जाय :–

<u>अप्रैल, 1994</u>

19 मंगलवार (1) उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1994 पर विचार एवं उसका पारण ।

आधा घण्टा ।

(2) वित्तीय वर्ष 1994-95 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान ।

20 बुधवार — बैठक नहीं होगी । (राम नवमी का अवकाश) ।

21 गुरूवार — (1) वित्तीय वर्ष 1994-95 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान ।

(2) उत्तर प्रदेश शान्ति सुरक्षा बल विधेयक 1994 पर विचार एवं उसका पारण ।

एक घण्टा ।

22 शुक्रवार — वित्तीय वर्ष 1994-95 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान ।

23 शनिवार — (1) वित्तीय वर्ष 1994-95 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान ।

(2) जनपद गाजियाबाद के किसानों को भूमि अर्जन अधिनियम की धारा 28–ए के अन्तर्गत प्रतिकर का भुगतान न होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री बालेश्वर त्यागी, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम–52 के अन्तर्गत अभिसूचित सूचना पर चर्चा ।

एक घण्टा ।

24 रविवार — बैठक नहीं होगी । (महावीर जयन्ती का अवकाश) ।

25 सोमवार

26 मंगलवार — वित्तीय वर्ष 1994-95 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान ।

27 बुधवार

(1) वित्तीय वर्ष 1994-95 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान ।

(2) 4.00 बजे अपराह्न

उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 1994 का सदन की अनुज्ञा से पुरःस्थापन, उस पर विचार एवं उसका पारण ।

2–शनिवार, दिनांक 23 अप्रैल, 1994 को नियम 51,56,300 तथा नियम 311 के अन्तर्गत कोई सूचना न ली जाय ।

लोक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि –"यह सदन कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिश से, जिसकी सूचना आज श्री अध्यक्ष द्वारा सदन में दी गयी है, सहमत है।"

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिश विषयक प्रस्ताव, जिसकी सूचना माननीय संसदीय कार्यमंत्री द्वारा दी गयी है, से सदन सहमत है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(सदन की फ्लोर में आये हुये कई सदस्य बागेश्वर को जिला बनाये जाने की मांग को दोहराते रहे।)

(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

अब मैं सदन की कार्यवाही आधे घण्टे के लिये स्थगित करता हूं।

(तत्पश्चात् श्री अध्यक्ष ने 12 बजकर 50 मिनट पर सदन की कार्यवाही आधे घण्टे के लिये स्थगित कर दी 1 बजकर 20 मिनट पर मार्शल ने सूचित किया कि मा० अध्यक्ष ने सदन का स्थगन 2 बजे तक बढ़ाने का आदेश दिया है। तदोपरान्त 2 बजे सदन की कार्यवाही श्री अध्यक्ष के सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुई।)

(कई सदस्यों के एक साथ खड़े होने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आप लोग आसन ग्रहण करें। मैं मद संख्या 12 ले रहा हूं।

(श्री प्रीतम सिंह, श्री राम विशुन आजाद, श्री महेन्द्र माहरा आदि कांग्रेस के कई सदस्यों के सदन की वेल में आने पर घोर व्यवधान)

रजिस्ट्रीकरण उत्तर प्रदेश संशोधन विधेयक, 1994†

लोक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से रजिस्ट्रीकरण (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1994 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि रजिस्ट्रीकरण (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1994 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(कांग्रेस के कई सदस्य सदन के फ्लोर पर खड़े होकर एक साथ बोलते रहे जिससे घोर व्यवधान बना रहा।)

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से रजिस्ट्रीकरण (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1994 को पुरःस्थापित करता हूं।

नियम 311 की नियम 56 के अन्तर्गत परिवर्तित अर्ध-तारांकन प्रश्नों की सूचनायें

श्री अध्यक्ष–

आज दिनांक 19-04-94 को नियम 311 में प्राप्त सभी सूचनाओं को नियम 56 में परिवर्तित कर दिया गया है। इस प्रकार नियम 56 के अन्तर्गत कुल 36 सूचनायें प्राप्त हुई, जिनमें से शलाका के आधार पर निम्नलिखित सूचनायें चयनित की गयी। प्रथम पांच सूचनाओं को ग्राह्यता हेतु सुना जायेगा, शेष सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जा सकता है :–

पहली सूचना श्री रंगनाथ मिश्र, श्री बदन सिंह, श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल, श्री सत्य प्रकाश विकल, श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी, श्री श्याम देव राय चौधरी, श्री शिवदानी, श्री रमेश पोखरियाल "निशंक" की प्रदेश में व्याप्त विद्युत संकट से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, इस पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। दूसरी सूचना डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर की इलाहाबाद विश्वविद्यालय में छात्र संघ की चुनाव की मांग कर रहे छात्रों पर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। इस पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। तीसरी सूचना श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल की जनपद देवरिया में जंगल पार्टी के आतंक से उत्पन्न स्थित के सम्बन्ध में है। इस पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। चौथी सूचना श्री अजय कुमार पोइया, श्री छोटे लाल वर्मा, श्री उदय भान सिंह, डा० मामचन्द्र, श्री लाज कृष्ण गांधी, श्री प्रणतपाल सिंह और श्री रणधीर सिंह की –श्री अजय कुमार पोइया, सदस्य, विधान सभा, मथुरा पर प्राणघातक हमला से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। इस पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। पांचवीं सूचना श्री रमेश कान्त लवानियां की–पाकिस्तान समर्थित संस्था जिहाद कौंसिल द्वारा कानपुर में वीडियो कैसेट दिखाकर एक समुदाय विशेष के लोगों को भारत के टुकड़े-टुकड़े करने के लिये भड़काने के सम्बन्ध में है। इस पर सरकार का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। छठीं सूचना श्री जयपाल सिंह की–चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ तथा आगरा विश्वविद्यालय में प्रवक्ता, रीडर व प्रोफेसर के पदों पर पिछड़ा वर्ग के लिये आरक्षण के प्राविधानों के तहत पदों की रिक्तियों का प्रकाशन न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। इस पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। सातवीं सूचना श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त की–प्रदेश में आग्नेयास्त्र तथा विस्फोटक सामग्री बनाने की अवैध फैक्टरियों को स्थापित किये जाने तथा मैनपुरी में एक फैक्टरी में विस्फोटक से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। इस पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। आठवीं सूचना श्री बदन सिंह की–प्रदेश के महानगरों में मासूम बच्चों को देह व्यापारियों तक पहुंचाने वाले गिरोहों के सक्रिय होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। इस पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। नवीं सूचना श्री रंगनाथ मिश्र की बुनकरों को कम उम्र का बताकर श्रमाधिकारियों द्वारा फर्जी चालान करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। इस पर शासन का

ध्यान आकृष्ट किया जाता है। दसवीं सूचना श्री रमेश पोखरियाल "निशंक" की जनपद पौड़ी गढ़वाल के राजकीय इण्टर कालेज, वीरोंखाल से बोर्ड परीक्षाओं के प्रश्नपत्रों की चोरी से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। इस पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। शेष सभी सूचनाओं को अस्वीकार किया जाता है।

(कांग्रेस के सदस्य सदन के फ्लोर में खड़े होकर एक साथ बोलते रहे जिससे घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया।)

(व्यवधान के मध्य)

उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1994

सहकारिता तथा मुस्लिम वक्फ मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रसताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1994 पर विचार किया जाय।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य संशोधन का प्रस्ताव रखें। (व्यवधान)

(संशोधन का प्रस्ताव न रखे जाने पर)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1994 पर विचार किया जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड 2 से खण्ड 13 तक,

खंड 1 प्रस्तावना तथा शीर्षक

उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1994

उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1965 का अग्रतर संशोधन करने के लिए विधेयक

भारत गणराज्य के पैंतालीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ 1–(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1994 कहा जायेगा।

(2) यह ऐसे दिनांक को प्रवृत्त होगा जो राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त नियत करे।

2–उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1965 की धारा 29 में, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है– उत्तर प्रदेश अधिनियम 11 सन् 1966 की धारा 29 का संशोधन

(क) उपधारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जाएगी, अर्थात्–

" (2) प्रत्येक प्रबन्ध कमेटी का कार्यकाल, जिसमें उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1994, के प्रारम्भ के पूर्व गठित प्रबन्ध कमेटी सम्मिलित है, जिसका कार्यकाल ऐसे प्रारम्भ के दिनांक को समाप्त नहीं हुआ है, पांच वर्ष होगा, और प्रबन्ध कमेटी के निर्वाचित सदस्यों का कार्यकाल ऐसी कमेटी के कार्यकाल के साथ सह-विस्तारी होगा ।

स्पष्टीकरण–इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1994 के प्रारम्भ के पूर्व गठित प्रबन्ध कमेटी के संबंध में पद "कार्यकाल" का तात्पर्य तीन वर्ष की अवधि से है ।

(ख) उपधारा (3) और (4) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारायें रख दी जायेंगी, अर्थात्–

(3) किसी सहकारी समिति की प्रबन्ध कमेटी का पुनर्गठन करने के लिए निर्वाचन निबनधक के अधीक्षण, नियंणत्रण और निदेशों के अधीन, विहित रीति से, प्रबन्ध कमेटी के कार्यकाल की समाप्ति के कम से कम पन्द्रह दिन पूर्व पूरा कर लिया जायेगा और इस प्रकार निर्वाचित सदस्य उस प्रबन्ध कमेटी के स्थान पर जिसका कार्यकाल उपधारा (2) के अधीन समाप्त हो गया है, स्थान ग्रहण करेंगे:

प्रतिबन्ध यह है कि जहां किसी असाधारण परिस्थिति के कारण, प्रबन्ध कमेटी के सदस्यों का निर्वाचन पूरा न कर लिया गया हो, या पूरा न किया जा सका हो निबन्धक अभिलिखित किये जाने वाले कारणों से, बर्हिगामी प्रबन्ध कमेटी के कार्यकाल में इस प्रकार विस्तार कर सकता है कि कोई एक विस्तार तीन मास से अधिक का नहीं होगा और कुल विस्तार छः मास से अधिक नहीं होगा और निबन्धक का यह कर्तव्य होगा कि वह इस प्रकार विस्तार किये गये कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व प्रबन्ध कमेटी को पुनर्गठित कराये और ऐसी प्रबन्ध कमेटी बहिर्गामी प्रबन्ध कमेटी को प्रतिस्थापित करेगी भले ही उसका विस्तार किया गया कार्यकाल समाप्त न हुआ हो :

अग्रतर प्रतिबन्ध यह है कि इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, इस धारा के अधीन नियुक्त प्रशासन या प्रशासन कमेटी, जैसी वह उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1994 के प्रारम्भ के पूर्व विद्यमान थी, प्रबन्ध कमेटी की शक्ति का प्रयोग और कर्तव्यों का निर्वहन इस अधिनियम के अधीन प्रबन्ध कमेटी का पुनर्गठन होने या 31 दिसम्बर, 1994 तक, इनमें जो भी पहले हो, करती रहेगी ।

(4) सहकारी समिति के, यथास्थिति, सचिव या प्रबन्ध निदेशक का यह कर्तव्य होगा कि वह प्रबन्ध कमेटी के कार्यकाल की समाप्ति के चार मास पूर्व निबन्धक को निर्वाचन कराने के लिए अधियाचन और ऐसी समस्त सूचना जिसकी उसके द्वारा अपेक्षा की जाय, ऐसी अवधि के भीतर जो उसके द्वारा नियत की जाय, भेजा ।"

(ग) उपधारायें (5) और (6) निकाल दी जायेंगी ।

धारा 32 का संशोधन

3–मूल अधिनियम की धारा 32 में, उपधारा (1) में खण्ड (ख) निकाल दिया जायेगा ।

धारा 35 का संशोधन

4–मूल अधिनियम की धारा 35 में,–

(क) उपधारा (1) में, प्रतिबन्धात्मक खण्ड के पश्चात्, निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खण्ड बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात्–

"अग्रतर प्रतिबन्ध यह है कि उपधारा (1) के अधीन कार्यवाही छः मास के भीतर पूरी कर ली जायेगी, और यदि यह इस अवधि में पूरी नहीं की जाती है, तो उपधारा (1) के अधीन प्रारम्भ की गई कार्यवाही समाप्त समझी जायेगी और प्रबन्ध कमेटी यदि निलम्बित हो तो पुनर्स्थापित हो जायेगी":

(ग) उपधारा (3) में,–

(एक) शब्द "एक वर्ष से अनधिक अवधि के लिए" के स्थान पर शब्द "छः मास से अनधिक अवधि के लिए" रख दिये जायेंगे,

(दो) प्रथम प्रतिबन्धात्मक खण्ड निकाल दिया जायेगा ।

(घ) उपधारा (7) में, शब्द "की उपधारा (3) के प्रतिबन्धात्मक खण्ड" निकाल दिये जायेंगे ।

5–मूल अधिनियम की धारा 58 में,– धारा 58 का संशोधन

(क) धारा (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारायें रख दी जायेंगी, अर्थात्–

(1) किसी सहकारिता वर्ष में किसी सहकारी समिति का शुद्ध लाभ उस वर्ष में उसके सकल लाभ से निम्नलिखित को घटाने के पश्चात् संगणित किया जायेगा:–

(क) ब्याज जो अतिशोध्य है;

(ख) प्रबन्धकीय व्यय;

(ग) कर्मचारियों के निधि या उपदान निधि के लिए अंशदान;

(घ) ऋण और जमा पर ब्याज;

(ङ) लेखा परीक्षा फीस;

(च) चालू व्यय जिसमें मरम्मत, किराया, कर और सम्पत्ति का ह्रास सम्मिलित है,

(छ) असमायोजित अशोध्य ऋणों और हानियों का बट्टे खाते में डालने के लिए सृजित निधि के लिए अंशदान;

प्रतिबन्ध यह है कि सहकारी समिति पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान प्रोदभूत ब्याज, जिसे उस वर्ष में वसूल किया गया है, वर्ष के शुद्ध लाभ में जोड़ सकती है;

(1–क) सहकारी समिति उपधारा (1) के अधीन यथासंगणित किसी वर्ष के शुद्ध लाभ को, जिसमें पूर्व वर्षों का अग्रनीत शुद्ध लाभ सम्मिलित है, निम्नलिखित रीति से वितरित करेगी–

(क) ऐसी धनराशि जो 25 प्रतिशत से कम न हो, एक निधि में संक्रमित की जायेगी, जिसे रक्षित निधि कहा जायेगा,

(ख) विहित रीति से स्थापित की जाने वाली सहकारी शिक्षा निधि में कम से कम इतनी धनराशि जो विहित की जाय जमा की जायेगी, और यह ऐसी सहकारी समितियों पर भी लागू होगा जिनमें वर्ष में हानि उपगत हों ।

(ग) ऐसी धनराशि जो विहित की जाय, सहकारी समितियों के सम्बन्धित वर्ग की शीर्ष समिति में सृजित शोध और विकास निधि में जमा की जायेगी और जिसे शोध और विकास के प्रयोजन के लिए विहित रीति में अनुरक्षित किया जायेगा ।

(ख) उपधारा (2) में,–

(एक) खण्ड (ग) में, शब्द"अशोध्य ऋण निधि", निकाल दिये जायेंगे

(दो) खण्ड (ड) और (च) निकाल दिये जायेंगे ।

धारा 71–क का संशोधन

6–मूल अधिनियम की धारा 71–क में, शब्द "धारा 70 या यथास्थिति धारा 92," जहां कही भी आये हों, के स्थान पर शब्द "यथास्थिति धारा 70, धारा 91, धारा 92 या धारा 95–क" रख दिये जायेंगे ।

धारा 92 का संशोधन

7–मूल अधिनियम की धारा 92 में, शब्द "प्रत्येक आदेश" के पश्चात् शब्द और अंक "या धारा 95–क के अधीन जारी की गयी किसी वसूली के लिए प्रमाण-पत्र" पर रख दिये जायेंगे ।

धारा 95–क का संशोधन

8–मूल अधिनियम की धारा 95–क में, उपधारा (2) में, शब्द "माल गुजारी की बकाया की भांति वसूल" के स्थान पर शब्द "धारा 92 के अधीन निष्पादित" रख दिये जायेंगे ।

धारा 96 का संशोधन

9–मूल अधिनियम की धारा 96 में, उपधारा (2) में, शब्द "एक या" निकाल दिये जायेंगे ।

धारा 98 का संशोधन

10–मूल अधिनियम की धारा 98 में,–

(क) उपधारा (1) के खण्ड (ग) में, अन्त में शब्द–

"या धारा 38 की उपधारा (1) में अधीन, किसी अधिकारी को उसके पद से हटाने के लिए या कोई पद धारण करने से अनर्हित करने के लिये किया गया कोई आदेश" बढ़ा दिये जायेंगे ।

(ख) उपधारा (2) में,–

(एक)–शब्द "खण्ड" (घ), (च), (छ), (ट) और (ढ) के स्थान पर, शब्द"खण्ड (ग), (घ), (ड), (च), (छ), (ट) और (ठ)" रख दिये जायेंगे ।

(दो) शब्द "खण्ड (क), (ख), (ग), (ड), (ज), (झ), (ञ), (ड), और (ढ) "के स्थान पर, शब्द "खण्ड (क), (ख), (ज), (झ), (ञ), (ड) और (ढ) "रख दिये जायेंगे,

(तीन) खण्ड (ख) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात,–

"(ग) यदि आदेश या अभिनिर्णय किसी निर्वाचन के संबंध में विवाद पर दिया गया हो तो न्यायाधिकरण को"।

धारा 103 का संशोधन

11–मूल अधिनियम की धारा 103 में उपधारा (2) में, खण्ड (क) में, अन्त में निम्नलिखित प्रतिबंधात्मक खण्ड बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात्–प्रतिबनध यह है कि कोई व्यक्ति, जो निर्वाचन के संबंध में ऐसा कार्य करता है जो नियमों के अधीन अपराध हो, वह नियमों में यथाउपबन्धित दो वर्ष से अनधिक कारावास से या पांच हजार रुपये से अनधिक के अर्थदण्ड से, या दोनों से दंडनीय होगा ।

धारा 113 का निकाला जाना

12–मूल अधिनियम की धारा 113 निकाल दी जायेगी ।

धारा 128 का संशोधन

13–मूल अधिनियम की धारा 128 में, अन्त में, निम्नलिखित प्रतबिन्धात्मक खण्ड बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात्,–

"प्रतिबंध यह है कि निबंधक, कोई आदेश करने के पूर्व, सहकारी समिति की प्रबंध कमेटी सामान्य निकाय या अधिकारी से, ऐसी अवधि जो निश्चित करे किन्तु जो पन्द्रह दिन से कम न होगी, के भीतर यथास्थिति, प्रस्ताव पर, या आदेश पर पुनर्विचार किये जाने की अपेक्षा करेगा, और यदि वह ठीक समझे तो वह ऐसी अवधि के दौरान उस प्रस्ताव या उस आदेश के प्रवर्तन को स्थगित कर सकता है ।"

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से खण्ड 13 तक, खण्ड 1, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायें ?

(प्रश्न उपस्थित किया और स्वीकृत हुआ)

श्रीं मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1994 पारित किया जाये ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1994 पारित किया जाये ।

(प्रश्न उपस्थित किया आर स्वीकृत हुआ)

वित्तीय वर्ष 1994-95 के आय–व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदानअनुदान संख्या–39 भाषा विभाग, अनुदान संख्या 47–प्राविधिक शिक्षा, अनुदान संख्या 70–विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, अनुदान संख्या 73– शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा)

माध्यमिक शिक्षा तथा बेसिक शिक्षा मंत्री (डा० मसूद अहमद)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1995 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 39–भाषा विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त, 46,14,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1995 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 47–प्राविधिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त, 78,93,18,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1995 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 70–विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त, 14,04,79,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1995 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 73–शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त, 1,87,97,66,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(श्री अध्यक्ष द्वारा कटौती के प्रस्तावक का नाम पुकारे जाने पर एवं उनके न खड़े होने पर)

(व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1995 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 39–भाषा विभाग (उच्च शिक्षा) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त, 46,14,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(कटौती के प्रस्तावक का नाम पुकारे जाने पर एवं उनके न खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1995 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 47–प्राविधिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त, 78.93, 18,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(घोर व्यवधान)

(श्री अध्यक्ष द्वारा कटौती के प्रस्तावक का नाम पुकारे जाने पर एवं उनके खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1995 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 70–विज्ञान एवं प्राविधिकी विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त, 14,04, 79,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(सदन के बेल में खड़े माननीय सदस्य अपने-अपने आसन पर वापस चले गये)

(श्री अध्यक्ष द्वारा कटौती के प्रस्तावक का नाम पुकारे जाने पर एवं उनके न खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1995 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 73–शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त, 1,87,97,66,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

वित्तीय वर्ष 1994-95 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए अनुदानों पर मतदान अनुदान संख्या–71 शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा), अनुदान संख्या–72 शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा) अनुदान संख्या–74 शिक्षा विभाग (प्रौढ़ शिक्षा) अनुदान संख्या–75 शिक्षा विभाग (राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्)

(घोर व्यवधान के मध्य)

माध्यमिक तथा बेसिक शिक्षा मंत्री (डा० मसूद अहमद)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1995 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 71–शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त, 11,17,38,19,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1995 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 72–शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त, 7,26,75,43,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

(घोर व्यवधान के मध्य)

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1995 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 74–शिक्षा विभाग (प्रौढ़ शिक्षा) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त, 5,83,87,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

(घोर व्यवधान के मध्य)

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1995 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 75–शिक्षा विभाग ((राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के

लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त, 7,01,69,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

(घोर व्यवधान)

(कटौती के प्रस्तावक का नाम पुकारे जाने पर एवं उनके खड़े न होने पर)

श्री अध्यक्ष–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1995 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 72–शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त, 7,26,75,43,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(घोर व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । (व्यवधान) मैं विभाजन की मांग करता हूं लेकिन उसको नहीं सुना जा रहा है (व्यवधान) मेरी बात को नहीं सुना जा रहा है इसलिये मैं अपने दल सहित सदन का बहिर्गमन करता हूं ।

(भारतीय जनता पार्टी के सभी सदस्य सदन त्याग कर चले गये)

(घोर व्यवधान)

(कटौती के प्रस्तावक का नाम पुकारे जाने पर एवं उनके न खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1995 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 72–शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 7,26,75,43,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1995 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 74–शिक्षा विभाग (प्रौढ़ शिक्षा) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 5,83,87,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(कटौती के प्रस्तावक का नाम पुकारे जाने पर एवं उनके न खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1995 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 75–शिक्षा विभाग (राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये

आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 7,01,69,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज दिनांक 19-4-94 को नियम 51 के अन्तर्गत कुल 35 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं । जिसमें पहली सूचना श्री प्रमोद तिवारी की, श्री जगदम्बिका पाल व नरेश अग्रवाल की है, को वक्तव्य हेतु स्वीकार किया गया है ।

श्री किरन पाल सिंह–

हमारी कोई बात नहीं सुनी जा रही है, सदन में अव्यवस्था है, इस सबके विरोध में मैं अपने दल सहित सदन का बहिष्कार करता हूं ।

(श्री किरन पाल सिंह अपने दल के सदस्यों के साथ सदन त्याग कर चले गये)

श्री अध्यक्ष–

दूसरी सूचना श्री राजकुमार शिवहरे की है, इसे केवल वक्तव्य के लिये स्वीकार किया गया है ।

श्री प्रमोद तिवारी–

मैं भी इसके विरोध में अपने दल सहित सदन से बहिर्गमन करता हूं ।

(श्री प्रमोद तिवारी भी अपने दल के सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गये)

श्री अध्यक्ष–

श्री धनराज यादव की सूचना, श्री राम सरन वर्मा की सूचना, श्री राकेश सचान की सूचना, आचार्य जगदीश मुनि की सूचना तथा श्री बची सिंह रावत की सूचना पर सरकार का ध्यान आकर्षित किया जाता है और इन्हें सरकार को भेजा जाता है । (व्यवधान)

शेष सारी सूचनाओं को अस्वीकृत किया ।

कार्य सूची के मद संख्या–19 से 24 तक निर्धारित वक्तव्यों एवं चर्चाओं का स्थगन

श्री अध्यक्ष–

अब एजेण्डा की अन्य शेष मदों–वक्तव्यों व चर्चाओं को स्थगित किया जाता है जो इस प्रकार हैं:—

1–राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ द्वारा कथित रूप से जारी किये गये सामाजिक विद्वेष पूर्ण परिपत्र से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री मुक्तिनाथ यादव द्वारा दिनांक 4 मार्च, 1994 को नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर, मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य ।

2–घंडियाल देवता (घन्टाकरण) पट्टी लोक्तु, टिहरी गढ़वाल के प्रांगण के समतलीकरण कार्य में अनियमितता तथा सरकारी धन का दुरुपयोग किये जाने के संबंध में श्री मातवर सिह कण्डारी द्वारा दिनांक 9 मार्च, 1994 को नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य ।

3–जनपद मेरठ के भोला की झाल ग्राम में जिले सिंह नाम युवक की जिन्दा जलाकर हत्या किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त तथा श्री राम कुमार शुक्ल द्वारा दिनांक 19 मार्च, 1994 को दी गई सूचना पर नियम–51 के अन्तर्गत मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य ।

4–जनपद पीलीभीत के तहसील मुख्यालय बीसलपुर में परगना मजिस्ट्रेट के न्यायालय का अधिवक्तओं द्वारा बहिष्कार किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री राम सरन वर्मा द्वारा दिनांक 19 मार्च, 1994 को नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य ।

5–इलाहाबाद विश्वविद्यालय में शिक्षकों एवं कर्मचारियों के भविष्य निधि का धन उनके खातों में नियमित रूप से जमा किये जाने विषयक दिनांक 17 मार्च, 1994 को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या 150 नत्थी (घ) के संबंध में डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर द्वारा दी गयी सूचना पर, उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 49 के अन्तर्गत आधे घंटे की चर्चा ।

6–प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत संवाददाताओं, पत्रकारों को शासन द्वारा सुविधा प्रदान करने तथा सूचना विभाग को सक्रिय एवं प्रभावी बनाने के उपाय किये जाने विषयक दिनांक-8 मार्च, 1994 को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या 10 नत्थी (ग) के संबंध में श्री राम सरन वर्मा, श्री बी० के० गुप्ता, श्री बी० एम० सिंह, श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल तथा श्री शिव प्रताप शुक्ल द्वारा दी गयी सूचनाओं पर उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 49 के अन्तर्गत आधे घंटे की चर्चा ।

अब हम उठते हैं और 21 तारीख को 11 बजे फिर बैठेंगे ।

(इसके बाद सदन 2 बजकर 16 मिनट पर गुरुवार, दिनांक 21 अप्रैल, 1994 दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया ।)

लखनऊ :
19 अप्रैल, 1994

प्रेम चन्द्र सक्सेना,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

परिशिष्ट 'क'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या–18 का उत्तर पीछे पृष्ठ 28 पर)

नोटिस

यह कि उत्तर प्रदेश राज्य कताई मिल मजदूर मोर्चा अकबरपुर, फैजाबाद द्वारा मे० उ० प्र० राज्य कताई मिल कं० लि०, अकबरपुर, फैजाबाद के प्रबन्धकों को 11 सूत्रीय मांग-पत्र दिनांक 23-4-90 देते हुए यह उल्लेख किया गया है कि यदि सेवायोजकों द्वारा पूर्व में सम्पन्न समझौते का पालन नही किया जाता है तथा श्रमिकों का उत्पीड़न किया जाता है तो वह आन्दोलन की कार्यवाही करेंगे ।

यह कि श्रमिक संगठन द्वारा दिये गये मांग-पत्र पक्षों से समझौता वार्ता कराये जाने हेतु इस कार्यालय के पत्र संख्या–2059–60/एफ० आर०–आई० आर०/90 दिनांक 8-5-90 द्वारा उ० प्र० औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के साथ पठित उ० प्र० औद्योगिक विवाद अधिनियम 1957 की नियमावली के नियम–4 के तहत नोटिस जारी की गई है उक्त के परिप्रेक्ष्य में पक्षों के मध्य समझौता वार्ता की कार्यवाही इस कार्यालय में विचाराधीन है ।

यह कि उत्तर प्रदेश राज्य कताई मिल्स स्टाफ कर्मचारी एसोसिएशन उ० प्र० द्वारा सेवायोजकों को 9 सूत्रीय मांगपत्र दिनांक 26-4-90 देते हुए यह मांग की गई है कि यदि मांगे पूरी नहीं की जाती है तो वह आन्दोलनात्मक कार्यवाही करेंगे । श्रमिक पक्ष द्वारा सूचित किया गया है कि मांग-पत्र में उल्लिखित मांगों पर समझौता वार्ता की कार्यवाही के दौरान सेवायोजकों द्वारा प्रतिष्ठान में कार्यरत श्रमिकों का उत्पीड़न किया जा रहा है ।

उक्त के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकार प्रतिष्ठान में पक्षों के मध्य एक औद्योगिक विवाद उत्पन्न हो गया है तथा इसे लेकर पक्षों के मध्य तनाव व गतिरोध बना हुआ है ।

ऐसी स्थिति में पक्षों का ध्यान उ० प्र० औद्योगिक विवाद नियमावली, 1957 के नियम–4 की ओर आकर्षित किया जाता है जिसके अन्तर्गत यह प्राविधान है कि समझौता वार्ता के दौरान हड़ताल एवं तालाबन्दी की कार्यवाही निषिद्ध है ।

उपर्युक्त के संबंध में पक्षों को निर्देशित किया जाता है कि प्रतिष्ठान में उत्पन्न विवाद के मामले में समझौता वार्ता हेतु उभय पक्ष इस कार्यालय में दिनांक 13-6-90 को 11 बजे उपस्थित हों । इस अवधि में पक्षों को परामर्श दिया जाता है कि वह ऐसी कोई कोर्यवाही न करें जिससे औद्योगिक शान्ति भंग हो ।

इ०/के० के० पुरवार

सहायक श्रमायुक्त,

फैजाबाद ।

सं०–119-22/एफ० आर०-आई० आर० दिनांक 7-6-90

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1–मुख्य अधिशासी मे० उ० प्र० राज्य कताई मिल कं० लि०, अकबरपुर, फैजाबाद ।

2–मंत्री, उ० प्र० राज्य कताई मिल स्टाफ एसोसिएशन, अकबरपुर, फैजाबाद ।

3–मंत्री, कताई मिल मजदूर यूनियनं, अकबरपुर, फैजाबाद ।

4–महामंत्री, उ० प्र० राज्य कताई मिल्स मजदूर मोर्चा, अकबरपुर, फैजाबाद ।

ह०/के० के० पुरवार

सहायक श्रमायुक्त,

फैजाबाद ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ख'

(देखिये अता० प्र० सं० 70 का उत्तर पीछे पृष्ठ 57 पर)

संलग्नक

सर्वश्री जगरनाथ चौधरी व अक्षयवर भारती, सदस्यगण, विधान सभा द्वारा 5वें मंगलवार हेतु पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या–70 के उत्तर में अंकित सूची/विवरण

क्र०-सं०	आवास सं०	अनधिकृत अध्यासी का नाम, जाति, वर्तमान पदनाम, विभाग व स्थान	अनाधिकृत होने का कारण एवं तिथि	आवास खाली न कराने एवं क्षतिपूर्ति वसूल न कर पाने कारण
1	2	3	4	5
1	1/8, कैसरबाग	श्री आर० पी० अग्रवाल पूर्व विषय वस्तु विशेषज्ञ (कुक्कटों) शारदा सहायक)	सेवानिवृत्त 01-9-92	बेदखली/क्षतिपूर्ति संबंधी वाद न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण आवास रिक्त कराना । क्षतिपूर्ति का निर्धारण संभव नहीं ।
2	1/9, कैसरबाग	श्रीमती अचला पोखरियाल, अध्यापिका, केन्द्रीय विद्यालय, लखनऊ ।	आवंटन निरस्त 08-10-92	तदैव तदैव
3	2/7, कैसरबाग	श्री अमर सिन्हा अतिरिक्त जिला जज, बाराबंकी ।	स्थानान्तरण 20-1-93	तदैव
4	3/10, कैसरबाग	श्री श्री कृष्ण उपपुलिस अधीक्षक क्षेत्राधिकारी, हापुड़ गाजियाबाद ।	स्थानान्तरण 21-2-93	तदैव

1	2	3	4	5
5	3/16, कैसरबाग	श्री उमेशचन्द्र श्रीवास्तव उपपुलिस अधीक्षक गाजियाबाद ।	स्थानान्तरण 13-2-93	तदैव
6	90, विधायक निवास 2, (पुराना)	श्री आदित्य कुमार दुबे सहायक, विधान परिषद् सचिवालय ।	आवंटन अवधि समाप्त । 3-7-89	तदैव
7	177, वि० नि०–I	श्री आर० एन० सिंह अतिरिक्त जिला जज मुरादाबाद ।	स्थानान्तरण 6-6-90	तदैव

उत्तर प्रदेश विधान सभा

पी० एस० यू० पी०–एल० 91 विधान सभा (138) 1994–813 (डी०टी०पी०) ।